भारत

के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

1984–85 वर्ष के लिए

प्रतिवेदन

(राजस्व प्राप्तियां)

उत्तर प्रदेश सरकार

शुद्धि-पत्र

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का 1984–85 वर्ष के लिये प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार

क्रम सं0	पृष्ठ	प्रस्तर	सन्दर्भ	अशुद्ध	शुद्ध
1	21	2.4.(i)	पंक्ति 3	वसूली का रिपोर्ट	वसूली को रिपोर्ट
2	23	2.4.(v)	पंक्ति 10	दरसे	दर से
3	24	2.5.(i)	पंक्ति 11	स्तिम्बर	सितम्बर
4	28	2.5 (iv)	पंक्ति 12	1,55,465 की शेष	1,55,465 रुपयों की शेष
5	30	2.7.(i)	पंक्ति 7	19.76,699 रुपयों	19,76,699 रुपयों
6	31	2.7.(iv)	पंक्ति 9	रिपरिट	स्पिरिट
7	36	3.2.क(i)	पंक्ति 14	आबकारी	आबकारी
8	37	3.2.क(ii)	पंक्ति 9	उच न्यायालय	उच्च न्यायालय
9	38	3.2.ख (ख)	पंक्ति 11	2.68.799 रुपये	2,68,799 रुपये
10	38	3.2.ख (ख)	पंक्ति 13	प्राप्त	प्राप्य
11	41	3.3.	पंक्ति 7	संज्ञापन, (ऐडवाइस)	संज्ञापन (ऐडवाइस)
12	46	4.2.(ii)	पंक्ति 14	15–253 रुपयों	15,253 रुपयों
13	48	4.3.(ख)	पंक्ति 10	परिवाहन प्राधिकारी	परिवहन प्राधिकारी
14	48	4.3.(ख)	पंक्ति 13	अन्तवर्ती	अन्तर्वर्ती
15	50	4.3.(घ) (iv)	पंक्ति 4–5	इस 7 वाहनों	इन 7 वाहनों
16	52	4.4.	पंक्ति 10	से ले जाने के	से ले आने के
17	54	4.5.(ii)	पंक्ति 8	समाप्त के बाद	समाप्ति के बाद
18	54	4.5.(ii)	पंक्ति 11	झांःसी सम्भाग	झांसी सम्भाग
19	55	4.5.(iii)	पंक्ति 15	दरा पर कर	दर पर कर
20	57	4.6.(ii)	पंक्ति 5	पंरवहन क्षमता	परिवहन क्षमता
21	58	4.7.	पंक्ति 9	नवीनीकरण के फलस्वरूप	अनवीनीकरण के फलस्वरूप

क्रम सं0	पृष्ठ	प्रस्तर	सन्दर्भ	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4	5	6
22	58	4.8.	पंक्ति 4	राज्य सरकांर	राज्य सरकार
23	60	4.10.(i)	पंक्ति 6	2,14 लाख	2.14 लाख
24	61	4.11.	पंक्ति 2	यदि स्वामी	यदि वाहन स्वामी
25	62	5.1.	पंक्ति एक	के लखे	के लेखे
26	63	5.3.(i)	पंक्ति 7	4.36 रुपए	4.36 लाख रुपये
27	69	6.1.	पंक्ति 4	यये हैं	गये हैं
28	70	6.2.(i)	पंक्ति 5	कर–निंर्धारण	कर–निर्धारण
29	71	6.2.(iii)	पंक्ति 2	इकायों ने	इकाइयों ने
30	72	6.3.	पंक्ति एक	तिथ के बाद	तिथि के बाद
31	76	7.3.	पंक्ति 4	प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर	संबंधित प्राधिकारियों से वसूली प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर
32	76	7.3.	पंक्ति 4–5	संग्रह प्रभार राजस्व प्राधिकारियों द्वारा	संग्रह प्रभार संग्रहीत देयों के 10 प्रतिशत की दर से राजस्व प्राधिकारियों द्वारा
33	78	7.6.	पंक्ति 3	की हो	की गयी हो
34	79	7.6.	पंक्ति 2	जमा कराने में	जमा करने में
35	80	7.7.	पंक्ति 4	वाणिज्यिक अथवा	वाणिज्यिक अथवा
36	80	7.7.	पंक्ति 14	पुनः 1985 में	पुनः अप्रैल 1985 में
37	83	8.4.1.	पंक्ति 11	(नवम्बर 1975)	(नवम्बर 1975)।
38	84	8.4.3.	पंक्ति 7–8	पश्चिम, मिर्जापुर	पश्चिम मिर्जापुर
39	85	8.4.4.	पंक्ति 20	निंवदायें	निविदायें
40	87	8.6.	पंक्ति 2	निविदाताओं	निविदादाताओं
41	89	8.8.	पंक्ति 3	वन विभाग पर	वन निगम पर
42	89	8.8.	पंक्ति 8	583.957 घन-मीटर	583.975 घन-मीटर

क्रम सं०	पृष्ठ	प्रस्तर	सन्दर्भ	अशुद्ध	शुद्ध
43	90	8.9.	पंक्ति 12	पर परिकल्पित	पर परिकलित
44	90	8.9.	पंक्ति 15–16	50.03 लाखों रुपयों	50.03 लाख रुपयों
45	91	8.11.	पंक्ति एक	उत्तर प्रदेश मिल	उत्तर प्रदेश आरा मिल
46	93	9.1.	पंक्ति 2	100.93 लाख रुपयों	100.39 लाख रुपयों
47	94	9.2.(i)	पंक्ति 6	कर रहा है	कर रही हैं
48	94	9.2.(i)	पंक्ति 12	की गयी आपूर्ति	की गयी जल आपूर्ति
49	95	9.3.	पंक्ति 3	फैले हुये भूखण्ड	फैले हुये 27 भूखण्ड
50	96	9.5.	पंक्ति 8	अप्रैल 1983	अप्रैल 1982
51	97	9.6.	पंक्ति 5	अलीगढ़ ने मण्डल	अलीगढ़ ने अलीगढ़ मण्डल
52	99	9.9.	पंक्ति एक	जनवरी 1983	जनवरी 1980
53	102	9.12.(क)	पंक्ति 4	में जमा	में जमा नहीं किया गया । जमा

विषय-सूची

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
प्रस्तावना		(vii)

अध्याय 1

सामान्य

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1·1	1
राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण	1·2	1
बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों के बीच अन्तर	1·3	4
संग्रह की लागत	1·4	6
कर-निर्धारण में बकाये	1·5	7
असंग्रहीत राजस्व	1·6	10
बिक्रीकर की धोखाधड़ी और अपवंचन	1·7	13
अनिस्तारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन	1·8	13

अध्याय 2

बिक्री-कर

लेखापरीक्षा के परिणाम	2·1	16
रियायत की अनियमित स्वीकृति	2·2	17
मान्यता प्रमाणपत्रों की अनियमित अनुमति	2·3	19
कर के आरोपण से मुक्ति की अनियमित स्वीकृति	2·4	20
अर्थदण्ड का अनारोपण अथवा कम आरोपण	2·5	24
माल के गलत वर्गीकरण के कारण कर का कम आरोपण	2·6	28

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
कर की गलत दरों का लगाना	2·7	30
विक्रय व्यापार (सेल्स टर्नओवर) का छिपाया जाना	2·8	32
जमा किये गये कर का दोहरा समायोजन	2·9	33
प्रखण्ड का बिक्री-कर विभाग से पंजीयन न कराया जाना	2·10	34

अध्याय 3

राज्य आबकारी

लेखापरीक्षा के परिणाम	3·1	35
नियमों के अननुपालन के कारण राजस्व की हानि	3·2	36
सत्यापित पासों की अप्राप्ति	3·3	41
लाइसेंस फीस वसूल न करना	3·4	42
अपेक्षाकृत कम अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता ग्रहण करने के कारण लाइसेंस फीस का कम भुगतान	3·5	42
प्रशमन (कम्पाउण्डिंग) शुल्क की वसूली न करना	3·6	43
स्पिरिट की मार्गगत हानि पर शुल्क का न लगाना	3·7	44

अध्याय 4

वाहनों, माल और यात्रियों पर कर

लेखापरीक्षा के परिणाम	4·1	45
यात्री-कर का वसूल न किया जाना	4·2	45
यात्री-कर का कम निर्धारण	4·3	47
यात्री-कर के भुगतान से अनियमित छूट का दिया जाना	4·4	52
मार्ग-कर का कम लगाया जाना	4·5	53
यात्री और माल कर का वसूल न किया जाना अथवा कम वसूल किया जाना	4·6	56

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
फीस की वसूली न करना	4·7	57
प्रशमन शुल्क का कम वसूल किया जाना	4·8	58
अर्थदण्ड का न लगाना	4·9	59
विभाग की निष्क्रियता के कारण राजस्व की हानि	4·10	59
अपरिचालित (आफ रोड) घोषित वाहनों का अप्राधिकृत परिचालन	4·11	61

अध्याय 5

स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस

लेखापरीक्षा के परिणाम	5·1	62
कृषि-इतर जमीनों के अवमूल्यांकन के कारण कम करारोपण	5·2	62
भवन सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण कम करारोपण	5·3	64
भूमि के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस का कम प्रभार	5·4	65
प्रपत्रों के गलत वर्गीकरण के कारण कम आरोपण	5·5	66
कर निर्धारणों के बकाये (एरिअर्स)	5·6	67
वसूलियों के बकाये	5·7	67
वन संविदा प्रपत्रों पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान न किया जाना	5·8	67
उन संविदाओं पर, जिनमें प्रतिभूतियां जमा हेतु प्रावधान था, स्टाम्प शुल्क की वसूली न किया जाना	5·9	68

अध्याय 6

गन्ने के क्रय पर कर

लेखापरीक्षा के परिणाम	6·1	69
कर का कम लगाया जाना	6·2	69

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
बन्दी की अनियमित नोटिसें स्वीकार करने के कारण कर का कम निर्धारण	6·3	71
कर के विलम्बित भुगतानों पर ब्याज और अर्थदण्ड का न लगाया जाना	6·4	72
कार्यकारी आदेश के अन्तर्गत कर के भुगतान का आस्थगन	6·5	73

अध्याय 7

अन्य कर प्राप्तियां

क—भू-राजस्व

लेखापरीक्षा के परिणाम	7·1	75
भूमि के लगान का निर्धारण न किया जाना	7·2	75
संग्रह प्रभारों की वसूली न करना	7·3	76
भू-राजस्व में अधिक छूट	7·4	77

ख—विद्युत् शुल्क

लेखापरीक्षा के परिणाम	7·5	78
विद्युत् शुल्क का वसूल न किया जाना	7·6	78
विद्युत् शुल्क का कम जमा किया जाना	7·7	80

अध्याय 8

वन विभाग

सामान्य	8·1	81
वन प्राप्तियों की गतिविधि	8·2	81
लेखापरीक्षा के परिणाम	8·3	82
तेंदू पत्तों का संग्रह और विक्रय	8·4	82
बढ़ाये गये स्थिर लगान (डेड रेन्ट) की वसूली न किया जाना	8·5	86
साल बीज संग्रह न किये जाने के कारण राजस्व की हानि	8·6	87

	सन्दर्भ प्रस्तर	पृष्ठ
अभिवहन (ट्रांजिट) फीस न लगाये जाने के कारण राजस्व की हानि	8·7	88
जुर्माने का वसूल न किया जाना	8·8	89
सरकारी आदेशों के अननुपालन के कारण राजस्व की हानि	8·9	89
नियमों का पालन न किया जाना	8·10	90
आरा मिलों का पंजीकरण न किये जाने के कारण लाइसेंस फीस की हानि	8·11	91

अध्याय 9

अन्य विभागीय प्राप्तियां

क—सिंचाई विभाग

लेखापरीक्षा के परिणाम	9·1	93
जल प्रभारों का वसूल न किया जाना या कम वसूल किया जाना	9·2	94
आराजी भूमि का किसानों को पट्टे पर न दिया जाना	9·3	95
किराये की वसूली न करना	9·4	96
विभागीय प्राप्तियों का दुरूपयोग	9·5	96
विभागीय प्रभारों का वसूल न किया जाना	9·6	97

ख—सार्वजनिक निर्माण विभाग

लेखापरीक्षा के परिणाम	9·7	97
किराया वसूल न किया जाना	9·8	98
सरकारी देयों के भुगतान में विलम्ब हेतु क्षतिपूर्ति का वसूल न किया जाना	9·9	99

ग—खाद्य और रसद विभाग

लेखापरीक्षा के परिणाम	9·10	100
लेवी चीनी के बढ़े मूल्य की वसूली न किया जाना	9·11	101
राशन कार्डों का मूल्य वसूल न किया जाना	9·12	101

	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
घ—कृषि विभाग		
लेखापरीक्षा के परिणाम	9.13	102
पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना सहकारी समितियों द्वारा उर्वरकों का विक्रय	9.14	103
ङ—चिकित्सा विभाग		
क्वार्टर का आवंटन न किया जाना/किराया वसूल न किया जाना	9.15	103
च—शिक्षा विभाग		
सरकारी देयों का वसूल न किया जाना	9.16	104
छ—उद्योग विभाग		
ईंट-भट्ठों के स्वामियों से लाइसेंस फीस तथा रायल्टी की वसूली न करना	9.17	105

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश सरकार की राजस्व प्राप्तियों पर वर्ष 1984-85 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इस पृथक् पुस्तक में प्रस्तुत है । प्रतिवेदन में सामग्री निम्नलिखित क्रम में रखी गयी है :

(i) अध्याय 1 में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को, कर राजस्व और कर-इतर राजस्व के अन्तर्गत वर्गीकृत करते हुए, दिखाया गया है । इस अध्याय में राजस्व के प्रमुख शीर्षों से सम्बन्धित बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों में अन्तर, राजस्व के बकायों की स्थिति, आदि की भी विवेचना की गई है ।

(ii) 2 से 9 अध्यायों में कुछ ऐसे मामलों तथा रोचक बातों का समावेश किया गया है जो बिक्री-कर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल और यात्रियों पर कर, स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस, गन्ने के क्रय पर कर, भू-राजस्व, विद्युत शुल्क तथा कर-इतर प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के दौरान देखने में आये ।

अध्याय 1

सामान्य

1.1. राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

उत्तर प्रदेश सरकार की वर्ष 1984-85 हेतु 3006.10 करोड़ रुपयों की प्रत्याशित प्राप्तियों के समक्ष कुल राजस्व प्राप्तियां 3144.94 करोड़ रुपये थीं । इस वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियों में 1982-83 की कुल प्राप्तियों (2556.08 करोड़ रुपये) की अपेक्षा 23 प्रतिशत और 1983-84 की कुल प्राप्तियों (2655.42 करोड़ रुपये) की अपेक्षा 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 3144.94 करोड़ रुपयों की कुल प्राप्तियों में से राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया राजस्व 1524.56 करोड़ रुपये था जिसमें से 1140.17 करोड़ रुपये कर राजस्व तथा शेष 384.39 करोड़ रुपये कर-इतर राजस्व निरूपित करते थे । भारत सरकार से 1620.38 करोड़ रुपयों की प्राप्तियां हुईं ।

1.2. राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण

(क) सामान्य विश्लेषण

वर्ष 1984-85 के दौरान हुई प्राप्तियों का विश्लेषण इससे पूर्व के दो वर्षों के तदनुरूपी आंकड़ों सहित नीचे दिया गया है :

	1982-83	1983-84	1984-85
	(करोड़ रुपयों में)		
I. राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया राजस्व—			
(क) कर राजस्व	929.30	992.10	1140.17
(ख) कर-इतर राजस्व	374.85	404.75	384.39
योग	1304.15	1396.85	1524.56
II. भारत सरकार से प्राप्तियां—			
(क) विभाज्य संघीय करों में राज्य का भाग	775.33	682.12	961.66
(ख) सहायक अनुदान	476.60	576.45	658.72*
योग	1251.93	1258.57	1620.38
III. राज्य की कुल प्राप्तियां (I+II)	2556.08	2655.42	3144.94
IV I की III से प्रतिशतता	51	53	48

*ब्यौरों के लिए कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे 1984-85 में "विवरण संख्या 11—लघु शीर्षवार राजस्व का ब्यौरेवार लेखा" देखें ।

(ख) राज्य द्वारा वसूल किया गया कर-राजस्व

वर्ष 1984-85 के दौरान कर राजस्व से प्राप्तियां राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियों का 75 प्रतिशत थीं । वर्ष 1984-85 तथा इससे पूर्व के दो वर्षों के कर राजस्व का विश्लेषण नीचे दिया गया है :

		1982-83	1983-84	1984-85	1983-84 के संदर्भ में 1984-85 में वृद्धि (+) या कमी (—)
		(करोड़ रुपयों में)			
1.	आय और व्यय पर अन्य कर	0.01	..	..	..
2.	भू-राजस्व	28.43	34.86	24.11	(—)10.75
3.	स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन फीस	110.40	109.70	118.72	(+) 9.02
4.	कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	0.01	..	..	..
5.	राज्य आबकारी	130.78	130.19	180.80	(+) 50.61
6.	बिक्री-कर	410.74	460.13	527.23	(+) 67.10
7.	गन्ने के क्रय पर कर	21.31	27.73	30.45	(+) 2.72
8.	मोटर स्पिरिट और स्नेहनों की बिक्री पर कर	54.93	63.28	73.23	(+) 9.95
9.	वाहनों पर कर	43.10	33.23	40.08	(+) 6.85
10.	माल और यात्रियों पर कर	67.52	67.85	76.43	(+) 8.58
11.	विद्युत् पर कर और शुल्क	16.10	15.03	17.85	(+) 2.82
12.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	45.97	50.10	51.27	(+) 1.17
	योग	929.30	992.10	1140.17	(+) 148.07

(ग) राज्य का कर-इतर राजस्व

ब्याज प्राप्तियां, विविध सामान्य सेवायें, शिक्षा, लघु सिंचाई, भू-संरक्षण और क्षेत्र विकास, वन तथा सिंचाई, नौपरिवहन, जलोत्सारण एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें राज्य के कर-इतर राजस्व के प्रमुख स्रोत थे ।

कर-इतर राजस्व से प्राप्तियां वर्ष 1984-85 के दौरान राज्य द्वारा वसूल किये गये राजस्व का 25 प्रतिशत थीं । वर्ष 1984-85 तथा उससे पूर्व के दो वर्षों के कर-इतर राजस्व का विश्लेषण नीचे दिया गया है :

		1982-83	1983-84	1984-85	1983-84 के संदर्भ में 1984-85 में वृद्धि (+) या कमी (—)
			(करोड़ रुपयों में)		
1.	ब्याज प्राप्तियां	126.26	151.19	160.77	(+) 9.58
2.	विविध सामान्य सेवायें	25.27	25.11	33.06	(+) 7.95
3.	शिक्षा	17.79	12.70	13.46	(+) 0.76
4.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	34.16	26.79	0.88	(—) 25.91
5.	लघु सिंचाई, भू-संरक्षण और क्षेत्र विकास	6.95	12.53	14.05	(+) 1.52
6.	वन	58.14	55.22	60.85	(+) 5.63
7.	सिंचाई, नौपरिवहन, जलोत्सारण एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें	31.43	39.41	27.39	(—) 12.02
8.	अन्य	74.85	81.80	73.93	(—) 7.87
	योग	374.85	404.75	384.39	(—) 20.36

1.3 बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों के बीच अन्तर

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान कर राजस्व तथा कर-इतर राजस्व के बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों के बीच अन्तर नीचे दिये गये हैं :

	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	अन्तर वृद्धि (+) /कमी (—)	अन्तर की प्रतिशतता
	(करोड़ रुपयों में)			
क. कर राजस्व	1071.38	1140.17	(+) 68.79	6
ख. कर-इतर राजस्व	388.14	384.39	(—) 3.75	1

(ख) राजस्व के प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत अन्तरों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	अन्तर वृद्धि (+) /कमी (—)	अन्तर की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(करोड़ रुपयों में)			
1. भू-राजस्व	39.98	24.11	(—) 15.87	40
2. स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन फीस	105.99	118.72	(+) 12.73	12
3. राज्य आबकारी	162.30	180.80	(+) 18.50	11
4. बिक्री-कर	494.98	527.23	(+) 32.25	7
5. गन्ने के क्रय पर कर	21.90	30.45	(+) 8.55	39
6. मोटर स्पिरिट तथा स्नेहनों की बिक्री पर कर	64.05	73.23	(+) 9.18	14
7. वाहनों पर कर	40.00	40.08	(+) 0.08	..
8. माल और यात्रियों पर कर	75.00	76.43	(+) 1.43	2

राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	अन्तर वृद्धि (+) /कमी (—)	अन्तर की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4) (करोड़ रुपयों में)	(5)
9. विद्युत् पर कर और शुल्क	14.14	17.85	(+) 3.71	26
10. वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	52.98	51.27	(—) 1.71	3
11. ब्याज प्राप्तियां	129.50	160.77	(+) 31.27	24
12. विविध सामान्य सेवायें	30.33	33.06	(+) 2.73	9
13. शिक्षा	14.20	13.46	(—) 0.74	5
14. लघु सिंचाई, भू-संरक्षण और क्षेत्र विकास	14.87	14.05	(—) 0.82	6
15. वन	60.27	60.85	(+) 0.58	1
16. सिंचाई, नौपरिवहन, जलोत्सारण और बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें	53.60	27.39	(—) 26.21	49
17. सड़कें और पुल	5.05	8.11	(+) 3.06	61

'भू-राजस्व' तथा 'सिंचाई, नौपरिवहन, जलोत्सारण और बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें' के सम्बन्ध में वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमानों से क्रमशः 40 प्रतिशत तथा 49 प्रतिशत कम थीं और 'गन्ने के क्रय पर कर' तथा 'सड़कें और पुल' के सम्बन्ध में बजट अनुमानों से क्रमशः 39 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत बढ़ गई थीं। 'भू-राजस्व' से सम्बन्धित बजट अनुमान (39.98 करोड़ रुपये) वर्ष के अन्त में, अन्य बातों के साथ-साथ, (क) जमाबंदियों के आधार पर चालू मांग में 6 करोड़ रुपयों की कमी आ जाने, (ख) अधिक माफियों (2.50 करोड़ रुपये) की अनुमति प्रदान किये जाने और (ग) वसूलियों (1.50 करोड़ रुपये) के स्थगन के कारण संशोधित करके 30.07 करोड़ रुपये कर दिया गया था। 30.07 करोड़ रुपयों के संशोधित अनुमानों के समक्ष भी वास्तविक प्राप्तियां 24.11 करोड़ रुपये थीं,

जो 5·96 करोड़ रुपयों की कमी (25 प्रतिशत) दर्शाती थीं । अत्यधिक अंतरों के कारण विभागों से प्रतीक्षित हैं (फरवरी 1986) ।

1·4. संग्रह की लागत

1982-83 से 1984-85 के तीन वर्षों के दौरान प्रमुख राजस्व शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्तियों के संग्रह में किया गया व्यय नीचे दिया गया है :

राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	सकल संग्रह पर व्यय की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(करोड़ रुपयों में)		
1. भू-राजस्व	1982-83	28·43	16·67	59
	1983-84	34·86	22·11	63
	1984-85	24·11	22·67	94
2. बिक्री-कर	1982-83	410·74	9·46	2
	1983-84	460·13	9·95	2
	1984-85	527·23	11·50	2
3. वाहनों पर कर	1982-83	43·10	0·94	2
	1983-84	33·23	0·94	3
	1984-85	40·08	1·17	3
4. वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क—				
(क) मनोरंजन कर	1982-83	45·97	0·50	1
	1983-84	50·10	0·60	1
	1984-85	51·27	0·82	2
(ख) विद्युत् शुल्क	1982-83	16·10	0·48	3
	1983-84	15·03	0·52	3
	1984-85	17·85	0·63	4
(ग) माल और यात्रियों पर कर	1982-83	67·52	0·72	1
	1983-84	67·85	0·89	1
	1984-85	76·43	0·66	1

1.5. **कर-निर्धारण में बकाये**

(क) कर-निर्धारण वर्षों 1983-84 और 1984-85 के दौरान बिक्री-कर विभाग द्वारा निपटाये गये और 31 मार्च के अन्त में निपटान हेतु अनिर्णीत कर-निर्धारण के मामलों की संख्या, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित की गयी है, नीचे इंगित है :

(i) कर-निर्धारण के मामले जिनका निपटान किया जाना था :

	1983-84	1984-85
लम्बित मामले	4,07,726	4,41,359*
चालू मामले	2,57,951	2,53,983
रिमांड के मामले	6,802	7,861
योग	6,72,479	7,03,203
(ii) निपटाये गये कर-निर्धारण :		
लम्बित मामले	2,03,144	1,49,845
चालू मामले	47,701	19,612
रिमांड के मामले	4,891	5,054
योग	2,55,736	1,74,511
(iii) निपटान हेतु बच रहे करनिर्धारण :		
लम्बित मामले	2,04,582	2,91,514
चालू मामले	2,10,250	2,34,371
रिमांड के मामले	1,911	2,807
योग	4,16,743*	5,28,692

*1983-84 के अन्त शेष की तुलना में 1984-85 के आदि शेष में 24,616 मामलों की वृद्धि विभाग द्वारा, अभिलेखों की छानबीन के फलस्वरूप मामलों के शामिल किये जाने और उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 की धारा 21 के अन्तर्गत खोले गये मामलों के कारण हुई, बताई गई ।

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान पूर्ण किये गये कर-निर्धारण वादों की संख्या वर्ष 1983-84 के दौरान निपटाये गये वादों की तुलना में 81,225 से कम थी । दोनों वर्षों में अधिकांश मामले उन वर्षों के अन्त में निपटाये गये थे, जैसा कि निम्न सारणी में दर्शाया गया है :

त्रिमास	1983-84		1984-85	
	निपटाये गये कर निर्धारण वादों की संख्या	सृजित मांग (करोड़ रुपयों में)	निपटाये गये कर-निर्धारण वादों की संख्या	सृजित मांग (करोड़ रुपयों में)
अप्रैल से जून	20,816	10·87	17,941	8·81
जुलाई से सितम्बर	74,808	21·44	26,654	23·95
अक्तूबर से दिसम्बर	81,277	27·74	27,112	15·50
जनवरी से मार्च	78,835	79·04	1,02,804	105·36
योग	2,55,736	139·09	1,74,511	153·62

31 मार्च 1985 को अनिस्तारित कर-निर्धारण वादों का वर्षवार विभाजन निम्नवत् था :

कर-निर्धारण वर्ष	वादों की संख्या
1980-81 तक	9,625
1981-82	1,05,361
1982-83	1,76,528
1983-84	2,34,371
पुनः कर-निर्धारण हेतु न्यायालयों द्वारा प्रतिप्रेषित वाद :	2,807
योग	5,28,692

कर-निर्धारण वर्षों 1983-84 और 1984-85 के दौरान अपील और पुनरीक्षण के मामलों के निस्तारण की प्रगति, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित की गई, निम्नवत् थी :

अपील तथा पुनरीक्षण के मामलों की प्रगति

(i) **निर्णीत किये जाने वाले मामलों की संख्या :**

	अपील के मामले		पुनरीक्षण के मामले	
	1983-84	1984-85	1983-84	1984-85
बकाया मामले	93,056	74,254	41,112	45,408
चालू मामले	54,979	39,881	19,987	21,398
योग	1,48,035	1,14,135	61,099	66,806

(ii) निर्णीत मामलों की संख्या :

	अपील के मामले		पुनरीक्षण के मामले	
	1983-84	1984-85	1983-84	1984-85
बकाया मामले	62,555	56,634	10,590	10,011
चालू मामले	11,226	13,859	5,101	4,200
योग	73,781	70,493	15,691	14,211

(iii) **अनिर्णीत मामलों की संख्या :**

	अपील के मामले		पुनरीक्षण के मामले	
	1983-84	1984-85	1983-84	1984-85
बकाया मामले	30,501	17,435*	30,522	35,397
चालू मामले	43,753	26,022	14,886	17,198
योग	74,254	43,457	45,408	52,595

43,457 अनिर्णीत अपील के मामलों में से 452 मामले 1981-82 से पूर्व की अवधि से, 1,441 मामले वर्ष 1981-82 से, 10,870 मामले वर्ष 1982-83 से, 21,163 मामले वर्ष 1983-84 से और 9,531 मामले वर्ष 1984-85 से सम्बन्धित थे ।

52,595 अनिर्णीत पुनरीक्षण के मामलों में से 7,264 मामले 1981-82 से पूर्व की अवधि से, 7,881 मामले वर्ष 1981-82 से, 10,394 मामले

*अनिर्णीत मामलों की संख्या 17,620 आती थी, जबकि विभाग द्वारा यह 17,435 सूचित की गई है । 185 मामलों की कमी छानबीन का परिणाम बताई गई है ।

वर्ष 1982-83 से, 15,817 मामले वर्ष 1983-84 से और 11,239 मामले वर्ष 1984-85 से सम्बन्धित थे ।

1.6. असंग्रहीत राजस्व

कुछ प्राप्ति शीर्षों के सम्बन्ध में वर्ष 1984-85 के अन्त में संग्रहण हेतु बकाया राजस्व के विवरण (जैसा विभागों द्वारा प्रस्तुत किये गये) नीचे दिये गये हैं :

प्राप्ति शीर्ष	31 मार्च 1985 को राजस्व के बकाये (करोड़ रुपयों में)	टिप्पणियां
1. बिक्री-कर	358.44	358.44 करोड़ रुपयों में से 61.32 करोड़ रुपयों के बकाये 1979-80 तक की अवधि से (1964-65 तक के 1.93 करोड़ रुपयों के बकायों को शामिल करते हुए), 96.65 करोड़ रुपये 1980-81 से 1982-83 तक के वर्षों से तथा 200.47 करोड़ रुपये 1983-84 और 1984-85 वर्षों से संबंधित थे । 81.68 करोड़ रुपयों की मांगें भू-राजस्व के बकायों की भांति वसूली हेतु बतायी गयी थीं । 61.89 करोड़ रुपयों तथा 8.75 करोड़ रुपयों की वसूलियां क्रमशः न्यायालयों और सरकार द्वारा स्थगित कर दी गयी थीं । 26.56 करोड़ रुपयों की मांगें बट्टे खाते डाली जाने वाली थीं । 1.44 करोड़ रुपयों की वसूलियां व्यापारियों के दिवालियापन के कारण रुकी पड़ी थीं । बहुत से मामलों में मांगें (लगभग 111.84 करोड़ रुपयों के राजस्व वाली), अंतिम रूप से निश्चित नहीं की गई थीं । शेष 66.28 करोड़ रुपयों की मांगें कार्यवाही की विभिन्न स्थितियों में थीं ।

2.	गन्ने के क्रय पर कर	9.97	9.97 करोड़ रुपयों में से 8.52 करोड़ रुपयों के बकाये (4.69 करोड़ रुपये 1971-72 के पूर्व की अवधि से, 1.45 करोड़ रुपये 1971-72 से 1979-80 की अवधि से तथा 2.38 करोड़ रुपये 1980-81 से 1984-85 की अवधि से संबंधित) 30 चीनी मिलों के विरुद्ध थे जिनमें से 20 मिलें (बकाया 7.78 करोड़ रुपये) सरकार द्वारा अधिकार में ले ली गई थीं और उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम द्वारा प्रबंधित थी; 3 मिलें (बकाया 0.13 करोड़ रुपये) भारत सरकार की ओर से अभिरक्षकों द्वारा प्रबंधित थीं; 3 मिलें (बकाया 0.39 करोड़ रुपये) सहकारी क्षेत्र में थीं और 4 मिलें (बकाया 0.22 करोड़ रुपये) निजी क्षेत्र में थीं ।
3.	वाहनों, माल और यात्रियों पर कर	1.45	1.45 करोड़ रुपयों में से 0.16 करोड़ रुपयों के बकाये 1980-81 से पूर्व की अवधि से, 0.41 करोड़ रुपए 1980-81 से 1982-83 की अवधि से और 0.88 करोड़ रुपये 1983-84 तथा 1984-85 वर्षों से संबंधित थे । 0.72 करोड़ रुपयों की मांगें भू-राजस्व के बकायों की भांति वसूली हेतु बतायी गयी थीं । 0.12 करोड़ रुपयों और 0.10 करोड़ रुपयों की वसूलियां क्रमशः न्यायालयों और सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई थीं । शेष 0.51 करोड़ रुपयों के बकाये कार्यवाही की विभिन्न स्थितियों में थे ।
4.	वन	5.85	5.85 करोड़ रुपयों में से 1.78 करोड़ रुपयों के बकाये 1980-81 के पूर्व की अवधि से, 0.62 करोड़ रुपए

			1980-81 से 1982-83 की अवधि से और 3·45 करोड़ रुपयों के शेष बकाये 1983-84 तथा 1984-85 वर्षों से संबंधित थे । 3·93 करोड़ रुपयों के सरकारी देय वन विभाग के अधीन ठेकेदारों की प्रत्याभूतियों और सामग्री के समक्ष समायोजित किये जाने प्रस्तावित थे । 1·14 करोड़ रुपयों की मांगें भू-राजस्व के बकायों की भांति वसूली हेतु बतायी गयी थीं । 0·46 करोड़ रुपयों की वसूलियां न्यायालयों द्वारा स्थगित कर दी गईं थीं । 0·11 करोड़ रुपयों की वसूली बट्टे खाते डाली जानी थी । शेष 0·21 करोड़ रुपयों के बकाये कार्य-वाही की विभिन्न स्थितियों में थे ।
5.	विद्युत् शुल्क	31·47	
6.	भू-राजस्व	33·97	
7.	राज्य आबकारी	8·38	8·38 करोड़ रुपयों में से 3·11 करोड़ रुपयों और 0·25 करोड़ रुपयों की वसूलियां क्रमश: उच्च न्यायालय और सरकार द्वारा स्थगित कर दी गयी थीं । 0·19 करोड़ रुपयों की वसूली बट्टे खाते डाली जानी थी । 4·83 करोड़ रुपयों के शेष बकाये वसूली हेतु पड़े हुये थे ।

1.7. बिक्री-कर की धोखाधड़ी और अपवंचन

निम्न सारणी में बिक्री-कर विभाग द्वारा पता लगाये गये बिक्री-कर की धोखाधड़ी और अपवंचन के मामलों एवं उनके निस्तारण की स्थिति दर्शायी गयी है :

	मामलों की संख्या
(i) वर्ष 1984-85 के आरम्भ में लंबित मामले	6,030
(ii) वर्ष के दौरान पता लगाये गये नये मामले	2,682
(iii) वर्ष के दौरान निर्णीत मामले	2,412
(iv) वर्ष 1984-85 के अन्त में लंबित मामले	6,300

वर्ष के दौरान निर्णीत 2,412 मामलों में कर-निर्धारण से छुपाया गया टर्नओवर 127·92 करोड़ रुपये था । अंतिम रूप दिये जाने पर, इन मामलों में कर तथा अर्थदण्ड हेतु 7·62 करोड़ रुपयों की मांगें सृजित की गईं ।

1·8· अनिस्तारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन

लेखापरीक्षा में देखे गये अव-निर्धारण, वित्तीय अनियमिततायें और मूल लेखे के रख-रखाव में दोष, जो मौके पर निस्तारित नहीं हो पाते, कार्यालयों के अध्यक्षों और उनसे उच्चतर विभागीय प्राधिकारियों को लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से सूचित किये जाते हैं । अधिक महत्वपूर्ण अनियमिततायें विभागाध्यक्षों तथा सरकार को भी प्रतिवेदित की जाती हैं । छः माह से अधिक अनिस्तारित रहने वाली लेखापरीक्षा आपत्तियों के अर्धवार्षिक प्रतिवेदन भी, उनके शीघ्र निस्तारण हेतु, विभागाध्यक्षों और सरकार को भेजे जाते हैं । लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर उनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर भेजे जाने अपेक्षित हैं ।

मार्च 1985 तक जारी किये गये उन निरीक्षण प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या जो 30 सितम्बर 1985 तक विभागों द्वारा अनिस्तारित पड़े रहे, विगत दो वर्षों के तदनुरूपी आंकड़ों सहित नीचे दी गयी है :

	सितम्बर के अन्त में		
	1983	1984	1985
1. अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	3,262	1,959	2,014
2. अनिस्तारित लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	7,409	5,118	5,063
3. प्राप्तियों की निहित धनराशि (करोड़ रुपयों में)	37·41	32·03	47·21

निम्न सारणी में मार्च 1985 तक जारी किये गये परन्तु 30 सितम्बर 1985 को अनिस्तारित पड़े रहे निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्राप्तिवार विवरण दर्शाये गये हैं :

	प्राप्ति का स्वरूप	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रस्तरों की संख्या और निहित राजस्व			वर्ष जिससे सबसे पुराना प्रतिवेदन संबंधित है
		निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	निहित राजस्व की धन राशि (करोड़ रुपयों में)	
1.	भू-राजस्व	177	403	2.54	1976-77
2.	स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन फीस	486	967	1.67	1975-76
3.	राज्य आबकारी	179	419	2.21	1978-79
4.	बिक्री-कर	335	1,014	3.37	1980-81
5.	गन्ने के क्रय पर कर	130	192	1.22	1975-76
6.	वाहनों, माल और यात्रियों पर कर	112	403	1.27	1975-76
7.	विद्युत् शुल्क	64	89	1.04	1977-78
8.	मनोरंजन और पणन कर	12	16	0.03	1981-82
9.	सार्वजनिक निर्माण कार्य	15	51	0.12	1981-82
10.	सहकारिता	16	24	0.04	1981-82
11.	कृषि	20	55	0.09	1982-83
12.	खाद्य और रसद	26	70	0.14	1980-81
13.	वन	346	982	28.69	1974-75
14.	सिंचाई	96	378	4.78	1980-81

निम्नलिखित प्राप्ति शीर्षों से सम्बन्धित 676 लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के मामलों में विभागों से प्रथम उत्तर भी नहीं प्राप्त हुए थे :

	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या			योग
	तीन वर्ष एवं अधिक (मार्च 1982 तक जारी किये गये)	दो वर्षों से अधिक परन्तु तीन वर्षों से कम (1982-83 के दौरान जारी किये गये)	दो वर्षों से कम (1983-84 एवं 1984-85 के दौरान जारी किये गये)	
1. स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन फीस	..	..	40	40
2. राज्य आबकारी	19	8	46	73
3. बिक्री-कर	..	4	253	257
4. गन्ने के क्रय पर कर	..	..	23	23
5. वाहनों, माल और यात्रियों पर कर	..	2	17	19
6. विद्युत् शुल्क	..	..	24	24
7. सार्वजनिक निर्माण कार्य	1	5	11	17
8. सहकारिता	..	2	8	10
9. कृषि	..	..	15	15
10. खाद्य और रसद	1	3	11	15
11. वन	15	23	67	105
12. सिंचाई	14	16	48	78
योग ..	50	63	563	676

अध्याय 2

वित्त विभाग

बिक्री-कर

2.1. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1984-85 के दौरान बिक्री-कर कार्यालयों के अभिलेखों के जांच-परीक्षण से 930 मामलों में 109.66 लाख रुपयों के कर के अवनिर्धारण तथा ब्याज और अर्थदण्ड के न लगायें जाने अथवा कम लगाये जाने का पता चला, जो स्थूल रूप से निम्नांकित वर्गों के अन्तर्गत आते हैं :

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
1.	छूटों की अनियमित स्वीकृति	173	43.91
2.	कर की गलत दरों का लगाया जाना	145	8.15
3.	ब्याज/अर्थदण्ड का न लगाया जाना अथवा कम लगाया जाना	129	14.37
4.	माल के गलत वर्गीकरण के कारण कम करारोपण	32	2.71
5.	व्यापार (टर्नओवर) के करनिर्धारण से छूट जाने और व्यापार के गलत निर्धारण के कारण कम करारोपण	114	10.85
6.	अतिरिक्त कर न लगाया जाना/कम लगाया जाना	101	3.13
7.	गणना में भूलों के कारण कम करारोपण	49	1.54
8.	विविध	187	25.00
	योग	930	109.66

पूर्ववर्ती वर्षों के मामलों सहित कुछ महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख उत्तरवर्ती प्रस्तरों में किया गया है ।

2.2. रियायत की अनियमित स्वीकृति

(i) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 की धारा 3-जी के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के विभागों अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के स्वामित्व वाले या उसके द्वारा नियंत्रित किसी कम्पनी, निगम या उपक्रम को की गयी बिक्रियों (निर्धारित घोषणा-पत्रों से समर्थित) पर 4 प्रतिशत की रियायती दर पर कर के आरोपण हेतु प्रावधान है बशर्ते माल पुनः नहीं बेचा जाता है अथवा ऐसे विभाग, निगम इत्यादि द्वारा बिक्री हेतु अन्य माल के निर्माण अथवा पैकिंग में प्रयुक्त नहीं किया जाता है । यदि निर्धारित घोषणा-पत्रों के समक्ष इस प्रकार क्रय किया गया माल अपनी स्वयं की आवश्यकताओं हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो विभाग, कम्पनी, निगम या उपक्रम ऐसे माल की बिक्री पर आरोपणीय कर तथा रियायती दर पर आरोपित कर के बीच अन्तर के बराबर की धनराशि का, क्रय कर के रूप में, भुगतान करने के लिए दायी होंगे । बिक्रीकर आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने मार्च 1982 में स्पष्ट किया था कि ऐसे माल के सम्बन्ध में रियायत ग्राह्य नहीं होगी यदि इनका प्रयोग बिजली के प्रजनन में किया गया हो ।

(क) हरद्वार के एक व्यापारी द्वारा विद्युत् ऊर्जा के प्रजनन में रत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् तथा राज्य सरकार के अन्य विभागीय अधिष्ठानों को 1977-78 के दौरान 12,76,24,782 रुपये मूल्य के स्वनिर्मित शक्ति प्रजनन उपस्करों की की गयी बिक्रियों (निर्धारित घोषणा-पत्रों से समर्थित) पर 4 प्रतिशत की रियायती दर पर कर आरोपित किया गया (मार्च 1982) । किन्तु, उपर्युक्त स्पष्टीकरण के अनुसार कर वस्तुतः सामान्य दर पर अर्थात् 30 सितंबर 1977 तक 7 प्रतिशत और उसके बाद 10 प्रतिशत (शक्ति प्रजनन उपस्करों पर लगने वाला) से आरोपणीय था । रियायत की गलत स्वीकृति के फलस्वरूप 60,82,397 रुपयों का कर कम आरोपित हुआ ।

विभाग को मामला अक्तूबर 1982 में प्रतिवेदित किया गया; उनका अंतिम उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

(ख) साहिबाबाद (जिला गाजियाबाद) के एक व्यापारी द्वारा वर्ष 1976-77 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को की गयी 11,87,896 रुपयों की स्वनिर्मित फोम चादरों की बिक्रियों पर निगम द्वारा प्रस्तुत निर्धारित फार्म III-डी में की गई घोषणाओं पर आधारित 4 प्रतिशत की रियायती दर पर कर आरोपित किया गया (फरवरी 1981) । किन्तु निगम ने फोम चादरों का प्रयोग बस की सीटों के निर्माण में किया था । अतएव इस मामले में कर 4 प्रतिशत के बजाय 12 प्रतिशत की सामान्य दर से आरोपणीय था । कम आरोपित कर की धनराशि 95,032 रुपये थी ।

लेखापरीक्षा (जनवरी 1982) में कम आरोपण के इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (मार्च 1985) कि निगम के विरुद्ध 95,032 रुपयों की और मांग सृजित कर दी गई है (जून 1984)। वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 1986)।

सरकार ने, जिसे मामला जनवरी 1982 में प्रतिवेदित किया गया था, विभाग के उत्तर का समर्थन कर दिया है (फरवरी 1986)।

(ग) देहरादून में, एक निगम (सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं) ने फार्म III-डी में निर्धारित घोषणा-पत्रों को प्रस्तुत करके वर्ष 1979-80 के दौरान कर की रियायती दर (एक प्रतिशत अतिरिक्त कर को लेकर 5 प्रतिशत) पर 14,54,060 रुपयों की लीसा की खरीद की और इसका प्रयोग तारपीन के तेल के निर्माण में किया। लीसा का ऐसा प्रयोग करने के लिए, व्यापारी रियायती दर पर खरीदों का अधिकारी नहीं था। वह 8 प्रतिशत (एक प्रतिशत अतिरिक्त कर सहित) की दर पर क्रय कर का भुगतान करने का दायी था। उससे कम वसूल किये गये कर की धनराशि 43,620 रुपये थी। इसके अतिरिक्त, व्यापारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए अर्थदण्ड हेतु दायी था, किन्तु यह आरोपित नहीं किया गया।

विभाग तथा सरकार को मामला जुलाई 1984 में प्रतिवेदित किया गया। सरकार ने जनवरी 1986 में सूचित किया कि विभाग ने फार्म III-डी के समक्ष व्यापार का निर्धारण 18,28,060 रुपयों पर किया और 54,841 रुपयों हेतु अतिरिक्त मांग सृजित की जिसकी नवम्बर 1984 और जनवरी 1985 में वसूली कर ली गयी। अर्थदण्ड आरोपित करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रतीक्षित है।

(ii) उत्तर प्रदेश विक्रीकर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत, 20 मई 1976 से 28 फरवरी 1979 की अवधि के दौरान उपभोक्ताओं को की गई बिक्री के बिन्दु पर जीपों की बिक्री पर 12 प्रतिशत की दर पर कर आरोपणीय था। राज्य या केन्द्रीय सरकार के विभागों, अथवा राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाले अथवा उसके द्वारा नियंत्रित किसी कम्पनी, निगम या उपक्रम को की गयी बिक्रियां 4 प्रतिशत की रियायती दर पर करयोग्य थीं। यह रियायत नगर महापालिकाओं, म्युनिसिपल बोर्डों अथवा जिला परिषदों, इत्यादि को स्वीकार्य नहीं थी।

20 मई 1976 से 31 मार्च 1977 की अवधि के दौरान वाराणसी में एक व्यापारी द्वारा वाराणसी विकास प्राधिकरण, जल संस्थान तथा नगर महापालिका को की गयी 89,921 रुपयों की जीपों की बिक्रियों पर 4 प्रतिशत की

रियायती दर पर कर आरोपित किया गया, यद्यपि कर 12 प्रतिशत की सामान्य दर पर आरोपणीय था क्योंकि ये निकाय कर की रियायती दर के अधिकारी नहीं थे । इसके अतिरिक्त 20 मई 1976 से 31 मार्च 1977 की अवधि के दौरान कुछ अन्य पार्टियों को की गयी 2,14,650 रुपयों की जीपों की बिक्रियों पर कर गलती से 12 प्रतिशत के बजाय 9 प्रतिशत (जो दर ट्रकों और बसों की बिक्री पर लागू थी) की दर से आरोपित किया गया । कर की गलत दरें लगाने के फलस्वरूप 13,633 रुपयों का कर कम आरोपित हुआ । व्यापारी द्वारा कम जमा किये गये कर पर 2 प्रतिशत प्रति मास की दर से ब्याज भी आरोपणीय था ।

लेखापरीक्षा (नवम्बर 1981) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने करनिर्धारण आदेशों को पुनरीक्षित कर दिया (मार्च 1982) और 13,633 रुपयों हेतु अतिरिक्त मांगें सृजित कर दीं; भुगतान की तिथि तक के लिए व्यापारी द्वारा ब्याज का भुगतान भी अपेक्षित था । वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

उपर्युक्त मामले सरकार को दिसम्बर 1981 और जुलाई 1984 के मध्य प्रतिवेदित किये गये; उप-प्रस्तर 2.2(i) (ख) और 2.2 (i) (ग) को छोड़कर अन्य के सम्बन्ध में उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986) ।

2.3. मान्यता प्रमाण-पत्रों की अनियमित अनुमति

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 की धारा 4 बी में कुछ निर्माताओं को (विभाग द्वारा जारी किये गये मान्यता प्रमाणपत्र-धारक), अधिसूचित माल के निर्माण में प्रयोग हेतु अपेक्षित कच्चे माल की उनको की गयी बिक्रियों अथवा, जैसा भी मामला हो, उनके द्वारा की गयी खरीदों के सम्बन्ध में, कर में विशिष्ट छूट/राहत हेतु एक योजना का प्रावधान है । किन्तु, कुछ मालों (कागज सहित) के निर्माण में लगी हुई इकाइयां 31 दिसम्बर 1976 की सरकारी अधिसूचना द्वारा विशिष्ट रूप से उपर्युक्त योजना के अधिकार क्षेत्र से अपवर्जित कर दी गयी थीं ।

(i) 1980-81 से 1982-83 वर्षों के दौरान गाजियाबाद के एक व्यापारी द्वारा कागज के कुछ निर्माताओं (मान्यता प्रमाणपत्र-धारक) को की गयी 29,88,865 रुपयों की रद्दी (पुराने समाचारपत्र) की बिक्रियां अंशतः कर के आरोपण से मुक्त कर दी गयी थीं और अंशतः रियायती दरों पर करारोपित की गयी थीं । चूंकि कागज उद्योग उक्त योजना के अधिकार क्षेत्र से विशिष्ट रूप से अपवर्जित कर दिया गया था, इन निर्माताओं को मान्यता प्रमाणपत्र जारी करना और बाद में रद्दी की बिक्रियों के सम्बन्ध में उनको स्वीकृत की गयी

कर में मुक्ति/रियायत अनियमित थी । इस अनियमितता के फलस्वरूप 1,75,833 रुपयों के कर की वसूली नहीं हुई ।

(ii) गाजियाबाद में, कागज के एक निर्माता व्यापारी को मान्यता प्रमाणपत्र स्वीकृत किया गया । इस प्रमाण-पत्र की सहायता से उसने वर्ष 1982-83 के दौरान 2,77,500 रुपये मूल्य का कच्चा माल कर का भुगतान किये बिना खरीदा । क्योंकि व्यापारी कागज के निर्माण में लगा हुआ था, उपर्युक्त प्राव-धानों के अनुसार उसे मान्यता प्रमाण-पत्र प्रदान नहीं किया जाना चाहिए था । मान्यता प्रमाण-पत्र प्रदान करने की गलती के फलस्वरूप व्यापारी से 22,200 रुपयों (8 प्रतिशत की दर से) के कर की वसूली नहीं हुई ।

विभाग और सरकार को उपर्युक्त मामले जनवरी 1985 में प्रति-वेदित किये गये । उप-प्रस्तर (ii) के मामले में सरकार ने बताया (फरवरी 1986) कि अधिनियम की धारा 3-बी के अन्तर्गत नोटिस जारी किये जाने पर क्रेता व्यापारी ने बिक्री-कर न्यायाधिकरण में अपील कर दी है (फरवरी 1985) जिसके निर्णय की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986) । अन्य मामले में उत्तर की प्रतीक्षा है ।

2.4. कर के आरोपण से मुक्ति की अनियमित स्वीकृति

(i) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 में कुछ निर्माताओं को (मान्यता प्रमाण-पत्रों के धारक) कुछ अधिसूचित माल के निर्माण हेतु उनके द्वारा की गयी कच्चे माल की खरीदों पर कर में विशिष्ट सहायता हेतु प्रावधान है । अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गयी 31 अगस्त 1978 की एक अधिसूचना द्वारा रोलर आटा मिलों द्वारा निर्मित आटा, मैदा और सूजी पहली सितम्बर 1978 से अधिसूचित माल घोषित कर दिये गये और, इसलिए, मान्यता प्रमाण-पत्र धारक किसी रोलर आटा मिल द्वारा इन मदों के निर्माण हेतु खरीदा गया गेहूं उस तिथि से कर के आरोपण से मुक्त था ।

मथुरा मण्डल में, एक व्यापारी को, जिसे 4 अक्तूबर 1978 से आटा, मैदा और सूजी निर्मित करने के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया था, पहली सितम्बर 1978 से 3 अक्तूबर 1978 की अवधि अर्थात् उस तिथि, जिस तिथि को उसे मान्यता प्रमाणपत्र स्वीकृत किया गया था, से पूर्व की अवधि के दौरान 10,62,512 रुपये मूल्य के गेहूं की खरीदों पर गलत छूट प्रदान की गयी । मुक्ति की अनियमित स्वीकृति के फलस्वरूप 42,500 रुपये (4 प्रतिशत से) कर की वसूली नहीं हुई । कर की उपर्युक्त धनराशि पर 2 प्रतिशत प्रति मास की दर पर ब्याज भी प्रभार्य था ।

लेखापरीक्षा (जुलाई 1983) में गलती के इंगित किये जाने पर विभाग ने 42,500 रुपयों की मांग सृजित कर दी। उस धनराशि के भुगतान की तिथि तक व्यापारी से ब्याज का भुगतान भी अपेक्षित था। वसूली का रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 1986)।

(ii) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 की धारा 4बी के अंतर्गत 30 जुलाई 1976 को जारी की गयी सरकारी अधिसूचना द्वारा ताला-संयोजकों (सामान्यतया 'कारीगरों' के रूप में परिचित) द्वारा अथवा उनको की गई सभी प्रकार के तालों के पुर्जों की खरीदें अथवा बिक्रियां पहली अगस्त 1976 से कर के आरोपण से मुक्त कर दी गयीं बशर्तें कि उन पुर्जों से संयोजित ताले उत्तर प्रदेश राज्य के अन्दर किसी पंजीकृत व्यापारी को बेचे गये हों।

वर्ष 1978-79 के दौरान वाराणसी के एक निर्माता द्वारा की गयीं 1,85,907 रुपयों की तालों के पुर्जों की बिक्रियां कर के आरोपण से मुक्त कर दी गयीं। स्वीकृत मुक्ति उचित नहीं थी क्योंकि बिक्रियां "कारीगरों" को नहीं की गयी थीं अपितु कुछ अन्य व्यापारियों को की गयी थीं जो बड़े पैमाने पर तालों का निर्माण कर रहे थे। मुक्ति की अनियमित स्वीकृति के फलस्वरूप 13,013 रुपयों के कर की वसूली नहीं हुई।

लेखापरीक्षा (जनवरी 1984) में अनियमितता के इंगित किये जाने पर विभाग ने फरवरी 1984 में 13,013 रुपयों की मांग सृजित कर दी। वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 1986)।

(iii) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत, पहली दिसम्बर 1980 के पूर्व 'लोहा और इस्पात' (केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 (4) के अन्तर्गत यथा परिभाषित) उपभोक्ताओं को बिक्री के बिन्दु पर करयोग्य थे। किन्तु, कास्ट आइरन पाइप, चैनेल और लोहे की जालियां उपर्युक्त वर्ग के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं की गयी थीं और निर्माताओं अथवा आयातकर्ताओं द्वारा बिक्री के बिन्दु पर अवर्गीकृत मदों के रूप में 7 प्रतिशत की दर से करयोग्य थीं। इसके अतिरिक्त, एक प्रतिशत का अतिरिक्त कर भी आरोपणीय था।

वर्ष 1978-79 के दौरान गोरखपुर के एक निर्माता द्वारा की गयी 1,97,598 रुपयों की कास्ट आइरन पाइप, चैनेल और लोहे की जालियों की बिक्रियां, माल को उपभोक्ताओं को बिक्री के बिन्दु पर करयोग्य मानते हुए, गलत रूप से कर के आरोपण से मुक्त कर दी गयीं। इस गलती के फलस्वरूप 15,808 रुपयों के कर की वसूली नहीं हुयी। इसके अतिरिक्त, कर का भुगतान न करने हेतु व्यापारी से 2 प्रतिशत प्रति मास की दर से ब्याज भी वसूली योग्य था।

लेखापरीक्षा (नवम्बर 1982) में अनियमितता के इंगित किये जाने पर विभाग ने 15,808 रुपयों हेतु मांग सृजित कर दी, जो 5 जनवरी 1983 को वसूल भी कर ली गयी । ब्याज की वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

(iv) केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत, फार्म सी अथवा डी में निर्धारित घोषणाओं द्वारा समर्थित माल की अन्तर्राज्यीय बिक्रियां पर 4 प्रतिशत की रियायती दर पर कर आरोपणीय है । उन मामलों में जिनमें किसी अन्तर्राज्यीय बिक्री से या तो एक राज्य से दूसरे राज्य में ऐसे माल के संचलन का अवसर उत्पन्न हो गया हो अथवा अन्तर्राज्यीय बिक्री एक राज्य से दूसरे राज्य में माल के संचलन के दौरान ऐसे माल के आगम प्रलेखों (डाकूमेन्ट्स आफ टाइटिल) के हस्तांतरण द्वारा की गयी हो तो ऐसे संचलन के दौरान की गई कोई बाद की बिक्री कर के आरोपण से मुक्त रहती है बशर्ते कि ऐसी बाद की बिक्री, फार्म सी अथवा डी में घोषणाओं के अतिरिक्त, फार्म-ई-1 अथवा ई-2 में निर्धारित प्रलेखों द्वारा समर्थित हो । घोषित माल की अन्तर्राज्यीय बिक्रियों पर, जो निर्धारित घोषणाओं (फार्म सी अथवा डी में) से समर्थित नहीं हैं, राज्य बिक्री-कर विधि के अन्तर्गत राज्य के अन्दर ऐसे माल की बिक्री या खरीद के सम्बन्ध में लागू दर की दुगुनी दर से कर आरोपणीय है ।

आगरा में, वर्ष 1976-77 के दौरान की गयीं 2,57,560 रुपये मूल्य की एक व्यापारी की दालों (घोषित माल) की बाद की बिक्रियां (उस समय निष्पादित की गयीं बिक्रियां जब कि माल अन्तर्राज्यीय बिक्री के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश से उड़ीसा, आसाम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिये संचलन में थे) केवल फार्म ई-I के प्रलेखों के आधार पर, कर के आरोपण से मुक्त कर दी गयीं । मुक्ति की स्वीकृति अनियमित थी, क्योंकि बिक्रियां फार्म सी में निर्धारित घोषणा से समर्थित नहीं थीं । मुक्ति की अनियमित स्वीकृति के फलस्वरूप 20,600 रुपयों के कर की वसूली नहीं हुयी । निर्धारित अवधि के अन्दर कर का भुगतान न करने के लिये व्यापारी से ब्याज भी वसूलीयोग्य था ।

लेखापरीक्षा (अप्रैल 1981) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जून 1981 में 20,853 रुपयों की मांग सृजित कर दी गयी । व्यापारी को 2 सितम्बर 1976 से ब्याज जमा करने के लिये भी निर्देशित कर दिया गया । निर्धारण आदेश के विरुद्ध व्यापारी द्वारा दायर की गयी अपील मई 1983 में खारिज कर दी गयी थी । वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986) ।

(v) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत दिसम्बर 1979 में जारी की गयी सरकारी अधिसूचना के अनुसार 7 दिसम्बर 1979 से सभी प्रकार के ट्रेलरों की बिक्रियों पर निर्माता या आयातकर्ता द्वारा बिक्री के बिन्दु पर 9 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है ।

कानपुर में, वर्ष 1980-81 के दौरान एक व्यापारी द्वारा की गयी 1,65,436 रुपयों के स्वनिर्मित ट्रेलरों/ट्रालियों की बिक्रियां, उनको 'मनुष्य या पशु शक्ति से चलने वाले कृषीय उपकरण' मानते हुये, कर के आरोपण से गलत रूप से मुक्त कर दी गयीं । छूट की गलत स्वीकृति के फलस्वरूप 16,544 रुपयों (अतिरिक्त कर सहित) के कर की वसूली नहीं हुयी । व्यापारी कर का भुगतान न करने के लिये 2 प्रतिशत प्रति मास की दरसे ब्याज के भुगतान के लिये भी दायी था ।

लेखापरीक्षा (दिसम्बर 1983) में गलती के इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (अगस्त 1985) कि हस्तनिर्मित किसान ट्रालियां कृषीय उपकरणों के वर्ग के अन्तर्गत आती हैं जो कर के आरोपण से मुक्त हैं । विभाग को यह बताया गया (अक्तूबर 1985) कि 7 दिसम्बर 1979 से 'सभी प्रकार के ट्रेलर' (जिसमें हस्त-निर्मित ट्रालियां सम्मिलित हैं) को एक अलग प्रविष्टि के समाविष्ट किये जाने से अब माल को "मानव अथवा पशु शक्ति से चलने वाले कृषीय उपकरण" के रूप में नहीं माना जा सकता । भूल-सुधार किये जाने की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

(vi) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत, "सूती कालीनों" की बिक्री पर 31 मई 1975 तक 4 प्रतिशत (बिक्री के सभी बिन्दुओं पर), जून 1975 से मार्च 1976 के दौरान 5 प्रतिशत (उपभोक्ताओं को बिक्री के बिन्दु पर) और पहली अप्रैल 1976 से आगे 6 प्रतिशत (उपभोक्ता को बिक्री के बिन्दु पर) की दर से कर आरोपणीय था । "सूती कालीन" की अन्तर्राज्यीय बिक्रियों पर, यदि ऐसी बिक्रियां फार्म 'सी' अथवा 'डी' में घोषणाओं से समर्थित नहीं थी, 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था ।

कानपुर में, 1975-76 तथा 1976-77 वर्षों के दौरान एक व्यापारी द्वारा की गयीं सूती कालीनों की 9,38,752 रुपयों की स्थानीय बिक्रियों और 23,75,402 रुपयों की अन्तर्राज्यीय बिक्रियों (फार्म सी अथवा डी में घोषणाओं से समर्थित नहीं) पर करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा, वस्तु को सूती कपड़े (जिसकी बिक्री कर के आरोपण से मुक्त है) मानते हुए, गलती से कर आरोपित नहीं किया गया । गलती के फलस्वरूप 2,96,631 रुपयों (अतिरिक्त कर सहित) के कर की वसूली नहीं हुई । इसके अतिरिक्त, प्राप्य कर का भुगतान न करने के लिए, व्यापारी 2 प्रतिशत प्रति मास की दर से ब्याज अदा करने का भी दायी था ।

विभाग को मामला मई 1981 और नवम्बर 1981 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

सरकार को उपर्युक्त मामले अप्रैल 1981 और फरवरी 1985 के मध्य प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986) ।

2.5. अर्थदण्ड का अनारोपण अथवा कम आरोपण

(क) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 में अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित कुछ वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग हेतु अपेक्षित कच्चे माल की खरीदों पर, कुछ निर्माताओं को कर के आरोपण से विशिष्ट छूट प्रदान करने हेतु एक योजना का प्रावधान है । इस प्रकार से निर्मित माल का, राज्य के अन्दर अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान अथवा भारत के बाहर निर्यात के दौरान बेचा जाना अपेक्षित है । इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, व्यापारी, अर्थदंड के रूप में, एक ऐसी धनराशि अदा करने का भागी होता है जो उस कर से कम न हो जो राज्य में ऐसे अधिसूचित माल के विक्रय मूल्य पर देय होता, और ऐसे कर की धनराशि के तीन गुने से अधिक न हो । पहली नवम्बर 1978 के पूर्व आरोपणीय अर्थदण्ड ऐसे कच्चे माल की खरीद पर अपवंचित कर की धनराशि के बराबर था ।

(i) रुद्रपुर (जिला नैनीताल) में, मान्यता प्रमाण-पत्रधारक तीन व्यापारियों ने 1981-82 वर्ष के दौरान फार्म III-बी में निर्धारित घोषणाओं के बल पर कर का भुगतान किये बिना स्वयं खरीदे हुए धान (मूल्य 41,17,716 रुपये) से 51,90,304 रुपये मूल्य का चावल तैयार किया और चावल की सम्पूर्ण मात्रा अन्तर्राज्यीय बिक्री से अन्यथा कन्साइनमेन्ट के आधार पर राज्य के बाहर स्थानान्तरित कर दिया । परिणामत: ये व्यापारी चावल के विक्रय मूल्य पर आधारित अर्थदण्ड का भुगतान करने के दायी बन गये । किन्तु, विभाग ने धान के क्रय मूल्य के आधार पर अर्थदण्ड आरोपित किया जो राज्य से बाहर स्थानान्तरित चावल के विक्रय मूल्य की अपेक्षा कम था । गलती के फलस्वरूप 42,903 रुपयों का अर्थदण्ड कम आरोपित हुआ ।

लेखापरीक्षा (सितम्बर 1983) में भूल के इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (मार्च 1985) कि 42,903 रुपयों का और अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है । वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

(ii) हाथरस (जिला अलीगढ़) में, तेल के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्रधारक एक व्यापारी ने 2 प्रतिशत की रियायती दर पर कर का भुगतान करके 7,55,440 रुपये (1977-78 के दौरान 1,37,600 रुपये और 1978-79 के दौरान 6,17,840 रुपये), मूल्य के तिलहनों की खरीद की । उसने

उनसे निर्मित तेल उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन करके कन्साइनमेन्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर स्थानान्तरित कर दिया । फलस्वरूप, व्यापारी 16,604 रुपयों के न्यूनतम अर्थदण्ड का भुगतान करने का दायी हो गया जो आरोपित नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा (जून 1983) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने 16,604 रुपयों का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया (मई, 1985) । वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

(iii) लखनऊ में, मान्यता प्रमाणपत्र-धारक एक व्यापारी ने करनिर्धारण वर्ष 1979-80 के दौरान जल पम्पों और निकास पंखों (इग्जास्ट फैन्स) (अधिसूचित माल) के निर्माण में प्रयोग हेतु कर का भुगतान किये बिना, कच्चे माल की खरीद की और 4,09,609 रुपये मूल्य के निर्मित पदार्थों को कन्साइनमेन्ट के आधार पर राज्य के बाहर स्थानान्तरित कर दिया । चूंकि यह स्थानान्तरण एक अन्तर्राज्यीय बिक्री के रूप में नहीं था, व्यापारी 38,421 रुपये का न्यूनतम अर्थदण्ड अदा करने का भागी बन गया, किन्तु करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा (अगस्त 1982) में भूल के इंगित किये जाने पर विभाग ने 57,632 रुपये का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया । वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

(iv) कानपुर में मान्यता प्रमाणपत्र-धारक एक व्यापारी ने वर्ष 1979-80 के दौरान इस्पात के तार के निर्माण में प्रयोग हेतु कच्चे माल के रूप में, कर का भुगतान किये बिना, लोहा और इस्पात खरीदा और 8,14,318 रुपये मूल्य के निर्मित उत्पादनों को कन्साइनमेण्ट के आधार पर राज्य के बाहर स्थानान्तरित कर दिया । क्योंकि माल राज्य के अन्दर अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान अथवा भारत के बाहर निर्यात के दौरान नहीं बेचा गया था, अतः व्यापारी 32,573 रुपये का न्यूनतम अर्थदण्ड अदा करने का दायी बन गया, किन्तु अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया ।

विभाग को मामला दिसम्बर 1983 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

(v) कानपुर में, वर्ष 1981-82 के दौरान, प्लास्टिक के फीतों (स्ट्रैप्स) के एक निर्माता ने फार्म III-बी में निर्धारित घोषणाओं के बल पर, कर का भुगतान किये बिना, कच्चे माल की खरीद की । किन्तु, व्यापारी ने प्लास्टिक फीतों (खरीदे हुए कच्चे माल के प्रयोग द्वारा निर्मित) के 2,80,450 रुपये

मूल्य के एक भाग को अन्तर्राज्यीय बिक्री से अन्यथा, कन्साइनमेन्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश के बाहर स्थानान्तरित कर दिया । करमुक्त खरीदों की शर्त का उल्लंघन करने हेतु वह 22,436 रुपयों के न्यूनतम अर्थदण्ड का भुगतान करने का दायी था, किन्तु यह आरोपित नहीं किया गया ।

विभाग को मामला फरवरी 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986) ।

(vi) अलीगढ़ में, वर्ष 1980-81 के दौरान, तेल के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाणपत्र-धारक एक व्यापारी ने घोषणाओं (फार्म III-बी और III-सी I में) के बल पर 2 प्रतिशत की कर की रियायती दर पर 2,04,30,606 रुपये मूल्य के तिलहनों की खरीद की । उसने 1,10,37,277 रुपये धनराशि के तिलहनों की करदत्त खरीदें भी की थीं। जब कि तेल का एक भाग (इन तिलहनों से निर्मित) उत्तर प्रदेश में और अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बेचा गया, 2,05,46,464 रुपये मूल्य का (तेल का) अन्य भाग कन्साइनमेन्ट के आधार पर राज्य के बाहर स्थानान्तरित कर दिया गया । तिलहनों की करदत्त खरीदों से उत्पादित तेल हेतु पूर्ण लाभ प्रदान करने पर, यह देखा गया कि उसने 1980-81 के दौरान 1,10,00,000 रुपये मूल्य का तेल (कर की रियायती दर पर खरीदे गये तिलहनों से निर्मित) अनियमित रूप से कन्साइनमेन्ट के आधार पर राज्य के बाहर स्थानान्तरित कर दिया । इस प्रकार व्यापारी 4 प्रतिशत (एक प्रतिशत अतिरिक्त कर सहित) की दर से आगणित 4,40,000 रुपये का अर्थदण्ड अदा करने का दायी हो गया जो आरोपित नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा (सितम्बर 1984) में अनियमितता के इंगित किये जाने पर करनिर्धारण अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 4-बी (6) के अन्तर्गत व्यापारी को एक नोटिस जारी कर दिया (14 अगस्त 1985 को) और व्यापारी ने इसके विरुद्ध अपील कर दी ।

सरकार ने, जिसे मामला जनवरी 1985 में प्रतिवेदित किया गया था, फरवरी 1986 में बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने अन्य आदेश होने तक स्थगन आदेश स्वीकृत कर दिया है ।

(ख) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत, यदि खरीदे गये कच्चे माल, उस प्रयोजन से जिसके लिए मान्यता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया था, अन्यथा प्रयुक्त किये जाते हैं तो व्यापारी ऐसे कच्चे माल की खरीदों में उसके द्वारा कर में प्राप्त की गयी सहायता की धनराशि के बराबर न्यूनतम अर्थदण्ड अदा करने का भागी बन जाता है ।

(i) गाजियाबाद में, लोहा और इस्पात के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाणपत्र-धारक एक व्यापारी ने फार्म III-बी में निर्धारित घोषणायें प्रस्तुत करके वर्ष 1978-79 के दौरान 1,89,55,964 रुपये मूल्य का लोहा और इस्पात कर का भुगतान किये बिना खरीदा । उपर्युक्त खरीदों में से 25 लाख रुपये मूल्य के माल का उपयोग मशीनरी के पुर्जों, जो अधिसूचित माल नहीं थे, के निर्माण में किया गया था । मान्यता प्रमाण-पत्र की स्वीकृति हेतु शर्तों को भंग करने के लिए व्यापारी 1,00,000 रुपये के न्यूनतम अर्थदण्ड के भुगतान का भागी था, किन्तु उस पर अर्थदण्ड नहीं लगाया गया ।

लेखापरीक्षा (जनवरी 1982) में भूल के इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (मार्च 1985) कि उक्त अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत व्यापारी के विरुद्ध सृजित (30 सितम्बर 1983 को) 1,00,000 रुपयों की मांग अपीलीय प्राधिकारी द्वारा रद्द कर दी गयी है । अपीलीय अधिकारी ने 28 सितम्बर 1984 के अपने आदेशों में निर्णय दिया था कि चूंकि यह मामला अधिनियम की धारा 4-बी (5) के अन्तर्गत आता है और धारा 21 के अन्तर्गत नहीं, धारा 21 के अन्तर्गत आरोपित अर्थदण्ड अनियमित था । विभाग द्वारा आगे कृत कार्यवाही की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986) ।

(ii) लखनऊ में, लोहा और इस्पात तथा हार्डवेयर के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाणपत्रधारी एक व्यापारी ने फार्म III-बी में निर्धारित घोषणा प्रस्तुत करके 1977-78 और 1978-79 वर्षों के दौरान, कर का भुगतान किये बिना 87,22,446 रुपये मूल्य का कच्चा माल खरीदा । इसमें से, 14,19,434 रुपये मूल्य के कच्चे माल का उपयोग हार्डवेयर के निर्माण में किया गया । जहां तक हार्डवेयर के निर्माण हेतु कच्चे माल की खरीद का सम्बन्ध था, प्रस्तुत की गयी घोषणा गलत थी क्योंकि वह 4 प्रतिशत की रियायती दर पर कच्चे माल की खरीद का अधिकारी था न कि करमुक्त खरीद का । गलत घोषणा प्रस्तुत करने के लिए व्यापारी 56,777 रुपयों का अर्थदण्ड अदा करने का भागी था, किन्तु अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा (जून 1982) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने व्यापारी के विरुद्ध 56,777 रुपयों की मांग सृजित कर दी (दिसम्बर 1984) । वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

(iii) कानपुर में, एक व्यापारी ने, जिसे पैकिंग सामग्री (डिब्बों तथा आधानों सहित) के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया था, फार्म III-बी में इस आशय की निर्धारित घोषणायें प्रस्तुत करके कि कच्चे माल का प्रयोग लोहे की बाल्टियों के निर्माण में किया जायेगा, 1978-79 तथा 1979-80 वर्षों के दौरान 4,73,796 रुपये मूल्य का लोहा और इस्पात

(कर का भुगतान किये बिना) खरीदा । किन्तु लोहे की बाल्टियां अधिसूचित माल नहीं हैं । इस प्रकार निर्माता गलत घोषणा जारी करने के लिए अर्थ-दण्ड का भुगतान करने का भागी था, किन्तु अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा (नवम्बर 1982) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने करनिर्धारण आदेश पुनरीक्षित कर दिया और सितम्बर 1983 तथा दिसम्बर 1983 में 18,951 रुपये हेतु मांग सृजित कर दी । वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

(iv) बिक्री-कर मण्डल मेरठ में, मान्यता प्रमाणपत्र-धारक एक निर्माता ने फार्म III-बी में घोषणायें प्रस्तुत करके 1979-80 वर्ष के दौरान 4,60,988 रुपयों का लोहा और इस्पात (कर का भुगतान किये बिना) खरीदा । उसने इस माल का प्रयोग चीनी मिल मशीनरी के पुर्जों के निर्माण में किया, जो अधिसूचित वस्तुएं नहीं हैं । मिथ्या घोषणायें प्रस्तुत करके करमुक्त खरीदें करने के लिए व्यापारी 18,440 रुपयों का अर्थदण्ड अदा करने का भागी था, किन्तु अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा (अप्रैल 1983) में भूल के इंगित किये जाने पर विभाग ने 3,05,523 रुपये धनराशि की खरीदों (लोहा और इस्पात की) के संबंध में निर्माता के विरुद्ध 12,220 रुपयों हेतु मांग सृजित कर दी (सितम्बर 1984), जो जनवरी 1985 में उसके द्वारा जमा कर दी गयी । साथ ही साथ, सितम्बर1984 में विक्रेता व्यापारी के विरुद्ध 1,55,465 की शेष खरीदों हेतु 6,220 रुपयों की मांग सृजित कर दी गयी क्योंकि उसने घोषणा फार्मों पर अंकित अनुदेशों के अनुसार कर की वसूली नहीं की थी । उस पर अर्थदण्ड आरोपित करने की भी कार्यवाही की जा रही बतायी गयी है । वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

सरकार को उपर्युक्त मामले जनवरी 1982 और फरवरी 1985 के मध्य प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986) ।

2.6. माल के गलत वर्गीकरण के कारण कर का कम आरोपण

(i) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 'ब्लाक ग्लास' की बिक्री पर, 7 दिसम्बर 1979 से 6 सितम्बर 1981 की अवधि के दौरान निर्माता या आयातकर्ता द्वारा बिक्री के बिन्दु पर 13 प्रतिशत (एक प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर सहित) की दर से कर आरोपणीय था ।

कानपुर में, वर्ष 1980-81 के दौरान एक व्यापारी द्वारा की गयी 2,95,184 रुपयों की ब्लाक ग्लास की बिक्रियों पर 13 प्रतिशत के बजाय 8 प्रतिशत की दर से (बिक्रियों को अनिर्दिष्ट मद के रूप में मानकर) कर गलत आरोपित किया गया । गलती के फलस्वरूप 14,759 रुपयों का कर कम आरोपित हुआ । कर के कम भुगतान हेतु व्यापारी से ब्याज भी प्रभार्य था ।

विभाग को मामला अक्तूबर 1983 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

(ii) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत, 'प्लास्टिक तार' की बिक्री पर निर्माता या आयातकर्ता द्वारा बिक्री के बिन्दु पर 8 प्रतिशत (एक प्रतिशत अतिरिक्त कर सहित) की सामान्य दर पर कर आरोपणीय है ।

बिक्री-कर मण्डल वाराणसी में, 1979-80 करनिर्धारण वर्ष के दौरान एक व्यापारी द्वारा की गयी 2,49,190 रुपये की स्वनिर्मित प्लास्टिक तार की बिक्रियों पर 8 प्रतिशत के बजाय 3 प्रतिशत की दर पर (जो दर 'सभी प्रकार के सूत' के सम्बन्ध में लागू है) कर गलत आरोपित किया गया । 'सूत' (यार्न) से अभिप्राय वयन (वीविंग), बुनाई (निटिंग) अथवा रस्सी बनाने के लिए तैयार किये गये कते हुए सूत अथवा तन्तु जैसे ऊनी, सिल्क, सूती, नाइलोन इत्यादि से है । चूंकि व्यापारिक नाम 'पाली यार्न' के अन्तर्गत बेचा गया प्लास्टिक का तार, प्लास्टिक पाउडर, पालीथीन पाउडर और रासायनिकों इत्यादि से निर्मित किया गया था, इसे सूत के रूप में नहीं माना जा सकता था और एक अवर्गीकृत मद की भांति 8 प्रतिशत की सामान्य दर से करयोग्य था । इस गलती के फलस्वरूप 12,459 रुपयों का कर कम आरोपित हुआ । निर्धारित अवधि के अन्दर कर का भुगतान न करने के लिए व्यापारी पर ब्याज भी आरोपणीय था ।

लेखापरीक्षा (दिसम्बर 1983) में भूल के इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (अप्रैल 1985) कि करनिर्धारण आदेश पुनरीक्षित कर दिया गया है (फरवरी 1984) और 12,459 रुपयों हेतु अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गयी है । ब्याज के आरोपण हेतु भी आदेश जारी कर दिये गये बताये गये ।

सरकार को उपर्युक्त मामले अक्तूबर और दिसम्बर 1983 में प्रतिवेदित किये गये; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

2.7. कर की गलत दरों का लगाना

(i) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत सरकार द्वारा जारी की गयी एक अधिसूचना द्वारा तेंदू पत्तों पर आरोपणीय कर की दर (निर्माता या आयातक द्वारा बिक्री के बिन्दु पर) 7 सितम्बर 1981 से पुनरीक्षित करके 7 प्रतिशत से 10 प्रतिशत कर दी गयी ।

बिक्री-कर मण्डल राबर्ट्सगंज (जिला मिर्जापुर) में, सितम्बर 1981 से मार्च 1982 की अवधि के दौरान उप अरण्यपाल, वन प्रभाग, ओबरा (जिला मिर्जापुर) द्वारा की गयी 19.76,699 रुपयों की तेन्दू पत्तों की बिक्रियों पर 10 प्रतिशत की सही दर के बजाय 8 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया । भूल के फलस्वरूप 39,534 रुपयों के कर का अवनिर्धारण हुआ । कर के कम भुगतान हेतु व्यापारी पर 2 प्रतिशत प्रति मास की दर से ब्याज भी आरोपणीय था ।

लेखापरीक्षा (सितम्बर 1984) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग भूल का सुधार करने के लिए सहमत हो गया (सितम्बर 1984) । सुधार की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

(ii) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत, "सोडा वाटर, नीबू शरबत (लेमोनेड) और अन्य मृदु पेयों" की बिक्री पर पहली मार्च 1979 से 6 सितम्बर 1981 की अवधि के दौरान निर्माता या आयातक द्वारा बिक्री के बिन्दु पर 11 प्रतिशत (एक प्रतिशत अतिरिक्त कर सहित) की दर से कर आरोपणीय था ।

झांसी में वर्ष 1979-80 के दौरान एक व्यापारी द्वारा की गयी 5,20,000 रुपयों की 'नोवा कोला तथा अन्य मृदु पेयों' की बिक्रियों पर 11 प्रतिशत की सही दर के बजाय 8 प्रतिशत से कर आरोपित किया गया । भूल के फलस्वरूप 15,600 रुपयों के कर का अवनिर्धारण हुआ । इसके अतिरिक्त, निर्धारित अवधि के अन्दर कर का भुगतान न करने हेतु व्यापारी पर ब्याज भी आरोपणीय था ।

विभाग को मामला मार्च 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

(iii) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत जारी की गयी 7 सितम्बर 1981 की सरकारी अधिसूचना के अनुसार भांग की बिक्री पर 7 सितम्बर 1981 से 14 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है ।

लखनऊ में, 1982-83 वर्ष के दौरान एक व्यापारी द्वारा की गयी 7 लाख रुपयों (करनिर्धारण अधिकारी द्वारा स्वविवेक के आधार पर निश्चित) की मांग की बिक्रियों पर 14 प्रतिशत की सही दर के बजाय 12 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया। इस गलती के फलस्वरूप 14,000 रुपयों का कर कम आरोपित हुआ।

विभाग को मामला मार्च 1985 में प्रतिवेदित किया गया। विभाग ने बताया (फरवरी 1986) कि 14,000 रुपयों की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गयी है। वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 1986)।

(iv) केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निर्धारित घोषणापत्रों से असमर्थित, अघोषित माल की अन्तर्राज्यीय बिक्रियों पर, 10 प्रतिशत की दर से अथवा राज्य के बिक्री-कर कानूनों के अन्तर्गत राज्य के अन्दर लागू दर से, जो भी उच्चतर हो, कर आरोपणीय है। और, उत्तर प्रदेश मोटर स्पिरिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत, विकृत स्पिरिट (एक अघोषित वस्तु) की बिक्रियों पर, प्रथम दस लाख लीटरों पर 40 पैसे प्रति लीटर और दस लाख लीटरों से अधिक मात्रा हेतु 20 पैसे प्रति लीटर की दर से कर आरोपणीय है। बिक्री-कर आयुक्त ने विकृत स्पिरिट की उन अन्तर्राज्यीय बिक्रियों पर जो निर्धारित घोषणापत्रों से समर्थित नहीं हैं, इन दरों पर कर आरोपित करने के लिए करनिर्धारण अधिकारियों को समय-समय पर (अंतिम बार 8 मार्च 1982 को) अनुदेश जारी किये।

बिक्री-कर मण्डल, सीतापुर में, 1977-78 वर्ष के दौरान एक व्यापारी द्वारा की गयी 3,39,138 रुपये (निर्धारित घोषणापत्रों से समर्थित नहीं) मूल्य की 3,16,998 लीटर विकृत स्पिरिट की अन्तर्राज्यीय बिक्रियों पर 40 पैसे प्रति लीटर की दर से आरोपणीय 1,26,799 रुपयों के समक्ष 40,696 रुपयों का कर आरोपित किया गया। भूल के फलस्वरूप 86,103 रुपयों के कर का अवनिर्धारण हुआ।

लेखापरीक्षा (जून 1983) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने करनिर्धारण आदेश पुनरीक्षित कर दिया (सितम्बर 1984) और 86,103 रुपयों की और मांग सृजित कर दी। वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 1986)।

(v) केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत, पहली जुलाई 1975 से 'सी' और 'डी' फार्मों में निर्धारित घोषणापत्रों से असमर्थित, घोषित माल की अन्तर्राज्यीय बिक्रियों पर राज्य विधि के अन्तर्गत ऐसे माल की बिक्री या खरीद के विषय में लागू दर की दुगुनी दर से कर आरोपणीय था।

(क) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत, आयरन डिस्क (घोषित माल) की बिक्रियों पर 30 जून 1975 तक 3 प्रतिशत और उसके बाद 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था ।

बरेली में, वर्ष 1975-76 (30 जून 1975 के बाद) के दौरान एक व्यापारी द्वारा की गयी 5,25,000 रुपयों की 'आयरन डिस्क' की बिक्रियों (फार्म सी अथवा डी में घोषणा से समर्थित नहीं) पर 8 प्रतिशत के बजाय 4 प्रतिशत की दर से गलत कर आरोपित किया गया (नवम्बर 1979) । भूल के फलस्वरूप 21,000 रुपयों का कर कम आरोपित हुआ । कर के कम भुगतान हेतु व्यापारी पर ब्याज भी आरोपणीय था ।

विभाग को मामला जनवरी 1981 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986) ।

(ख) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत, लोहा और इस्पात (घोषित माल) की बिक्री पर 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था ।

मेरठ में, 1979-80 और 1980-81 वर्षों के दौरान एक व्यापारी द्वारा की गयी 8,00,000 रुपयों की लोहा और इस्पात की अन्तर्राज्यीय बिक्रियों (फार्म सी अथवा डी में घोषणाओं से समर्थित नहीं) पर 8 प्रतिशत के बजाय 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया । भूल के फलस्वरूप 32,000 रुपयों का कर कम आरोपित हुआ ।

लेखापरीक्षा (मई 1984) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने 32,000 रुपयों हेतु अतिरिक्त मांग सृजित कर दी; वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

सरकार ने, जिसे मामला अगस्त 1984 में प्रतिवेदित किया गया था, विभाग की कार्यवाही का समर्थन कर दिया है (दिसम्बर 1985) ।

सरकार को उपर्युक्त मामले जनवरी 1981 और मार्च 1985 के बीच प्रतिवेदित किये गये; उप प्रस्तर (v) (ख) को छोड़कर अन्य के सम्बन्ध में उनका उत्तर प्रतीक्षित है ।

2.8. विक्रय व्यापार (सेल्स टर्नओवर) का छिपाया जाना

राज्य अधिनियम की धारा 15ए (I) (सी) के साथ पठित केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9(2ए) के अंतर्गत, यदि कोई व्यापारी अपने व्यापार के विवरण छिपाता है तो वह कर के अतिरिक्त, अर्थदण्ड के रूप में, एक ऐसी धनराशि

अदा करने का भागी होगा जो इस प्रकार से बचाये गये होते कर की धनराशि के पचास प्रतिशत से कम किन्तु डेढ़ गुने से अधिक नहीं होगी ।

आगरा में, वर्ष 1977-78 के दौरान, एक व्यापारी ने, फार्म III-ए में घोषणायें प्रस्तुत करके 18,09,968 रुपये मूल्य का खाद्यान्न खरीदा और सम्पूर्ण मात्रा अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बेच दी । अन्तर्राज्यीय बिक्रियां फार्म 'सी' अथवा 'डी' में घोषणाओं से आवृत्त नहीं थीं । किन्तु, व्यापारी ने अपने परिलेखों में केवल 15,09,368 रुपयों की खरीदों का लेखा शामिल किया था । 3,00,600 रुपयों की खरीदों के कम लेखे-जोखे, जो कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा नहीं पकड़ा गया, के फलस्वरूप 3,03,606 रुपयों (एक प्रतिशत लाभ तत्व जोड़ने के बाद) की तदनुरूपी अन्तर्राज्यीय बिक्रियां कर के आरोपण से छूट गयीं । इसके फलस्वरूप 24,288 रुपयों (8 प्रतिशत से) का कर कम आरोपित हुआ । इसके अतिरिक्त, अपने व्यापार को छिपाने के लिये व्यापारी पर 12,144 रुपयों का न्यूनतम अर्थदण्ड आरोपणीय था ।

फरवरी 1983 में लेखापरीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (अगस्त 1985 तथा फरवरी 1986) कि व्यापारी के विरुद्ध 14,024 रुपयों की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गयी है और उस पर 18,036 रुपयों का अर्थदण्ड भी आरोपित कर दिया गया है । इन धनराशियों की वसूली और बकाया कर हेतु मांग सृजित करने के लिये कृत कार्यवाही की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

सरकार को मामला फरवरी 1983 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

2.9. **जमा किये गये कर का दोहरा समायोजन**

नैनीताल मण्डल में एक कर-निर्धारिती ने 12 मई 1981 को कोषागार में 16,089 रुपयों की धनराशि जमा की । यह धनराशि विभाग द्वारा दो बार समायोजित की गयी, एक बार कोषागार चालान की विभागीय प्रति के आधार पर 1979-80 वर्ष हेतु मांग के प्रति और पुनः चालान की जमा-कर्त्ता की प्रति के आधार पर 1980-81 वर्ष हेतु कर के प्रति ।

लेखापरीक्षा (मई 1984) में गलती के इंगित किये जाने पर विभाग ने मई 1984 में 1980-81 वर्ष के करनिर्धारण को पुनरीक्षित कर दिया और 15,727 रुपयों (व्यापारी को देय 362 रुपये समायोजित करने के बाद) की और मांग सृजित कर दी । व्यापारी को 2 प्रतिशत प्रति मास की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिये भी निर्देशित कर दिया गया । वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

5 म0 ले0—1986—3

सरकार को मामला अगस्त 1984 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

2.10. प्रखण्ड का बिक्री-कर विभाग से पंजीयन न कराया जाना

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश में माल की खरीद अथवा बिक्री का कार्य करने वाले राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार के विभाग 'व्यापारी' माने जाते हैं और ऐसे माल की बिक्री पर कर अदा करने के भागी हैं । अगस्त 1975 में जारी किये गये एक सरकारी परिपत्र के अनुसार ऐसे विभागों से अपेक्षित था कि वे सम्बन्धित बिक्री-कर अधिकारी से पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त करें और माल के क्रेताओं से कर वसूल करें ।

शारदा नहर प्रखण्ड, शाहजहांपुर ने अप्रैल 1979 और मार्च 1983 के मध्य 1.57 लाख रुपये मूल्य की इमारती लकड़ी (टिम्बर) बेची, किन्तु इन बिक्रियों पर 21,632 रुपयों (6 सितम्बर 1981 तक 13 प्रतिशत और उसके बाद 14 प्रतिशत की दर से) के बिक्री-कर की वसूली नहीं की । प्रखण्ड ने बिक्री-कर विभाग के साथ स्वयं को पंजीकृत नहीं कराया, यद्यपि अगस्त 1975 के सरकारी परिपत्र के अनुसार ऐसा करना अपेक्षित था ।

लेखापरीक्षा (मई 1983) में भूल के इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि बिक्री-कर आरोपण से सम्बन्धित आदेशों का ज्ञान उन्हें नहीं था और भविष्य में ऐसे मामलों में बिक्री-कर की वसूली सुनिश्चित की जायेगी ।

सरकार को मामला जून 1983 में और पुनः जनवरी 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

अध्याय 3

आबकारी विभाग

राज्य आबकारी

3.1. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1984-85 के दौरान लेखापरीक्षा में किये गये राज्य आबकारी कार्यालयों के लेखे के जांच परीक्षण से 71 मामलों में 34.21 लाख रुपयों के शुल्क और फीस के न लगाने या कम लगाने का पता चला जो मोटे तौर से निम्न वर्गों के अन्तर्गत हैं :

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
1.	लाइसेंस फीस का संग्रह न करना या कम संग्रह करना	9	4.10
2.	स्पिरिट की छीजन पर आबकारी शुल्क का न लगाना या कम लगाना	24	8.97
3.	देशी स्पिरिट या भांग की आपूर्ति करने में ठेकेदार की विफलता के कारण आबकारी शुल्क की हानि	2	0.19
4.	फीस का न लगाना या कम लगाना	15	16.85
5.	स्पिरिट के प्रथम क्रय पर कर का न लगाना या कम लगाना	1	0.29
6.	अन्य मामले	20	3.81
	योग	71	34.21

पूर्ववर्ती वर्षों के मामलों सहित कुछ महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है ।

3.2. नियमों के अननुपालन के कारण राजस्व की हानि

• उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत, नीलाम प्रणाली के अधीन देशी स्पिरिट, भांग तथा भारत में बनी विदेशी शराब की फुटकर बिक्री हेतु लाइसेंस फीस सार्वजनिक नीलाम द्वारा निश्चित की जाती है और लाइसेंस सामान्यतया उच्चतम बोली लगाने वाले को प्रदान किया जाता है । नियमों के अनुसार, उन पूर्ववर्ती लाइसेंसधारियों को जिन्होंने सरकारी देयों का भुगतान पूर्ण रूप से न किया हो, लाइसेंस स्वीकृत नहीं किये जाने चाहिये । दूसरे जिले के किसी व्यक्ति को भी उस समय तक बोली लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि वह उस तहसील के, जिसमें वह स्थायी रूप से निवास करता है, तहसीलदार से सम्पन्नता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे और, जब दूसरे जिले के बोली लगाने वाले को सम्पन्नता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने से अभिमुक्ति प्रदान की जाये तो ऐसा करने के लिये कारणों को अभिलिखित किया जाना चाहिये । और भी, यदि मासिक किस्तों के भुगतान में चूक, अग्रिम जमा के समतुल्य है अथवा उससे बढ़ जाती है तो लाइसेन्स निरस्त कर दिया जाना अपेक्षित है तथा दुकानों के पुनः नीलाम पर यदि कोई हानि हुयी है तो वह चूककर्ता से भू-राजस्व के बकायों की भांति वसूली योग्य है ।

क. भांग की दुकानों का नीलाम

(i) गुदरी मन्सूरखान (आगरा) में, वर्ष 1977-78 हेतु भांग की एक दुकान 62,500 रुपये हेतु एक व्यक्ति के पक्ष में तय की गयी । लाइसेंसधारी ने अप्रैल 1977 से अक्तूबर 1977 के दौरान 29,420 रुपयों की लाइसेन्स फीस का भुगतान किया और तत्पश्चात् आगे भुगतानों में चूक की । लाइसेंस को निरस्त करने तथा दुकान का पुनः नीलाम करने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी । इसके बजाय, लाइसेंसधारी को भांग की आपूर्ति लाइसेंस वर्ष 1977-78 की समाप्ति तक निरन्तर की जाती रही । मार्च 1978 में, 33,080 रुपये की अवशेष धनराशि वसूल करने के लिये तहसीलदार, आगरा को वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया, किन्तु तहसीलदार ने रिपोर्ट दी (नवम्बर 1979) कि लाइसेंसधारी वसूली प्रमाणपत्र में दिये गये पते पर नहीं रह रहा है यद्यपि उसने पहले प्रमाणित किया था कि लाइसेंसधारी उसी पते पर रह रहा था और उसने उसकी सम्पन्नता भी प्रमाणित की थी ।

लेखापरीक्षा (मार्च 1982) में वसूली न करने के इंगित किये जाने पर, जिला आबकारी अधिकारी, आगरा ने बताया (अगस्त 1985) कि लाइसेन्सधारी से अक्तूबर 1982 से जनवरी 1983 के दौरान 4,000 रुपये की धनराशि वसूल कर ली गयी है । 29,080 रुपये की अवशेष धनराशि वसूल करने के लिये की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

(ii) नया आगरा स्थित एक भांग की दुकान हेतु वर्ष 1981-82 के लिये 23 फरवरी 1981 को हुये एक सार्वजनिक नीलाम में 1,30,000 रुपयों की उनकी बोली के आधार पर दो संयुक्त लाइसेंसधारियों को लाइसेंस प्रदान किया गया। लाइसेंसधारियों में से एक के सम्बन्ध में, जो दूसरे जिले (लखनऊ) का था, सम्पन्नता प्रमाणपत्र नहीं लिया गया। लाइसेंसधारियों ने मई 1981 तक लाइसेंस फीस के रूप में 32,800 रुपये का भुगतान किया, किन्तु उसके पश्चात् भुगतान करने में विफल रहे। सितम्बर 1981 में लाइसेंस निरस्त कर दिया गया जिसके विरुद्ध लाइसेंसधारियों ने 18 सितंबर 1981 को उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया और दिसम्बर 1981 तक दुकान चलाते रहे। किन्तु, 4 जनवरी 1982 को स्थगन आदेश रिक्त कर दिया गया। 14 जनवरी 1982 से 20 जनवरी 1982 तक दुकान एक दूसरे ठेकेदार के द्वारा दैनिक आधार पर चलायी गयी जिससे 250 रुपये की लाइसेंस फीस प्राप्त हुयी। 21 जनवरी 1982 को, मूल लाइसेंसधारियों की जोखिम और लागत पर दुकान का पुनः नीलाम किया गया तथा 9,000 रुपये हेतु एक दूसरी पार्टी के पक्ष में पुनः तय कर दी गयी। विभाग को 87,950 रुपये (मूल लाइसेंसधारियों से प्राप्त 32,800 रुपये, 14 जनवरी 1982 से 20 जनवरी 1982 की अवधि के लिये वसूल किये गये 250 रुपये और दुकान के पुनः नीलाम में निवेदित 9,000 रुपये समायोजित करने के बाद) की हानि हुयी जो मूल लाइसेंसधारियों से वसूलीयोग्य थी। यद्यपि, तहसीलदार, आगरा को भू-राजस्व के बकायों की भांति वसूली करने हेतु जनवरी 1982 में वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, किन्तु मामले का अनुसरण नहीं किया गया। फलस्वरूप, 87,950 रुपये के सरकारी प्राप्य वसूल नहीं हुये।

विभाग को वसूली का अनुसरण न किया जाना मार्च 1982 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986)।

ख. देशी शराब की दुकानों का नीलाम

(क) जिला आबकारी कार्यालय, प्रतापगढ़ में, 1974-75 से 1980-81 वर्षों के लिये 14,279 रुपयों की लाइसेंस फीस की वसूली दो लाइसेंसधारियों के विरुद्ध (एक से 3,357 रुपये तथा दूसरे से 10,922 रुपये) बकाया थी। तो भी, उन्हें 2,50,000 रुपये की बोली पर आधारित, वर्ष 1981-82 के लिये एक वर्ग में अन्य लाइसेंसधारियों के साथ देशी शराब की दुकानें चलाने हेतु लाइसेंस प्रदान किये गये। इस धनराशि में से, समूह ने 1,95,760 रुपये का भुगतान किया तथा 54,240 रुपये की अवशेष लाइसेंस फीस का भुगतान करने में विफल रहा। इस धनराशि की वसूली हेतु विभाग द्वारा भी कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये।

लेखापरीक्षा (अगस्त 1982) में त्रुटि के इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (सितम्बर 1984) कि 54,240 रुपये की वसूली कर ली गयी है। विभाग ने यह भी बताया (अगस्त 1985) कि चूककर्ताओं में से एक द्वारा देय 3,357 रुपये की धनराशि भी वसूल कर ली गयी है तथा दूसरे चूककर्ता को, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उत्तराधिकारियों से 10,922 रुपयों की बकाया धनराशि की वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

(ख) बिजनौर जिले में, वर्ष 1977-78 हेतु आठ शराब की दुकानें 13,50,000 रुपयों हेतु नीलाम द्वारा चार व्यक्तियों के एक समूह के पक्ष में तय की गयीं जिनमें से एक ने पूर्ववर्ती वर्ष 1976-77 के लिये 1,75,151 रुपये की लाइसेंस फीस का भुगतान करने में चूक की थी (यद्यपि नियमों के अनुसार किसी भी पूर्ववर्ती लाइसेंसधारी को, जिसने सरकारी देयों का सम्पूर्ण भुगतान पूर्ण रूप से न किया हो, लाइसेन्स प्रदान नहीं किया जाना चाहिए)। लाइसेंसधारियों ने अगस्त 1977 तक 8,63,080 रुपयों की लाइसेंस फीस का भुगतान किया किन्तु आगे भुगतानों में चूक की। दुकानें एक ठेकेदार के माध्यम से दैनिक आधार पर अस्थायी रूप से चलायी गयीं (28,121 रुपए की प्राप्ति हुयी) और 1,90,000 रुपयों के लिये पुनः नीलाम की गयीं। इस प्रकार 2,68,799 रुपये की हानि मूल लाइसेंसधारियों से वसूलीयोग्य थी, किन्तु वसूल नहीं की गयी। समूह के चार लाइसेंसधारियों में से एक लाइसेन्सधारी से वर्ष 1976-77 हेतु प्राप्त 1,75,151 रुपये के बकाये भी वसूल नहीं किये गये।

लेखापरीक्षा (नवम्बर 1980) में वसूली न करने के इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (फरवरी 1986) कि 4,43,950 रुपयों के सम्पूर्ण देयों की वसूली हेतु, चूककर्ता लाइसेंसधारी, जिसने 1976-77 में भी चूक की थी, की अचल सम्पत्ति जिलाधिकारी, सहारनपुर के माध्यम से कुर्क किये जाने और 30 जनवरी 1986 को नीलाम किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (फरवरी 1986)।

सरकार ने, जिसे मामला मई 1985 में प्रतिवेदित किया गया था, विभाग के उत्तर का समर्थन कर दिया है (फरवरी 1986)।

(ग) लखनऊ जिले में, वर्ष 1977-78 हेतु शराब की एक दुकान उन्नाव जिले के एक बोली लगाने वाले के पक्ष में, उससे सम्पन्नता प्रमाणपत्र लिये बिना, नीलाम द्वारा 15,00,000 रुपयों में तय की गयी। लाइसेंसधारी प्रारम्भ से ही नियत तिथियों पर मासिक किस्तें जमा करने में विफल रहा। फिर भी, 31 मार्च 1978 को समाप्त होने वाले सम्पूर्ण वर्ष के लिये

उसे दुकान चलाते रहने दिया गया । उससे वसूल होने के लिये शेष रह गयी लाइसेंस फीस की धनराशि 1,95,000 रुपये थी ।

लेखापरीक्षा (दिसम्बर 1982) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने मई 1985 में 1,95,000 रुपये के बकाये वसूल कर लिये ।

(घ) बहराइच जिले में, अप्रैल 1979 से मार्च 1980 की अवधि हेतु शराब की 5 दुकानों का एक समूह गोंडा जिले के एक व्यक्ति के पक्ष में उससे सम्पन्नता प्रमाणपत्र लिये बिना 2,40,000 रुपयों में तय कर दिया गया । लाइसेंसधारी ने मई 1979 से नवम्बर 1979 की अवधि की मासिक किस्तों के भुगतान में विलम्ब किया और उसके अनन्तर भुगतान करना बंद कर दिया । किन्तु, 31 मार्च 1980 को समाप्त होने वाले सम्पूर्ण लाइसेन्स वर्ष के लिये उसे दुकानें चलाते रहने दिया गया । उससे वसूलीयोग्य लाइसेंस फीस की अवशेष धनराशि 87,250 रुपये थी ।

लेखापरीक्षा (जनवरी 1981) में वसूली न करने के इंगित किये जाने पर जिला आबकारी अधिकारी, बहराइच ने बताया (जनवरी 1981) कि भविष्य में दूसरे जिले के व्यक्तियों को नीलाम में बोली लगाने की अनुमति देने से पूर्व उनसे सम्पन्नता प्रमाण-पत्र ले लिये जायेंगे । 87,250 रुपयों की वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

सरकार ने, जिसे मामला मार्च 1981 में प्रतिवेदित किया गया था, विभाग के उत्तर का समर्थन कर दिया है (जनवरी 1986) ।

(ङ) सुल्तानपुर जिले में, वर्ष 1979-80 हेतु, रानीगंज और वारिया-गंज की शराब की दुकानें एक समूह में 1,10,800 रुपयों हेतु इटावा और प्रतापगढ़ जिलों के दो लाइसेंसधारियों के पक्ष में उनसे सम्पन्नता प्रमाणपत्र लिये बिना नीलाम की गयीं । लाइसेंसधारियों ने अप्रैल 1979 में बोली की धन-राशि की 18,500 रुपये की प्रारम्भिक किस्त का भुगतान तथा नवम्बर 1979 तक कुल मिलाकर 52,730 रुपयों की मासिक किस्तों का भुगतान किया किन्तु इसके आगे भुगतान करना बन्द कर दिया । फिर भी, 31 मार्च 1980 को समाप्त होने वाले सम्पूर्ण लाइसेंस वर्ष हेतु लाइसेंसधारियों को दुकानें चलाते रहने दिया गया । लाइसेंसधारियों से वसूलीयोग्य लाइसेन्स फीस की अवशेष धनराशि 39,570 रुपये थी ।

लेखापरीक्षा (फरवरी 1981) में इसके इंगित किये जाने पर जिला आब-कारी अधिकारी, सुल्तानपुर ने बताया कि प्राप्त बोली काफी ऊंची थी और राजस्व के हित में स्वीकार की गयी थी और यह कि आबकारी निरीक्षक को सम्पन्नता प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेने के लिये, जो उसके द्वारा पहले नहीं प्राप्त किया गया

था, निदेशित कर दिया गया है (फरवरी 1981) । 39,570 रुपये वसूल करने के लिये की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

ग. ताड़ी की दुकानों का नीलाम

भांग और देशी शराब की दुकानों के नीलाम हेतु निर्धारित सिद्धांतों का पालन करते हुये ताड़ी की दुकान सामान्यतया उच्चतम बोली निवेदित करने वाले व्यक्ति के पक्ष में इस शर्त के साथ तय की जानी होती है कि वह निवेदित कुल बोली का 1/12 भाग बोली की अनन्तिम स्वीकृति पर तुरन्त अग्रिम के रूप में; बोली की धनराशि का दूसरा 1/12 भाग दुकान की अन्तिम व्यवस्था के तुरन्त बाद किन्तु 30 सितम्बर के बाद नहीं; बोली की धनराशि का 1/3 भाग 31 जनवरी तक और शेष आधा भाग 30 अप्रैल तक जमा कर देगा ।

बस्ती शहर की ताड़ी की सात दुकानें ताड़ी मौसम 1982-83 (अक्तूबर 1982 से सितम्बर 1983 तक) हेतु शाहजहांपुर और लखनऊ जिलों में रहने वाले दो लाइसेंसधारियों के समूह के पक्ष में, उनके द्वारा प्रस्तुत सम्पन्नता प्रमाणपत्रों (प्रमाणपत्रों में से एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी नहीं किया गया था) की यथार्थता सत्यापित किये बिना, 1,44,000 रुपयों हेतु तय की गयीं (21 सितम्बर 1982 को) । लाइसेन्सधारियों ने बोली की धनराशि का 1/12 भाग (12,000 रुपये) 21 सितम्बर 1982 को जमा कर दिया किन्तु आगे भुगतान करने में चूक की । उसके अनन्तर पांच महीनों तक विभाग द्वारा दुकानों के पुन: नीलाम की कोई कार्यवाही नहीं की गयी । ये 16 फरवरी 1983 से 15 मार्च 1983 तक दैनिक आधार पर 100 रुपये प्रतिदिन की दर पर चलायी गयीं जिससे केवल 2,000 रुपयों की प्राप्ति हुयी । दुकानें कहीं जाकर 18 मार्च 1983 को दो अन्य पक्षों को 1,08,000 रुपये में पुन: नीलाम की गयीं । दुकानों के पुन: तय करने के पूर्व, इन पक्षों के सम्बन्ध में अपेक्षित सम्पन्नता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किये गये । लाइसेंसधारियों के दूसरे समूह ने 30 सितम्बर 1983 तक 88,325 रुपये जमा किये किन्तु आगे भुगतान करने में विफल रहा । फलस्वरूप, सरकार को 41,675 रुपये (लाइसेन्सधारियों के पहले और दूसरे समूह से क्रमश: 22,000 रुपये और 19,675 रुपये कम प्राप्ति) के राजस्व की हानि हुयी ।

लेखापरीक्षा (अक्तूबर 1983) में अनियमितता के इंगित किये जाने पर जिला आबकारी अधिकारी, बस्ती ने जांच कराने तथा देयों को वसूल करने का

वचन दिया । कृत कार्यवाही एवं धनराशि की वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

सरकार को उपर्युक्त मामले मार्च 1981 और मई 1985 के बीच प्रतिवेदित किये गये; "ख. देशी शराब की दुकानों का नीलाम" के अंतर्गत उप-प्रस्तर (ख), (ग) और (घ) को छोड़कर अन्य के सम्बन्ध में उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986) ।

3.3. सत्यापित पासों की अप्राप्ति

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत, किसी आसवनी से शराब की कोई भी निकासी इस हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृत पास के बिना नहीं की जाएगी । और भी, पास या तो शुल्क के सम्पूर्ण भुगतान के प्रमाण पर अथवा बाण्ड के अधीन स्पिरिट की निकासी करने के लिये अनुमत व्यक्तियों द्वारा बाण्ड के निष्पादन के प्रमाण पर ही जारी किये जायेंगे । साथ ही साथ, बाण्ड के अधीन निकासियों के सम्बन्ध में, उस प्राधिकारी को, जिसे शराब भेजी जाती है/निर्यात की जाती है, एक संज्ञापन, (एडवाइस) इस प्रार्थना के साथ भेजा जाता है कि वह संज्ञापन के पृष्ठभाग पर आवश्यक विवरण भरने के बाद उसे निकासी करने वाली आसवनी को लौटा दें । यह सूचना प्राप्त होने पर कि कन्साइनमेन्ट पहुंच गया है, निकासी करने वाली आसवनी बाण्ड रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां करने के बाद बाण्ड को प्रमुक्त (डिसचार्ज) कर देती है ।

मेरठ, लखनऊ, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद स्थित चार आसवनियों में, जहां से भारत में बनी विदेशी शराब/बीयर 568 पासों पर (1969-70 से 1979-80 वर्षों के दौरान जारी किये गये 297 और 1980-81 से 1982-83 वर्षों के दौरान जारी किये गये 271) राज्य के अन्दर व बाहर विभिन्न स्थानों को बाण्ड के अधीन भेजी गयी थी अथवा निर्यात की गयी थी, अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह इंगित करता कि कन्साइनमेन्टों की प्राप्ति की पावती से अंकित पास प्राप्तकर्ताओं (कन्साइनीज) से वापस प्राप्त हो गये हैं यद्यपि जब शराब/बीयर भेजी गयी थी अथवा निर्यात की गयी थी उससे 2 से 16 वर्ष व्यतीत हो चुके थे । इन मामलों में अन्तर्निहित आबकारी शुल्क की धनराशि 5.29 करोड़ रुपये थी ।

लेखापरीक्षा (अक्तूबर 1982 और फरवरी 1984 के बीच) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (दिसम्बर 1985) कि मुजफ्फरनगर, लखनऊ, गाजियाबाद और मेरठ आसवनियों से जारी किये गये कुल 568 पासों में से 155 पास विधिवत् सत्यापित होकर वापस प्राप्त हो गये हैं । शेष 413 पासों की वापसी प्राप्ति प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

सरकार ने, जिसे मामले अक्तूबर 1982 से मार्च 1985 के दौरान प्रतिवेदित किये गये थे, विभाग के उत्तर का समर्थन कर दिया है (जनवरी 1986) ।

3.4. लाइसेन्स फीस वसूल न करना

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910, तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत, विदेशी शराब (विकृत स्पिरिट को छोड़कर) के थोक और फुटकर विक्रेता लाइसेन्सधारियों से पूर्ववर्ती तिमाही में की गयी बिक्रियों के आधार पर निर्धारित एक तिमाही हेतु लाइसेंस फीस अग्रिम में वसूल की जाती है और इस प्रकार वसूल की गयी फीस, तिमाही के दौरान वस्तुतः की गयी बिक्रियों के आधार पर, तिमाही की समाप्ति पर समायोजित की जाती है।

नैनीताल में, विदेशी शराब का थोक विक्रय करने वाले एक लाइसेन्सधारी से मार्च 1981 को समाप्त होने वाली तिमाही हेतु लाइसेंस फीस अग्रिम में वसूल नहीं की गयी । यहां तक कि फरवरी 1981 और मार्च 1981 महीनों हेतु वास्तविक बिक्रियों पर आधारित देय फीस (1,39,509 रुपये) की मांग सृजित नहीं की गयी ।

लेखापरीक्षा (मई 1981) में चूक के इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (मई 1985) कि 1,39,509 रुपये की कुल धनराशि जून 1981, सितम्बर 1981 और मई 1982 में वसूल कर ली गयी है ।

सरकार को मामला अगस्त 1981 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986) ।

3.5. अपेक्षाकृत कम अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता ग्रहण करने के कारण लाइसेन्स फीस का कम भुगतान

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 और उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत, किसी आसवनी को चलाने के लिये आवेदक को लाइसेन्स तभी स्वीकृत किया जाता है जब उसने (क) आबकारी आयुक्त को संतुष्ट कर दिया हो कि स्पिरिट के निर्माण के सम्बन्ध में प्रयोग में लाये जाने वाला प्रस्तावित भवन, पात्र, संयंत्र तथा साधित्र (एपरेटस) उसके द्वारा प्रस्तुत योजनाओं के अनुरूप है, (ख) जमानत की अपेक्षित धनराशि जमा कर दी हो और (ग) उस वर्ष अथवा उसके भाग के लिए, जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत किया जाता है, आसवनी की वार्षिक अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता (तकनीकी विकास निदेशालय, भारत सरकार द्वारा जैसा सत्यापित है) पर निर्धारित दर पर लाइसेन्स फीस का अग्रिम भुगतान कर दिया हो । विद्यमान भवन में अथवा ऐसे भभकों (स्टिल्स) तथा अन्य स्थायी साधित्रों

में कोई भी परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन आबकारी आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जा सकता है ।

लखनऊ स्थित एक आसवनी की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता 5,142 किलो लीटर थी । इस क्षमता के आधार पर, आसवक ने 1984-85 वर्ष हेतु 12,855 रुपये (2.50 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से) की लाइसेंस फीस का भुगतान किया । किन्तु पूर्वगामी वर्षों 1974-75 से 1983-84 हेतु, आसवक ने, केवल 3,897 किलो लीटर की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता पर 9,742.50 रुपये प्रति वर्ष की दर से लाइसेंस फीस का भुगतान किया, यद्यपि आसवनी की वास्तविक अधिष्ठापित क्षमता 1974-75 वर्ष से ही 5,142 किलो लीटर थी । विभाग ने भी 1974-75 से 1983-84 वर्षों में वास्तविक अधिष्ठापित क्षमता के आधार पर लाइसेन्स फीस के अन्तर की मांग नहीं की । चूक के फलस्वरूप उस अवधि हेतु 31,125 रुपये (3,112.50 रुपये प्रति वर्ष अन्तर की दर से) की लाइसेंस फीस कम वसूल हुई ।

लेखापरीक्षा (अगस्त 1984) में अनियमितता के इंगित किये जाने पर विभाग ने जनवरी 1985 में 31,125 रुपये की धनराशि वसूल कर ली ।

सरकार ने, जिसे मामला अगस्त 1984 में प्रतिवेदित किया गया था, वसूली की पुष्टि कर दी है (फरवरी 1986) ।

3.6. प्रशमन (कम्पाउण्डिंग) शुल्क की वसूली न करना

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 और उसके अधीन बने नियमों में प्रावधान है कि कोई भी आबकारी अधिकारी (राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत), प्रशमन शुल्क जो प्रत्येक मामले में 5000 रुपयों से अधिक न हो का भुगतान करने पर, अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेन्स के निरसन अथवा निलम्बन के मामलों अथवा अपराध करने वाले व्यक्ति के अभियोजन का प्रशमन कर सकता है ।

लखनऊ, कानपुर और फतेहपुर में सम्बन्धित आबकारी अधिकारियों द्वारा 502 अपराध 27,163 रुपयों हेतु प्रशमित किये गये, किन्तु सम्बन्धित चूककर्ताओं/अपराधियों को उनसे प्रशमन शुल्क की वसूली किये बिना छोड़ दिया गया ।

लेखापरीक्षा (अगस्त 1984 और सितम्बर 1984) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (फरवरी 1986) कि 17,080 रुपये की धनराशि वसूल कर ली गयी है । अवशेष धनराशि की वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

सरकार ने, जिसे मामला मई 1985 में प्रतिवेदित किया गया था, उपर्युक्त स्थिति की पुष्टि कर दी है (फरवरी 1986)।

3.7. स्पिरिट की मार्गगत हानि पर शुल्क का न लगाना

उत्तर प्रदेश इसू आफ स्पिरिट फ्राम डिस्टिलरीज नियमावली, 1910 (1978 में यथा संशोधित) के साथ पठित उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 के अन्तर्गत जब स्पिरिट बाण्ड के अधीन लकड़ी के पीपों अथवा धातु के पात्रों में वहन की जाती है या निर्यात की जाती है, तो प्रत्येक लकड़ी के पीपों अथवा धातु-पात्र में धारित मात्रा पर आगणित 0.5 प्रतिशत तक की वास्तविक मार्गगत हानि (रिसन, वाष्पीकरण या अन्य अपरिहार्य कारणों से) अनुज्ञेय है। यदि छीजन इस सीमा से अधिक होती है तो बाण्ड निष्पादित करने वाला व्यक्ति अधिक छीजन पर, राज्य में ऐसी स्पिरिट पर लगने योग्य शुल्क की उच्चतम दर पर, शुल्क का भुगतान करने के लिये निर्देशित किया जा सकता है। बोतलों में, जिनमें उत्पादन अन्तिम रूप से बेचे जाते हैं, वहन की गयी स्पिरिट की मार्गगत हानि हेतु छूट के लिए नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

फिर भी, अप्रैल 1982 से जून, 1983 के दौरान एक आसवनी से बाण्ड के अधीन (i) मोहरबन्द बोतलों में वहन की गयी मसालेदार देशी स्पिरिट की 411.0 अल्कोहलिक लीटरों और (ii) धातु-पात्रों में वहन की गयी स्पिरिट की 209.9 अल्कोहलिक लीटरों (0.5 प्रतिशत की अनुज्ञेय सीमा से अधिक) की मार्गगत हानि के सम्बन्ध में आबकारी शुल्क वसूल करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी। वसूल न की गयी आबकारी शुल्क की धनराशि 17,739 रुपये थी।

लेखापरीक्षा (अगस्त 1983) में चूक के इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (नवम्बर 1984) कि 17,739 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अक्तूबर 1983 में वसूल कर ली गयी है।

सरकार ने, जिसे मामला फरवरी 1985 में प्रतिवेदित किया गया था, वसूली की पुष्टि कर दी है (फरवरी 1986)।

अध्याय 4

परिवहन विभाग

वाहनों, माल और यात्रियों पर कर

4.1. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1984-85 के दौरान, परिवहन विभाग के कार्यालयों के अभिलेखों की जांच परीक्षा से 141 मामलों में 51.61 लाख रुपयों के कर कम लगाये जाने का पता चला, जिनका मोटे तौर पर वर्गीकरण निम्नवत् है :

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
1	अतिरिक्त यात्री-कर सहित यात्री-कर का कम लगाया जाना	86	36.72
2	मार्ग-कर का अवनिर्धारण	20	.. 4.77
3	माल-कर का कम लगाया जाना	5	0.92
4	विविध	30	9.20
	योग	141	51.61

पूर्ववर्ती वर्षों के मामलों सहित कुछ महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है ।

4.2. यात्री-कर का वसूल न किया जाना

(i) मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत, पर्यटन को प्रोन्नत करने के उद्देश्य से राज्य परिवहन प्राधिकारी पर्यटन वाहनों की ऐसी संख्या के सम्बन्ध में जो केन्द्र सरकार द्वारा उस राज्य के लिये विनिर्दिष्ट हो, अनुज्ञा-पत्र, जो समस्त भारत अथवा उसके किसी भाग के लिये वैध हो, प्रदान कर सकता है । अन्य राज्यों के साथ किये गये पारस्परिक प्रबन्धों के अन्तर्गत राज्य सरकार ने अपनी दिनांक 6 मार्च 1981 की अधिसूचना द्वारा उन राज्यों के ऐसे पर्यटन वाहनों (जो उत्तर प्रदेश में चलाये जा रहे हैं) के सम्बन्ध में यात्री-कर के भुगतान से छूट प्रदान की । किन्तु, उन वाहनों को, जिन्हें उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा अखिल भारतीय पर्यटन अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये गये थे, उत्तर प्रदेश में चलने हेतु यात्री-कर के भुगतान से छूट प्रदान नहीं की गयी ।

दो अनुबन्धित वाहनों को (एक सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अलीगढ़ और दूसरा सम्भागीय परिवहन अधिकारी लखनऊ के क्षेत्राधिकार में) राज्य परिवहन प्राधिकारी, लखनऊ द्वारा अखिल भारतीय पर्यटन अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किए गये थे । वाहन उत्तर प्रदेश में चलने हेतु मार्ग-कर का भुगतान तो कर रहे थे, किन्तु अप्रैल 1981 और अक्तूबर 1984 के बीच विभिन्न अवधियों हेतु उनके सम्बन्ध में वसूली योग्य 77,968 रुपयों का यात्री-कर वसूल नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा (अगस्त 1983 और नवम्बर 1984) में यात्री-कर के वसूल न किये जाने के इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि अलीगढ़ के वाहन स्वामी का यह कथन कि वाहन उत्तर प्रदेश में नहीं चल रहा था जांच-पड़ताल के अधीन है । लखनऊ के दूसरे वाहन के सम्बन्ध में वाहन स्वामी को यात्री-कर के भुगतान हेतु एक नोटिस जारी की गयी (नवम्बर 1984) बतायी गयी है । जांच-पड़ताल के परिणाम और वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

सरकार को ये मामले अक्तूबर 1983 और जनवरी 1985 में प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986) ।

(ii) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा 6 अप्रैल 1977 को जारी किये गये एक परिपत्र के अनुसार उन वाहनों को, जो एकमुश्त आधार पर यात्री-कर का भुगतान कर रहे थे, उनके द्वारा विशेष अस्थाई अनुज्ञापत्रों के आधार पर बरातों इत्यादि को वहन करने हेतु उनसे प्राप्त अतिरिक्त आय के सम्बन्ध में कर का भुगतान नहीं करना था । यह रियायत यात्री-सूची के आधार पर कर का भुगतान करने वाले वाहनों पर लागू नहीं थी ।

सीतापुर और बांदा स्थित दो उप-सम्भागों में दिसम्बर 1980 से सितम्बर 1982 के दौरान समय-समय पर उनको स्वीकृत विशेष अस्थाई अनुज्ञा-पत्रों पर वहन किये गये यात्रियों के सम्बन्ध में यात्री-सूची के आधार पर कर का भुगतान करने वाले 161 वाहनों से यात्री-कर वसूल नहीं किया गया, जो सही नहीं था । इसके फलस्वरूप 23,240 रुपयों का यात्री-कर वसूल होने से रह गया ।

लेखापरीक्षा (अगस्त 1981 और दिसम्बर 1982) में त्रुटि के इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (मई 1984) कि 15-253 रुपयों की धनराशि वसूल कर ली गयी है । 7,987 रुपयों की अवशेष धनराशि की वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

सरकार ने, जिसे ये मामले अगस्त 1981 और दिसम्बर 1982 में प्रतिवेदित किये गये थे, 15,253 रुपयों की वसूली की पुष्टि कर दी (सितम्बर 1984) ।

4.3. **यात्री-कर का कम निर्धारण**

(क) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) नियमावली, 1962 के अन्तर्गत, एकमुश्त अनुबन्ध के अधीन यात्री-कर का निर्धारण, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रक्रम वाहनों द्वारा जिस अवधि के लिये अनुबन्ध निष्पादित किया गया है उस अवधि के दौरान किये जाने वाले एक-तरफा फेरों की संख्या पर निर्भर करता है ।

वर्ष 1978-79 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 4.3 में कुछ मामलों का उल्लेख किया गया था जिनमें यात्री-कर के भुगतान हेतु अनुबन्ध 90 दिनों की अवधि के लिये किये गये थे किन्तु यात्री-कर निर्धारित करने के लिए फेरों की संख्या 75 दिनों (90 दिनों के बजाय) के आधार पर संगणित की गयी जिसके फलस्वरूप कर कम आरोपित हुआ । लोक लेखा समिति ने अपने 1981-82 के प्रतिवेदन के प्रस्तर 167 में यह संस्तुति की थी कि भविष्य में सम्पूर्ण राज्य में यात्री-कर की परिगणना महीने में 30 दिन के आधार पर की जानी चाहिए ।

लेखापरीक्षा (फरवरी 1983 और अप्रैल 1985 के बीच) में यह पुनः देखा गया कि उन मामलों में जिनमें एकमुश्त अनुबन्ध 90 दिनों के लिये किये गये थे, सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने वाहनों के ब्रेक-डाउन और मरम्मत के लिये रियायत देते हुए, जो नियमों में अनुमन्य नहीं थी, अपेक्षाकृत कम दिनों (78 से लेकर 82 दिनों तक) में किये गये फेरों के आधार पर वाहन स्वामियों द्वारा यात्री-कर के भुगतान की अनुमति दे दी थी । इसके फलस्वरूप छः मार्गों पर चलने वाले 24 वाहनों के सम्बन्ध में 1.62 लाख रुपये (अक्तूबर 1975 और मार्च 1985 के बीच की विभिन्न अवधियों हेतु) का यात्री-कर कम आरोपित हुआ ।

विभाग को मामला अप्रैल 1983 और जून 1985 के बीच प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986) ।

(ख) मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 48 (3) में प्रावधान है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी प्रक्रम वाहन को अनुज्ञा-पत्र प्रदान करते समय, जिस मार्ग हेतु अनुज्ञा-पत्र प्रदान किया जाता है उस मार्ग पर किये जाने वाले दैनिक फेरों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या सम्बन्धी शर्त जोड़ सकता है । अनुज्ञा-पत्र की शर्तों में किसी प्रकार के अन्तर (डीविएशन) के लिए सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित है ।

किन्तु, बहुत से मामलों में, सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी की पूर्व अनुमति बिना, अनुज्ञा-पत्रों की शर्तों में व्यतिक्रम किया गया । उदाहरणार्थ,

लखनऊ—हरदोई मार्ग पर चलने वाले 85 वाहनों के सम्बन्ध में सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुज्ञा-पत्रों की शर्तों के अनुसार, वाहनों द्वारा प्रतिदिन 72 फेरे (36 जाने के और 36 आने के) किये जाने थे, किन्तु सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना जुलाई 1982 में सम्पूर्ण मार्ग के लिये फेरों की संख्या घटाकर 25 वापसी फेरे कर दी । निरस्त किये गये फेरों के एवज में, सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने लखनऊ से संडीला तक 7 वापसी फेरे और हरदोई से बालामऊ (अन्तर्वर्ती स्टेशनों) तक 4 वापसी फेरे समाविष्ट कर दिये ।

इसी प्रकार, लखीमपुर-तिकोनियां मार्ग (सीतापुर उपसम्भाग) पर 19 वाहनों के सम्बन्ध में, सम्भागीय परिवाहन प्राधिकारी द्वारा 30 फेरे प्रतिदिन (15 जाने के तथा 15 आने के) अनुमोदित किये गये थे, किन्तु सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने तिकोनिया तक के लिये इन फेरों को अप्राधिकृत रूप से घटाकर 4 फेरे (2 जाने के तथा 2 आने के) कर दिए और तीन अन्तवर्ती स्टेशनों के लिए अपेक्षाकृत कम दूरी वाले अतिरिक्त फेरों का समावेश कर दिया ।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किये बिना फेरों का घटाया जाना अनियमित था और इसके परिणामस्वरूप 8.65 लाख रुपये का यात्री-कर कम आरोपित हुआ ।

विभाग को उपर्युक्त मामले जून 1985 में प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986) ।

(ग) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी नियमावली, 1940 में, अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि किसी प्रक्रम वाहन को अनुज्ञा-पत्र जारी करते समय सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी उसमें यह शर्त जोड़ सकता है कि वाहन प्रत्येक यात्रा में उस सम्पूर्ण मार्ग का उपयोग करेगा जिसके लिए अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किया गया है ।

कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, फैजाबाद तथा बांदा में 13 मार्गों पर अपने वाहनों को चलाने वाले 84 प्रक्रम वाहनों के परिचालक, इस आधार पर मार्गों के अंश-भाग के लिए देय किराये पर आधारित यात्री-कर का भुगतान कर रहे थे कि मार्गों के कुछ भाग मोटर चलाने के योग्य नहीं थे । अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह ज्ञात हो सके कि ये प्रक्रम वाहन मार्गों के केवल अंश-भाग पर परिचालन हेतु अनुमत किये गये थे ।

1982-83 से 1983-84 की अवधि के दौरान इन 84 प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मार्गों के लिए देय यात्री-कर 35.35 लाख रुपये आता था जिसके समक्ष उनसे केवल 23.44 लाख रुपये वसूल किये गये थे ।

विभाग को कम वसूली जून 1985 में प्रतिवेदित की गयी; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986) ।

(घ) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 और उसके अन्तर्गत गठित नियमों के अधीन, किसी प्रक्रम वाहन के संबंध में एकमुश्त अनुबन्ध के अन्तर्गत देय यात्री-कर, अन्य बातों के साथ-साथ, सम्पूर्ण मार्ग हेतु देय कुल किराया, प्रक्रम वाहनों को अनुमत अथवा उनके द्वारा किये जाने वाले प्रत्याशित एक-तरफा फेरों की संख्या और भार कारक के आधार पर आगणित किया जाता है । मार्ग, फेरों की संख्या, बैठने अथवा खड़े होने की क्षमता अथवा किराये में कोई भी परिवर्तन एकमुश्त अनुबन्ध को ऐसे परिवर्तन की तिथि से निष्प्रभावी कर देता है और तदनन्तर असमाप्त अवधि के सम्बन्ध में एक नया एकमुश्त अनुबन्ध निष्पादित किया जाना अपेक्षित होता है ।

(i) झांसी सम्भाग में, अप्रैल 1983 से पूर्व, उरई-रामपुर वाया संगरा मार्ग पर चलने वाले 17 प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में यात्री-कर का एकमुश्त भुगतान 28 एक-तरफा फेरों के आधार पर निश्चित किया गया था । मार्ग पर 11 नये अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाने पर, एक-तरफा फेरों की संख्या 30 अप्रैल, 1983 से पुनरीक्षित करके 28 से 34 प्रतिदिन कर दी गयी । किन्तु, यात्री-कर आरोपित करने के उद्देश्य से बढ़ाये गये फेरों की गणना 30 अप्रैल 1983 के बजाय पहली अगस्त 1983 से की गयी । इस त्रुटि के फलस्वरूप 30 अप्रैल 1983 से जुलाई 1983 की अवधि के दौरान 19,347 रुपयों का यात्री-कर कम वसूल हुआ ।

लेखा परीक्षा (मई 1984) में त्रुटि के इंगित किये जाने पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने बताया (अक्तूबर 1985) कि 14,954 रुपये की धनराशि वसूल कर ली गयी है । अवशेष धनराशि की वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

(ii) मथुरा उपसम्भाग में, परिचालकों द्वारा मथुरा-मानिकपुर मार्ग का किराया 15 अक्तूबर 1981 से 4.40 रुपये से बढ़ाकर 5.04 रुपये प्रति यात्री कर दिया गया । पांच प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में बढ़े हुए किराये पर यात्री-कर 19 अगस्त 1982 तक निर्धारित तथा वसूल किया गया । 20 अगस्त 1982 से मार्ग मंगना तथा जगसाना तक बढ़ा दिया गया । उस तिथि से एकमुश्त आधार पर वसूली योग्य कर गलती से 5.04 रुपये के बजाय 3.75 रुपये के किराए पर आधारित किया गया । सरकार ने 20 सितम्बर 1983 से किराये में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर दी । यद्यपि बढ़ा हुआ किराया 6.30 रुपये हुआ तो भी उस तिथि से यात्री-कर का निर्धारण केवल 4.70 रुपए के किराये पर आधारित किया गया । इन त्रुटियों के फलस्वरूप

अगस्त 1982 से जनवरी 1984 की अवधि हेतु 38,579 रुपये का यात्री-कर कम आरोपित हुआ ।

विभाग को मामला मई 1984 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

(iii) एकमुश्त अनुबन्ध (पहली जुलाई 1981 और 4 सितम्बर 1981 के बीच अन्तिम रूप दिया गया) के अनुसार, झांसी सम्भाग में उरई-शेरघाट-औरैया मार्ग पर 32 एक-तरफा फेरे करने वाले 28 वाहन चलने थे । 10 वाहनों के सम्बन्ध में मार्ग 3 दिसम्बर 1981 से उरई-शेरघाट तक सीमित कर दिया गया । 23 अप्रैल, 1983 से शेष 18 वाहनों के सम्बन्ध में उरई-शेरघाट-औरैया मार्ग पर दैनिक फेरों की संख्या 32 से बढ़ाकर 40 कर दी गयी थी । किन्तु उपर्युक्त परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए एकमुश्त अनुबन्धों को पुनरीक्षित नहीं किया गया । अनुबन्धों का पुनरीक्षण न किये जाने के फलस्वरूप दिसम्बर 1981 और अप्रैल 1983 की विभिन्न अवधियों हेतु 31,318 रुपयों का यात्री-कर कम आरोपित हुआ ।

लेखापरीक्षा (फरवरी 1984) में इसके इंगित किये जाने पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी, झांसी ने त्रुटि को स्वीकार किया और बताया (अक्तूबर 1985) कि 20,502 रुपये की धनराशि वसूल कर ली गयी है । 10,816 रुपये की अवशेष धनराशि की वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

(iv) सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय इटावा में, बाबरपुर-बहायल मार्ग पर चलने वाले 7 प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में यात्री-कर के भुगतान हेतु एकमुश्त अनुबन्ध प्रत्येक वाहन द्वारा हर माह किये जाने वाले 52 एक-तरफा फेरों के आधार पर परिनिश्चित (24 दिसम्बर 1981) किया गया । इस 7 वाहनों में से एक वाहन 30 अप्रैल 1981 और 18 जून 1983 के बीच विभिन्न अवधियों में सड़क पर नहीं चला था । इन अवधियों के दौरान, शेष 6 वाहनों में से प्रत्येक ने, जो मार्ग पर चले, प्रत्येक माह में 52 एक-तरफा फेरों से अधिक फेरे किये, किन्तु अनुबन्ध पुनरीक्षित नहीं किया गया और यात्री-कर, प्रति वाहन प्रति माह 52 एक-तरफा फेरों के आधार पर वसूल किया गया, जिसके फलस्वरूप 32,895 रुपये के यात्री-कर की कम वसूली हुई ।

लेखापरीक्षा (मई 1983) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (जुलाई 1984) कि एकमुश्त अनुबन्ध पुनरीक्षित कर दिया गया है और 32,895 रुपयों की वसूली हेतु वाहन स्वामियों को मांग-पत्र जारी कर दिये गये हैं । वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

(v) सम्भागीय परिवहन कार्यालय, फैजाबाद में फैजाबाद-मसकनवा मार्ग पर चलने वाले 16 प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में सितम्बर 1981 से अक्तूबर 1982 की अवधि के लिए यात्री-कर के भुगतान हेतु एकमुश्त अनुबन्ध प्रत्येक वाहन द्वारा प्रतिमाह 15 एक-तरफा फेरों के आधार पर परिनिश्चित किया गया । अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट (सितम्बर 1981) में कर-अधिकारी ने इंगित किया कि वस्तुतः मार्ग पर केवल 14 वाहन (16 वाहनों के बजाय) चल रहे थे । इन 14 वाहनों के एक-तरफा फेरे, प्रति वाहन प्रति माह 15 से बढ़ाकर 17 कर दिए गये किन्तु एकमुश्त अनुबन्ध का पुनरीक्षण नहीं किया गया और यात्री-कर प्रति वाहन प्रति माह 15 एक-तरफा फेरों के आधार पर वसूल किया गया । अनुबन्ध का पुनरीक्षण न किये जाने के फलस्वरूप 15,078 रुपयों का यात्री-कर कम आरोपित हुआ ।

सरकार ने, जिसे मामला जनवरी 1983 में प्रतिवेदित किया गया, त्रुटि को स्वीकार किया और बताया (सितम्बर 1984) कि 7,755 रुपये की धनराशि वसूल कर ली गयी है । अवशेष धनराशि की वसूली प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

(vi) सम्भागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ द्वारा लखनऊ-माल मार्ग पर चलने वाले 8 प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में यात्री-कर के भुगतान हेतु एकमुश्त अनुबन्ध प्रतिदिन 12 एक-तरफा फेरे, 80 प्रतिशत भार कारक और प्रति यात्री 2.20 रुपये किराया के आधार पर परिनिश्चित किया गया । किन्तु यात्री-कर की धनराशि 12.67 रुपये प्रति सीट प्रति माह के बजाय त्रुटिपूर्वक 7.90 रुपये प्रति सीट प्रति माह की दर से आगणित की गयी । इस त्रुटि के फलस्वरूप अगस्त 1983 से दिसम्बर 1984 की अवधि हेतु 48,082 रुपये का यात्री-कर कम आरोपित हुआ ।

विभाग को मामला जनवरी 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986) ।

(vii) सम्भागीय परिवहन कार्यालय, वाराणसी में, वाराणसी-केराकत मार्ग पर चलने वाले 22 प्रक्रम वाहनों, जौनपुर-मेंहनाजपुर मार्ग पर चलने वाले 6 प्रक्रम वाहनों और वाराणसी-सदियाबाद वाया सादत मार्ग पर चलने वाले 6 प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में यात्री-कर 50.20 रुपये से लेकर 62.10 रुपये प्रति सीट प्रति तिमाही की सही दरों के बजाय 36.09 रुपयों से लेकर 51.56 रुपयों तक की निम्नतर दरों पर निर्धारित किया गया । इसी प्रकार, मुजफ्फरनगर उप-सम्भाग में, मुजफ्फरनगर-थाना-भवन-गाड़ीखाना मार्ग पर चलने वाले 8 प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में यात्री-कर 33.35 रुपये से लेकर 43.51 रुपए तक प्रति सीट प्रति माह की सही दरों के बजाय 26.03 रुपये

से लेकर 35.54 रुपए तक की निम्नतर दरों पर निर्धारित किया गया। इन मामलों में एकमुश्त कर के त्रुटिपूर्ण आगणन के फलस्वरूप नवम्बर 1981 और अप्रैल 1984 के बीच विभिन्न अवधियों हेतु 25,000 रुपए (वाराणसी: 21,240 रुपए और मुजफ्फरनगर: 3,760 रुपए) का यात्री-कर कम प्रभारित हुआ।

लेखापरीक्षा (अप्रैल 1983 और सितम्बर 1984 के बीच) में त्रुटि के इंगित किये जाने पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी, वाराणसी ने 3,180 रुपए की धनराशि वसूल कर ली और बताया (सितम्बर 1984) कि 18,050 रुपयों की अवशेष धनराशि की वसूली हेतु मांग-पत्र जारी कर दिए गये हैं। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मुजफ्फरनगर से उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 1986)।

सरकार को उपर्युक्त मामले अप्रैल 1983 और सितम्बर 1984 के बीच प्रतिवेदित किये गये; उप-प्रस्तर (घ) (v) को छोड़कर अन्य मामलों में उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986)।

4.4. यात्री-कर के भुगतान से अनियमित छूट का दिया जाना

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी नियमावली, 1940 के अन्तर्गत, निजी प्रक्रम वाहन से अभिप्राय उस वाहन से है जो 9 व्यक्तियों (चालक को छोड़कर) से अधिक को ले जाने हेतु निर्मित अथवा रूपान्तरित किया गया हो और स्वामी द्वारा अथवा उसकी ओर से केवल उसके व्यापार या धन्धे के सम्बन्ध में अथवा निजी प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त किया जाता हो किन्तु किराये अथवा प्रतिफल के लिए नहीं। उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम 1962 में निजी प्रक्रम वाहन पर यात्री-कर आरोपित करने का प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार ने अपनी दिनांक 30 सितम्बर, 1962 की अधिसूचना द्वारा मान्यता-प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के स्वामित्व वाले तथा छात्रों को संस्था तक ले जाने व वहां से ले जाने के निमित्त मात्र प्रयोग में लाये जाने वाले प्रक्रम वाहनों को भी यात्री-कर के भुगतान से मुक्ति प्रदान कर दी। किन्तु, किराये अथवा प्रतिफल हेतु चलाए जाने वाले वाहनों पर यात्री-कर आरोपणीय है।

(i) झांसी सम्भाग में, इण्डियन ग्रासलैण्ड एण्ड फाडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, झांसी के स्वामित्व वाले एक वाहन को, जो 9 व्यक्तियों (चालक को छोड़कर) से अधिक को ले जाने के लिए रूपान्तरित किया गया था, स्टाफ के सदस्यों के बच्चों को संस्थान के अहाते से झांसी स्थित एक स्कूल तक ले जाने और ले आने तथा तकनीकी एवं वैज्ञानिक स्टाफ को भी प्रयोगात्मक फार्मों तक ले जाने व वापस लाने हेतु 15 जुलाई, 1977 को एक अनुज्ञा-पत्र जारी किया गया। इस सुविधा हेतु लाभार्थियों द्वारा, वाहन के परिचालन-व्यय का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। क्योंकि दी गयी सुविधा प्रभारमुक्त नहीं थी, वाहन किराये

अथवा प्रतिफल हेतु चलने वाले प्रक्रम वाहन के वर्ग में आ गया था और यात्री-कर के भुगतान का दायी था । अतएव इसे 'निजी प्रक्रम वाहन' की भांति अनुज्ञा-पत्र जारी किया जाना अनियमित था । इसके फलस्वरूप जुलाई 1977 से फरवरी 1983 की अवधि हेतु 37,660 रुपये का यात्री-कर आरोपित नहीं हुआ ।

सरकार को मामला अप्रैल 1983 में प्रतिवेदित किया गया । यह स्वीकार करते हुए कि वाहन एक प्रक्रम वाहन (अधिनियम के अन्तर्गत यात्री-कर के भुगतान का दायी) है, सरकार ने बताया (सितम्बर 1984) कि चूंकि संस्थान का मुख्य कार्य अनुसंधानात्मक (रिसर्च ओरियेन्टेड) था, वह उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 की धारा 4 के अन्तर्गत यात्री-कर के भुगतान से मुक्त था । लेखापरीक्षा द्वारा इस पर फिर से बल दिया गया (फरवरी 1985) कि उक्त अधिनियम की धारा 4(क) के अन्तर्गत जारी की गयी दिनांक 30 सितम्बर, 1962 की सरकारी अधिसूचना के अनुसार केवल ऐसे प्रक्रम वाहन जो मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्थाओं के स्वामित्व वाले हैं और छात्रों को संस्थान से केवल ले जाने तथा ले आने के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं, यात्री-कर के भुगतान से मुक्त किये जा सकते हैं । सरकार का अन्तिम उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

(ii) मेरठ में, कुछ व्यक्तियों के नामों में निबंधित दो वाहन एक प्राइवेट कम्पनी के स्टाफ तथा स्कूली बच्चों को ले जाने और ले आने के लिए प्रयोग में लाये जाते थे । इन वाहनों में से एक 'निजी प्रक्रम वाहन' के रूप में निबंधित था और दूसरा एक स्कूल बस की भांति तथा दोनों यात्री-कर के भुगतान से मुक्त थे । नियमों के अनुसार इन वाहनों का निबन्धन अनुबन्धित गाड़ियों (यात्री-कर के भुगतान के दायी) के रूप में किया जाना चाहिए था । वाहनों के गलत निबन्धन के कारण सरकार नवम्बर 1982 से अप्रैल 1983 की अवधि हेतु 23,231 रुपए के वसूली योग्य यात्री-कर के राजस्व से वंचित रही ।

विभाग और सरकार को मामला अप्रैल 1983, अप्रैल 1984, जून 1984, सितम्बर 1984 तथा फरवरी 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (फरवरी 1986) ।

4.5. मार्ग-कर का कम लगाया जाना

(i) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 के अनुसार व्यक्तिगत तथा मान्यताप्राप्त संस्थानों, सार्वजनिक धर्मार्थ न्यासों आदि जैसे कुछ विनिर्दिष्ट संस्थानों और निकायों के स्वामित्व वाले वाहनों के मामले को छोड़कर,

वाहनों (परिवहन वाहनों से भिन्न) के सम्बन्ध में मार्ग-कर अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ आरोपणीय है ।

तीन जांच चौकियों—मसौरा (जिला ललितपुर), सैया (जिला आगरा) और नौबतपुर (जिला वाराणसी)—पर, वाणिज्यिक फर्मों और कम्पनियों (ऊपर संदर्भित विनिर्दिष्ट संस्थानों और निकायों के वर्ग में न आने वाली) के 1,605 वाहनों के सम्बन्ध में मार्ग-कर की गणना में अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर 50 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने से रह गयी । इस चूक के फलस्वरूप अक्तूबर 1982 और मई 1984 के बीच विभिन्न अवधियों हेतु 48,478 रुपयों का मार्ग-कर कम आरोपित हुआ ।

लेखापरीक्षा (जनवरी 1984, मई 1984 और जून 1984) में त्रुटि के इंगित किये जाने पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी, झांसी ने बताया (सितम्बर 1984) कि 11,542 रुपये की धनराशि वसूल कर ली गयी है । सम्भागीय परिवहन अधिकारी, वाराणसी ने 30,715 रुपयों हेतु जनवरी 1985 में मांग-पत्र जारी कर दिए । आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

(ii) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत उन परिवहन वाहनों के सम्बन्ध में, जो अन्य राज्यों के परिवहन प्राधिकारियों द्वारा दिए गये अनुज्ञा-पत्रों के अधीन उत्तर प्रदेश में चलते हैं, उत्तर प्रदेश में देय मार्ग-कर दो सप्ताह की न्यूनतम अवधि हेतु प्रभार्य है । परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश ने स्पष्टीकरण दिया है (जुलाई 1979) कि यह प्रावधान उत्तर प्रदेश में चलने वाले उन वाहनों के सम्बन्ध में लागू नहीं है जो या तो बिना अनुज्ञा-पत्रों के अथवा अन्य राज्यों द्वारा जारी किये गये अनुज्ञा-पत्रों की अवधि की समाप्ति के बाद भी चलते रहे हों । इस स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे वाहन सम्पूर्ण तिमाही अथवा तिमाही के शेष महीनों के लिये जिनमें वह प्रथम बार चलते हुये पाये जाते हैं, मार्ग-कर के भुगतान के लिये दायी हैं ।

झांसी सम्भाग में, दूसरे राज्यों के परिवहन वाहनों को, जो बिना अनुज्ञा-पत्रों के अथवा अनुज्ञा-पत्रों में नियत काल की समाप्ति के पश्चात् चल रहे थे, जांच प्राधिकारियों द्वारा केवल दो सप्ताह के लिये मार्ग-कर वसूल करने के बाद चलते रहने की अनुमति दी गयी । त्रुटिपूर्ण निर्धारणों के फलस्वरूप मई 1979 से दिसम्बर 1980 की अवधि के दौरान 75 वाहनों के सम्बन्ध में 51,558 रुपयों का मार्ग-कर कम वसूल हुआ ।

लेखापरीक्षा (मार्च 1982) में इसके इंगित किये जाने पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी, झांसी ने सूचित किया (दिसम्बर 1983) कि 9,154

रुपये की धनराशि वसूल कर ली गई है और 42,404 रुपयों की शेष धनराशि की वसूली प्रगति में है । 42,404 रुपयों की वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

सरकार ने, जिसे मामला अप्रैल 1981 में प्रतिवेदित किया गया था, विभाग के उत्तर की पुष्टि कर दी है (जून 1984) ।

(iii) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत, किसी प्रक्रम वाहन द्वारा देय मार्ग-कर, अन्य बातों के साथ-साथ, मार्ग की श्रेणी, अर्थात्, स्पेशल श्रेणी, ए श्रेणी, बी श्रेणी अथवा सी श्रेणी जिस पर वाहन चलता है, पर निर्भर करता है । स्पेशल श्रेणी के मार्ग पर चलने वाले वाहन कर की उच्चतम दर आकर्षित करते हैं; ए, बी तथा सी श्रेणी के मार्गों की दरें अपेक्षाकृत निम्नतर हैं । यदि प्रक्रम वाहन विभिन्न श्रेणियों में पड़ने वाले मार्ग से होकर जाता है, तो वह सम्पूर्ण मार्ग के लिए उच्चतम श्रेणी के मार्ग हेतु लागू दर पर मार्ग-कर के भुगतान का दायी है ।

फैजाबाद सम्भाग में, सी श्रेणी के मार्ग के रूप में वर्गीकृत टांडा-माया मार्ग पर चलने वाले 27 प्रक्रम वाहनों के परिचालकों को अपने वाहनों को फैजाबाद तक चलाने की अनुज्ञा दी गयी (नवम्बर 1981) । बढ़ाये गये मार्ग का माया से फैजाबाद तक का भाग स्पेशल श्रेणी का मार्ग था । अतएव इस मार्ग पर वाहनों को चलाने के लिए परिचालक स्पेशल श्रेणी के मार्ग पर लागू कर की भांति कर के भुगतान के दायी थे । किन्तु विभाग सी श्रेणी के मार्ग पर लागू निम्नतर दरों पर कर वसूल करता रहा । त्रुटि के फलस्वरूप नवम्बर 1981 से मार्च 1982 की अवधि के दौरान 31,645 रुपयों का मार्ग-कर कम वसूल हुआ ।

लेखापरीक्षा (अप्रैल 1982) में त्रुटि के इंगित किये जाने पर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली (फरवरी 1985) । प्राप्य कर की वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

(iv) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत, किसी भी मोटर वाहन का प्रयोग किसी सार्वजनिक स्थान में तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके स्वामी ने अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपयुक्त दर पर मार्ग-कर का भुगतान न कर दिया हो ।

बुलन्दशहर उप-सम्भाग में एक प्रक्रम वाहन और सहारनपुर उप-सम्भाग में छः माल वाहनों के संबंध में नवम्बर 1978 और दिसम्बर 1983 के बीच विभिन्न अवधियों हेतु मार्ग-कर निर्धारित और वसूल नहीं किया गया । वसूल न किये गये कर की धनराशि 23,393 रुपये थी ।

इसके अतिरिक्त सहारनपुर उप-सम्भाग में जनवरी 1982 से जून 1984 की अवधि के लिये 19 प्रकम वाहनों और 2 माल वाहनों के संबंध में 8,558 रुपये का मार्ग-कर कम निर्धारित हुआ ।

लेखापरीक्षा (अगस्त 1982 और अगस्त 1984) में इन चूकों और त्रुटियों के इंगित किये जाने पर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बुलन्दशहर ने बताया (मई 1985) कि प्रक्रम वाहन के सम्बन्ध में कर की सम्पूर्ण देय धनराशि (10,532 रुपये) वसूल कर ली गयी है । सहारनपुर उप-सम्भाग में वाहनों के सम्बन्ध में 21,419 रुपयों की धनराशि वसूल करने हेतु की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

सरकार को ये मामले अप्रैल 1981 और अगस्त 1984 के बीच प्रतिवेदित किये गये; इनके सम्बन्ध में उप-प्रस्तर (ii) को छोड़कर अन्य के संबंध में उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986) ।

4.6. यात्री और माल कर का वसूल न किया जाना अथवा कम वसूल किया जाना

(i) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) अधिनियम, 1964 और उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत, माल वाहन/प्रक्रम वाहन के परिचालक से अपेक्षित है कि वह नियत दरों पर मार्ग-कर तथा माल और/अथवा यात्री-कर, जैसी भी स्थिति हो, का भुगतान करे । इन करों में से किसी भी कर के भुगतान में की गयी चूक की दशा में वाहन स्वामी, कर के अतिरिक्त, अर्थदण्ड, जो कर की धनराशि के पचीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, के भुगतान का दायी हो जाता है ।

वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, इलाहाबाद, बरेली, कुमायूं, मुरादाबाद तथा लखनऊ स्थित सम्भागीय परिवहन कार्यालयों और गाजियाबाद तथा बुलन्दशहर स्थित उप-सम्भागीय परिवहन कार्यालयों के विभिन्न अनुभागों के अभिलेखों का एक-दूसरे से मिलान करने पर यह देखा गया कि 15 माल वाहनों और 42 प्रक्रम वाहनों के संबंध में जब कि परिचालकों ने नियत दरों पर मार्ग-कर का भुगतान किया था, वे माल और/अथवा यात्री-कर का भुगतान करने में विफल रहे । इन करों का भुगतान न किया जाना सम्भागीय परिवहन कार्यालयों आदि के विभिन्न अनुभागों के बीच तालमेल की अभाव के कारण विभाग द्वारा पकड़ में आने से रह गया । इन मामलों में वाहन स्वामियों द्वारा अदत्त यात्री तथा माल-कर की धनराशियां

क्रमशः 64,969 रुपये और 75,779 रुपये (जून 1977 और जनवरी 1985 के बीच की विभिन्न अवधियों हेतु) थीं । इसके अतिरिक्त, इन अपवंचित करों की धनराशियों के पच्चीस प्रतिशत से अनधिक अर्थदण्ड आरोपणीय था ।

विभाग और सरकार को मामला अप्रैल 1983 और मार्च 1985 के बीच प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (फरवरी 1986) ।

(ii) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) अधिनियम, 1964 के अंतर्गत दिसम्बर 1981 में जारी की गयी एक अधिसूचना के द्वारा राज्य के भीतर (पर्वतीय सड़कों को छोड़कर) चलाने के लिये प्राधिकृत किसी सार्वजनिक वाहन द्वारा देय माल-कर के एवज में एकमुश्त की दर 14 दिसम्बर 1981 से पुनरीक्षित करके उसकी प्राधिकृत परिवहन क्षमता के प्रति कुन्तल हेतु प्रति मास 3.00 रुपये से 4.50 रुपये कर दी गयी ।

सहारनपुर उप-मण्डल (देहरादून सम्भाग) में 25 वाहनों के सम्बन्ध में दिसम्बर 1981 से जुलाई 1982 की अवधि हेतु कर के एवज में एकमुश्त 3 रुपये प्रतिमाह प्रति कुन्तल की पुरानी दर पर निर्धारित और वसूल किया गया । इटावा उपमंडल (कानपुर सम्भाग) में दो माल वाहनों के संबंध में जून 1982 से जुलाई 1984 की अवधि के दौरान कर के एवज में एकमुश्त का निर्धारण ही नहीं किया गया । कम निर्धारित किये गये अथवा निर्धारित न किये गये कर की धनराशि 26,398 रुपये थी ।

सरकार और विभाग को उपर्युक्त मामले जुलाई 1982 और सितम्बर 1984 में प्रतिवेदित किये गये । सरकार ने बताया (जून 1984) कि उप-सम्भागीय कार्यालय सहारनपुर द्वारा 14,440 रुपये की धनराशि वसूल कर ली गयी है । इटावा उप-सम्भाग में चलने वाले वाहनों से संबंधित अवशेष धनराशि की वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

4.7. फीस की वसूली न करना

मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 तथा उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान कानूनों के अनुसार कोई भी वाहन वैध अनुज्ञा-पत्र और उपयुक्तता प्रमाण-पत्र (सर्टीफिकेट आफ फिटनेस) के बिना मार्ग पर नहीं चल सकता है । मोटर गाड़ी नियमावली, 1940 में वाहनों को अनुज्ञा-पत्र जारी करने तथा उनके नवीनीकरण हेतु फीस लगाये जाने का प्रावधान है । वसूलीयोग्य फीस की धनराशि उन वर्षों की संख्या (न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष) जिनके लिये अनुज्ञा-पत्र जारी किया जाता है तथा इसके

द्वारा आवृत्त सम्भागों की संख्या के अनुसार भिन्न-भिन्न है जो 20 रुपये से 160 रुपये तक प्रति अनुज्ञा-पत्र है । नवीनीकरण फीस की विभिन्न धनराशि 10 रुपये से 80 रुपये तक प्रति अनुज्ञा-पत्र है ।

देहरादून सम्भाग में 1979, 1980 तथा 1981 वर्षों के दौरान 420 आटो-रिक्शों के संबंध में अनुज्ञा-पत्रों और/अथवा उपयुक्तता-प्रमाणपत्रों की अवधि समाप्त हो गयी थी । ये आटो-रिक्शे किराये के मीटर अधिष्ठापित करने में भी विफल रहे । तो भी, उन्हें मार्ग-कर का भुगतान करके मार्ग पर चलने की अनुमति दे दी गयी । अनुज्ञा-पत्रों और/अथवा उपयुक्तता-प्रमाणपत्रों के नवीनीकरण के फलस्वरूप अनुज्ञा फीस और निरीक्षण फीस के रूप में 34,860 रुपये के राजस्व की हानि हुयी ।

लेखापरीक्षा (नवम्बर 1982) में हानि के इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (जुलाई 1983) कि 180 मामलों में 13,400 रुपयों की फीस वसूल कर ली गयी है । 21,460 रुपये की अवशेष धनराशि की वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

सरकार को मामला जनवरी 1983 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

4.8. प्रशमन शुल्क का कम वसूल किया जाना

मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 127-बी के अधीन 21 दिसम्बर 1982 को जारी की गयी सरकारी अधिसूचना के अनुसार, अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों का प्रशमन, प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार द्वारा नियत दरों पर प्रशमन शुल्क वसूल करने के बाद किया जा सकता है ।

पौड़ी और आगरा स्थित सम्भागीय परिवहन कार्यालयों और इटावा, अलीगढ़ तथा रायबरेली स्थित उप-सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में 129 वाहनों के संबंध में पकड़े गये अपराधों का प्रशमन मार्च 1983 और अगस्त 1984 के बीच किया गया, किन्तु वसूल किया गया प्रशमन शुल्क राज्य सरकार द्वारा नियत दरों की अपेक्षा कम था । कम वसूल किया गया प्रशमन शुल्क 63,055 रुपये था ।

लेखापरीक्षा (जुलाई 1984 और अक्तूबर 1984 के बीच) में त्रुटि के इंगित किये जाने पर, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, इटावा ने 4 वाहनों के संबंध में 890 रुपये की धनराशि वसूल कर ली । शेष 125 वाहनों के संबंध में विभाग के उत्तर प्रतीक्षित हैं (फरवरी 1986) ।

सरकार को मामले सितम्बर 1984 और जनवरी 1985 के बीच प्रतिवेदित किये गये;उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (फरवरी 1986) ।

4.9. अर्थदण्ड का न लगाना

उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ-कर) अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत, दूसरे राज्यों के परिवहन वाहन, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने पर प्रवेश बिन्दु की जांच चौकी पर नियत दर पर पथ-कर का भुगतान करने के दायी हैं । इस प्रावधान के उल्लंघन की दशा में वाहन स्वामी पथ-कर के अतिरिक्त प्रत्येक मामले में दो सौ पचास रुपये से अनधिक की धनराशि, अर्थदण्ड के रूप में, भुगतान करने के दायी होते हैं ।

परिवहन जांच चौकी, सिकन्दरा (जिला आगरा) पर, दूसरे राज्यों के 156 वाहनों का, जो राज्य में पथ-कर का भुगतान किये बिना चलते हुये पाये गये थे, 5 अक्तूबर 1983 से 31 मई 1984 की अवधि के दौरान चालान किया गया । यद्यपि वाहनों से पथ-कर वसूल कर लिया गया किन्तु उन पर अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया । इन मामलों में 39,000 रुपये तक का अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता था ।

लेखापरीक्षा (जून 1984) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि यात्री-कर अधीक्षक को, जो परिवहन जांच चौकी का प्रभारी था, अर्थदण्ड आरोपित करने का अधिकार नहीं था ।

सरकार को मामला अगस्त 1984 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986) ।

4.10. विभाग की निष्क्रियता के कारण राजस्व की हानि

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत परिवहन वाहनों पर देय मार्ग-कर निश्चित करने के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश में सभी मार्ग चार श्रेणियों, अर्थात् स्पेशल, ए, बी और सी श्रेणी के मार्गों में विभाजित हैं । स्पेशल श्रेणी के मार्गों पर चलने वाले वाहन मार्ग-कर की उच्चतम दर आकर्षित करते हैं जब कि ए, बी और सी श्रेणी के मार्गों पर चलने वाले वाहनों के संबंध में कर की दरें अपेक्षाकृत निम्नतर हैं । यदि कोई प्रक्रम वाहन विभिन्न श्रेणियों में पड़ने वाले एक से अधिक मार्गों को आवृत्त करता है तो वह उच्चतम श्रेणी के मार्गों पर चलने वाले वाहनों पर लागू मार्ग-कर के भुगतान का दायी है । उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान नियमावली, 1935 में प्रावधान है कि किसी मार्ग का वर्गीकरण करते समय नियंत्रक प्राधिकारी इन तीन प्रयोजनों (कन्सीडरेशन्स) से निर्देशित होगा (i) उस मार्ग पर सार्वजनिक सेवा वाहन

के नियोजन से संभावित संभूत होने वाली आय, (ii) मार्ग अथवा मार्गों अथवा उक्त मार्ग में समाविष्ट किसी मार्ग अथवा मार्गों के अंश-भाग अथवा अंश भागों पर अनुरक्षण व्यय और (iii) सार्वजनिक हित में प्रस्तावित मार्ग के विकास की आवश्यकता ।

(i) वाराणसी सम्भाग में सात मार्गों और अलीगढ़ उपसम्भाग में एक मार्ग पर चलने वाले वाहनों के सम्बन्ध में मार्ग-कर 'ए' श्रेणी/'बी' श्रेणी मार्ग से संबंधित दरों पर प्रभारित किया गया था, यद्यपि इन मार्गों में से प्रत्येक मार्ग का अधिकांश भाग स्पेशल श्रेणी /'ए' श्रेणी में आता था । मार्गों की निम्नतर श्रेणियों के संबंध में लागू गलत दरों पर मार्ग-कर के आरोपण के फलस्वरूप 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान 2,14 लाख रुपयों का कर कम वसूल हुआ ।

विभाग और सरकार को ये मामले अक्तूबर 1983 और सितम्बर 1984 के बीच प्रतिवेदित किये गये । सरकार ने बताया (अक्तूबर 1985) कि अलीगढ़ उप-सम्भाग से संबंधित मार्ग, सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी, आगरा द्वारा नवम्बर 1983 से उन्नत करके स्पेशल श्रेणी का मार्ग कर दिया गया था । सम्भागीय परिवहन अधिकारी, वाराणसी के संबंध में उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986) ।

(ii) सीतापुर-औरंगाबाद तथा सीतापुर-हरदोई मार्ग 'ए' श्रेणी के मार्गों के रूप में वर्गीकृत किये गये थे । सीतापुर से नीमसार तक 35 किलोमीटर का अंश-भाग दोनों मार्गों में उभयनिष्ठ था । सीतापुर-औरंगाबाद मार्ग फरवरी 1982 से उन्नत करके स्पेशल श्रेणी का मार्ग कर दिया गया था । यद्यपि पुनः वर्गीकृत मार्ग (सीतापुर-औरंगाबाद) पर चलने वाले वाहनों के सम्बन्ध में मार्ग-कर फरवरी 1982 से उच्चतर दरों पर सही आरोपित किया गया था, किन्तु सीतापुर–हरदोई मार्ग पर चलने वाले 17 वाहनों के संबंध में 'ए' श्रेणी के मार्गों पर चलने वाले वाहनों पर लागू निम्नतर दरों पर ही कर आरोपित होता रहा । क्योंकि सीतापुर–औरंगाबाद मार्ग के पुनः वर्गीकरण के फलस्वरूप सीतापुर–हरदोई मार्ग का सीतापुर से नीमसार का अंश-भाग स्पेशल श्रेणी के मार्ग में आता था, सीतापुर–हरदोई मार्ग के सम्बन्ध में भी कर स्पेशल श्रेणी के मार्ग पर लागू दरों पर वसूलीयोग्य था । त्रुटि के फलस्वरूप फरवरी 1982 से जून 1983 की अवधि के दौरान 34,576 रुपयों का मार्ग-कर कम वसूल हुआ ।

लेखापरीक्षा (जुलाई 1983) में त्रुटि के इंगित किये जाने पर सरकार ने बताया (जून 1984) कि सितम्बर और अक्तूबर 1983 में सात वाहनों के संबंध में 15,946 रुपयों की धनराशि वसूल कर ली गयी है और शेष दस मामलों में मांग-पत्र जारी कर दिये गये हैं । इसी बीच, उपर्युक्त दोनों मार्गों के सीतापुर–नीमसार खण्ड के पुनः वर्गीकरण को

चुनौती देते हुये परिचालकों में से एक ने उच्च न्यायालय, लखनऊ में रिट याचिका दायर कर दी । उच्च न्यायालय ने पुन: वर्गीकरण आदेश (फरवरी 1982 का) 24 नवम्बर 1983 को इस आधार पर रद्द कर दिया कि पुन: वर्गीकरण करते समय केवल एक ही कारक, अर्थात् उस मार्ग पर सार्वजनिक सेवा वाहन के नियोजन से सम्भावित आय, को विचार में रखा गया था । तथापि, उच्च न्यायालय ने यह संवीक्षा की थी कि यदि ऊपर उल्लिखित तीनों कारकों पर पुनर्विचार के बाद प्राधिकारी यह समझते हैं कि दोनों मार्गों के वर्गीकरण के उन्नयन का औचित्य है तो वे ऐसा कर सकते हैं । किन्तु विभाग ने उच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप औचित्य सिद्ध करने तथा इन मार्गों के सर्वेक्षण और उन्नत कराये जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की । सीतापुर–हरदोई और सीतापुर–औरंगाबाद मार्गों के उन्नयन में विलम्ब के कारण 27,272 रुपये प्रतिवर्ष के राजस्व की आवर्तक हानि नवम्बर 1983 से उठानी पड़ रही है ।

4.11. अपरिचालित (आफ रोड) घोषित वाहनों का अप्राधिकृत परिचालन

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान नियमावली, 1935 के नियम 33 में प्रावधान है कि यदि स्वामी किसी अवधि के दौरान तीन माह से अधिक अवधि हेतु अपने वाहन का प्रयोग नहीं करना चाहता है तो उसे निबन्धन प्रमाण-पत्र और टैक्स टोकेन परिवहन अधिकारी को अभ्यर्पित कर देना चाहिये । जनवरी 1983 में परिवहन आयुक्त ने निर्देश जारी किये थे कि ऐसे मामलों में परिचालकों से उस स्थान को उपदर्शित करने के लिये कहा जाना चाहिये जहां उनके द्वारा वाहनों को रखा जायेगा और यह कि प्रवर्तन (एनफोर्समेन्ट) दल द्वारा ऐसे स्थानों का उपनिरीक्षण किया जाना चाहिये । यदि ऐसा कोई वाहन घोषित स्थान पर नहीं पाया गया तो यह मान लिया जाना था कि वह मार्ग पर चल रहा था और उसके संबंध में कर की वसूली हेतु कदम उठाये जाने थे ।

तीन सम्भागों (आगरा, मुरादाबाद तथा देहरादून) एवं एक उप-सम्भाग (मुजफ्फरनगर) में 26 वाहन, जो स्वामियों द्वारा अपरिचालित घोषित किये गये थे और जिनके सम्बन्ध में उनके द्वारा जून 1982 और जुलाई 1984 के बीच निबन्धन प्रमाण-पत्र तथा टैक्स टोकेन अभ्यर्पित कर दिये गये थे, प्रवर्तन स्टाफ द्वारा फरवरी 1983 और सितम्बर 1984 के बीच मार्ग पर चलते हुये पाये गये । फिर भी, 13,942 रुपये का मार्ग-कर (12 मामलों में), माल-कर (11 मामलों में) और यात्री-कर (3 मामलों में) वाहन स्वामियों से अभी तक (फरवरी 1986) वसूल नहीं किया गया है ।

विभाग और सरकार को उपर्युक्त मामले जून 1985 में प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (फरवरी 1986) ।

अध्याय 5

स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस

5.1. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1984-85 के दौरान जिला रजिस्ट्रारों तथा सब-रजिस्ट्रारों के लखे तथा सम्बद्ध अभिलेखों के जांच परीक्षण में 206 मामलों में 26.87 लाख रुपयों के स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस के कम लगाये जाने का पता चला जिनका मोटे रूप से वर्गीकरण निम्नवत् किया जा सकता है :

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
1.	सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस का कम आरोपण	155	18.90
2.	प्रलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण छूट की अनियमित स्वीकृति तथा कम करारोपण	16	1.04
3.	अन्य मामले	35	6.93
	योग	206	26.87

पूर्ववर्ती वर्षों के मामलों सहित कुछ महत्वपूर्ण मामले उत्तरवर्ती प्रस्तरों में दिये गये हैं ।

5.2. कृषि-इतर जमीनों के अवमूल्यांकन के कारण कम करारोपण

(i) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जैसा कि वह उत्तर प्रदेश में लागू है) और उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत, किसी हस्तान्तरण विलेख के संबंध में स्टाम्प शुल्क विलेख के विषय वाली सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर आरोपणीय है । किसी स्थानीय निकाय की सीमाओं के अन्दर स्थित कृषि-इतर भूमि से संबंधित हस्तान्तरण प्रपत्र के संबंध में भूमि का मूल्य प्रपत्र के निष्पादन की तिथि को क्षेत्र (लोकैलिटी) में प्रचलित औसत मूल्य के आधार पर निकाले गये मूल्य के बराबर माना जायेगा ।

फरवरी 1982 में निष्पादित एक एकड़ माप वाले एक वाणिज्यिक भूखण्ड (टाउन एरिया सुमेरपुर, जिला हमीरपुर की सीमाओं के अन्दर स्थित) से संबंधित हस्तान्तरण प्रपत्र पर, प्रपत्र में दर्शित 18,000 रुपये भूखण्ड का मूल्य लेते हुए 1,530 रुपये स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया गया । अपनाया गया मूल्य कम था, क्योंकि क्षेत्र में प्रचलित ऐसे भूखण्ड के विक्रय मूल्य, जैसा कि कलेक्टर, हमीरपुर ने सूचित किया था, 2 रुपये और 10 रुपये प्रति वर्ग फुट के मध्य, अर्थात् 0.87 लाख रुपये और 4.36 रुपये प्रति एकड़ के मध्य थे । इस प्रकार भूखण्ड के अवमूल्यांकन के फलस्वरूप स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ ।

लेखापरीक्षा (अक्तूबर 1982) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने नवम्बर 1982 में प्रलेख को अधिनिर्णय हेतु कलेक्टर के पास भेज दिया । कलेक्टर ने 15,937 रुपयों का अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क और 31,875 रुपये अर्थदण्ड आरोपित कर दिया जिसके लिए मार्च 1984 में वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया । किन्तु अपील में स्टाम्प शुल्क और अर्थदण्ड की वसूली राजस्व परिषद् द्वारा जून 1984 में इस शर्त पर स्थगित कर दी गयी कि अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की आधी धनराशि, अर्थात् 7,969 रुपये, पार्टी द्वारा जमा कर दी जाये । यह धनराशि 13 जुलाई 1984 को जमा कर दी गयी । अपील पर राजस्व परिषद् का निर्णय प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

(ii) समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली, 1942 के अनुसार ऐसी कृषि-इतर भूमि का बाजार मूल्य, जिसका राजस्व निर्धारित नहीं हुआ है और जिससे प्रपत्र के निष्पादन की तिथि से तुरन्त पूर्व के तीन वर्षों की अवधि के दौरान कोई लाभ नहीं उठाया गया है, भूमि के कल्पित वार्षिक लगान (एज्यूम्ड एनुअल रेण्ट) का 400 गुना होगा ।

1981 और 1982 वर्षों के दौरान 5 जिलों में निबंधित हस्तान्तरणों के ऐसे 72 मामलों में जमीनों का मूल्य ठीक-ठीक निश्चित नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप 1.47 लाख रुपयों के स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ ।

लेखापरीक्षा (अप्रैल 1980 से अप्रैल 1982) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि सम्पत्तियों के सही मूल्य निश्चित करने के लिए 52 प्रपत्र कलेक्टर को सन्दर्भित कर दिये गये हैं । शेष 20 प्रपत्रों में कृत कार्यवाही की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

सरकार को उपर्युक्त मामले अप्रैल 1980 और दिसम्बर 1982 के बीच प्रतिवेदित किये गये । उप-प्रस्तर (i) के सम्बंध में सरकार ने

बताया (फरवरी 1986) कि मामले को शीघ्र निबटाने के लिए राजस्व परिषद् से निवेदन किया गया है ।

5.3. भवन सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण कम करारोपण

समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली, 1942 के अन्तर्गत, हस्तांतरण, विनिमय, उपहार, व्यवस्थापन, पंचाट (एवार्ड) अथवा न्यास प्रपत्र के विषय वाले भवन का बाजार मूल्य, उस भवन के, जिसका गृह-कर निर्धारित है, वास्तविक अथवा निर्धारित (असेस्ड) वार्षिक किराया, जो भी अधिक हो, के 25 गुने पर और उस भवन के, जिसका गृह-कर निर्धारित नहीं है, वास्तविक अथवा कल्पित (एज्यूम्ड) वार्षिक किराया, जो भी अधिक हो, के पचीस गुने पर निश्चित किए गये मूल्य से कम नहीं माना जायेगा ।

(i) 1981 और 1985 के बीच सात जिलों में निबंधित 12 प्रपत्रों में वार्षिक निर्धारित अथवा कल्पित किराया और भवनों के विवरण इत्यादि नहीं दर्शाये गये और न ही निबंधक कार्यालयों ने प्रलेखों को निबंधित करने से पूर्व इन विवरणों की जानकारी प्राप्त की । केवल 4 प्रपत्रों में ही इस भूल के फलस्वरूप 0.38 लाख रुपयों का स्टाम्प शुल्क कम प्रभारित किया गया ।

विभाग को मामले जुलाई 1981 और जनवरी 1985 के बीच प्रतिवेदित किये गये । विभाग ने बताया (जुलाई 1981 से जनवरी 1985) कि सम्पत्तियों के सही मूल्य निर्धारण हेतु प्रपत्र कलेक्टर को संदर्भित कर दिये गये हैं ।

(ii) चायल (जिला इलाहाबाद) में स्थित क्रमशः 1,632.50 वर्ग मीटर और 2,879.00 वर्ग मीटर माप वाले दो भवनों और सम्बद्ध जमीनों (अपर्टिनेण्ट लैण्ड) से संबंधित दो हस्तांतरण विलेखों (नवम्बर और दिसम्बर 1980 में निबंधित) पर प्रपत्रों में उल्लिखित, भवनों और सम्बद्ध जमीनों के क्रमशः 55,000 रुपयों और 60,000 रुपयों के मूल्यांकन पर आधारित 12,075 रुपये स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया गया । चूंकि अपनाये गये मूल्य निम्नाभिमुख (आन दी लो साइड) प्रतीत हुए और कलेक्टर ने चायल में स्थित जमीनों के मूल्य नियत नहीं किये थे, लेखापरीक्षा ने सम्पत्तियों के सही मूल्य सुनिश्चित करने के लिए मामलों को कलेक्टर को सन्दर्भित करने के लिए निवेदन किया (दिसम्बर 1981) । विभाग ने नवम्बर 1984 में सूचित किया कि इन सम्पत्तियों का मूल्यांकन क्रमशः 2,74,260 रुपये और 4,83,805 रुपये पुनर्निर्धारित कर दिया गया है और निष्पादकों के विरुद्ध 23,047 रुपये और 44,520 रुपयों हेतु अतिरिक्त मांगें सृजित कर दी गयी हैं ।

सरकार को उपर्युक्त मामले जुलाई 1981 और सितम्बर 1985 के बीच प्रतिवेदित किये गये । उपर्युक्त क्रमांक (ii) के मामलों के सम्बंध में सरकार ने बताया (फरवरी 1986) कि 11,524 रुपये और 22,260 रुपयों की धनराशियां जुलाई 1985 और अगस्त 1985 में जमा कर दी गयी हैं और शेष धनराशियों की वसूली राजस्व परिषद् द्वारा स्थगित कर दी गयी हैं । उपर्युक्त क्रमांक (i) के मामलों के सम्बन्ध में उत्तर प्रतीक्षित हैं ।

5.4. भूमि के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस का कम प्रभार

उत्तर प्रदेश में लागू होने के लिए यथा संशोधित, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत, किसी हस्तान्तरण विलेख पर स्टाम्प शुल्क या तो विलेख के विषय वाली सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर अथवा उसमें दर्शित प्रतिफल पर, जो भी उच्चतर हो, प्रभार्य है । उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली, 1942 के अनुसार निबंधक प्राधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु किसी जिले में स्थित भूमि की विभिन्न श्रेणियों की बाजार दरें द्विवार्षिकतया नियत तथा अधिसूचित की जानी होती हैं ।

(i) 1980 और 1985 के बीच 13 जिलों में निबन्धित, अचल सम्पत्तियों के 123 हस्तान्तरण प्रपत्रों के सम्बंध में प्रपत्रों में उल्लिखित अपेक्षाकृत कम मूल्यों पर आधारित स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया, यद्यपि भूमि की औसत बाजार दरें, जैसा कि कलेक्टर ने निबन्धक प्राधिकारियों को सूचित किया था, प्रपत्रों में दर्शाये गये मूल्यों की अपेक्षा अधिक थीं । 1981 से 1985 अवधि के दौरान ही 9 जिलों में निबन्धित 111 अन्य प्रपत्रों पर, प्रपत्रों में दर्शाये गये सम्पत्तियों के मूल्यों पर आधारित स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया गया, जो (मूल्य) उन्हीं या आसन्न क्षेत्रों में समान सम्पत्तियों के प्रचलित बाजार मूल्यों की अपेक्षा कम थे । इसके अतिरिक्त 1981 से 1984 अवधि के दौरान 6 जिलों में निबन्धित हस्तान्तरण विलेखों के 35 अन्य मामलों में, स्टाम्प शुल्क के आरोपण के प्रयोजन हेतु, सम्पत्तियों के मूल्य कृषीय जमीनों के लिए निर्धारित दरों के सन्दर्भ में निश्चित किये गये, यद्यपि सम्पत्तियां वस्तुत: आबादी क्षेत्रों में स्थित थीं जिसके लिए उच्चतर दरें निर्धारित की गयी थीं ।

इन भूलों के फलस्वरूप ऊपर उल्लिखित 123, 111 और 35 प्रपत्रों के सम्बंध में क्रमश: 4.89 लाख रुपयों, 1.08 लाख रुपयों और 0.80 लाख रुपयों के स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ ।

लेखापरीक्षा (जून 1980 और मार्च 1985 के बीच) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (जून 1980 से मार्च 1985) कि सम्पत्तियों के सही मूल्यों को निश्चित करने के लिए प्रपत्र कलेक्टरों को सन्दर्भित कर दिये गये हैं ।

(ii) अप्रैल 1983 और अगस्त 1983 में कायमगंज (जिला फर्रुखाबाद) में निबन्धित भूमि के 5 हस्तान्तरण विलेखों पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस की वसूली प्रलेखों में दिखाये गये मूल्य पर की गयी जो (मूल्य) अप्रैल 1983 में कलेक्टर द्वारा अधिसूचित बाजार मूल्यों की अपेक्षा कम था । इसके फलस्वरूप 38,590 रुपयों के स्टाम्प शुल्क तथा रजिस्ट्रेशन फीस का कम आरोपण हुआ ।

लेखापरीक्षा (सितम्बर 1984) में इसके इंगित किये जाने पर कलेक्टर ने 38,590 रुपयों का अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क तथा प्रपत्रों में सम्पत्तियों का गलत मूल्य सूचित करने के लिए निष्पादकों पर 77,180 रुपयों के अर्थदण्ड भी आरोपित कर दिये गये (अप्रैल 1985) । वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

सरकार को उपर्युक्त मामले नवम्बर 1980 और मार्च 1985 के बीच सन्दर्भित किये गये; उप-प्रस्तर (ii) के सम्बंध में सरकार ने तथ्यों की पुष्टि कर दी (फरवरी 1986) ।

5.5. प्रपत्रों के गलत वर्गीकरण के कारण कम आरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 और उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत, किसी प्रपत्र पर उचित स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता उसकी विषय-वस्तु के अनुसार निश्चित की जाती है, न कि निष्पादक द्वारा दिये गये आगम (टाइ-टिल) के अनुसार । किन्तु, 39 मामलों में, 1980 और 1983 के बीच 10 जिलों में निबन्धित विभिन्न प्रकार के प्रलेख गलत वर्गीकृत किये गये पाये गये । उदाहरणार्थ, उपहार, विक्रय अथवा व्यवस्थापन के रूप में वर्गी-करणयोग्य प्रपत्रों को पट्टा अथवा बन्ध-पत्र के रुप में माना गया; प्रतिफल सहित मुख्तारनामा तथा अचल सम्पत्तियों के विक्रय प्राधिकारकरण को बिना प्रतिफल इत्यादि के रूप में माना गया । गलत वर्गीकरणों के फलस्वरूप 3.56 लाख रुपयों के स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ ।

लेखापरीक्षा (मई 1980 और जून 1983 के बीच) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि इन मामलों में आरोपणीय सही स्टाम्प शुल्क निश्चित करने के लिए 36 प्रपत्र कलेक्टर को सन्दर्भित कर दिये गये हैं । शेष तीन प्रलेखों के विषय में कृत कार्यवाही की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

सरकार को उपर्युक्त मामले मई 1980 और जून 1983 के बीच प्रतिवेदित किये गये; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

5.6. कर निर्धारणों के बकाये (एरियर्स)

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत, जब किसी निबन्धक अधिकारी को हस्तान्तरण, उपहार, भागीदारी अथवा व्यवस्थापन प्रपत्र को निबन्धित करते समय सकारण यह विश्वास हो कि उस सम्पत्ति का बाजार मूल्य, जो ऐसे प्रपत्र की विषय-वस्तु है, प्रपत्र में ठीक-ठीक नहीं दिखाया गया है तो वह, ऐसे प्रपत्र को निबन्धित करने के बाद, ऐसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य तथा उस पर प्रभार्य उचित शुल्क निश्चित करने के लिए मामले को कलेक्टर को सन्दर्भित कर सकता है । उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली, 1942 के नियम 349 (सरकारी अधिसूचना सं0 एस आर-1850/x-500 (1)-75 दिनांकित 24 जुलाई 1976 द्वारा पहली जुलाई 1976 से पुनः—स्थापित) के अनुसार कलेक्टर को सन्दर्भित प्रलेख, जहां तक सम्भव हो, तीन मास के अन्दर अधिनिर्णीत कर दिये जाने चाहिए ।

किन्तु, 28 कलेक्टरों को सन्दर्भित 9,490 मामले (1979-80 से 1981-82 के दौरान 1,330 मामले, 1982-83 और 1983-84 के दौरान 7,307 मामले और 1984-85 के दौरान 853 मामले) अभी तक (फरवरी 1986) अधिनिर्णीत नहीं किये गये हैं ।

विभाग और सरकार को मामला सितम्बर 1985 में सन्दर्भित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (फरवरी 1986) ।

5.7. वसूलियों के बकाये

31 मार्च 1985 को, 18 जिलों से कलेक्टरों को सन्दर्भित मामलों के सम्बन्ध में उनके द्वारा आरोपित 182.07 लाख रुपयों के अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्रेशन फीस तथा अर्थदण्डों की धनराशियां वसूली हेतु बकाया थीं । इनमें से, 24.10 लाख रुपये धनराशि की वसूलियां राजस्व परिषद् तथा न्यायालयों द्वारा स्थगित कर दी गयी थी । 157.97 लाख रुपयों की शेष वसूलियां करने के लिए प्रभावशाली कदम नहीं उठाये गये ।

विभाग तथा सरकार को मामला सितम्बर 1985 में सन्दर्भित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (फरवरी 1986) ।

5.8. वन संविदा प्रपत्रों पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान न किया जाना

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत, 14 जनवरी 1982 को जारी की गयी उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना के अनुसार 20 जनवरी

1982 से खड़े वृक्षों अथवा किसी अन्य वन उपज की बिक्री हेतु वन विभाग द्वारा निष्पादित 5,000 रुपये से अधिक की सभी संविदाओं पर स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है। कुछ कार्य संविदाओं के मामले में, यदि प्रतिफल की धनराशि 5,000 रुपयों से अधिक न हो तो भी स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है। स्टाम्प शुल्क, यदि प्रतिफल 1,000 रुपयों से कम है तो प्रति एक सौ रुपये या उसके अंश पर 8.50 रुपये की दर से और यदि प्रतिफल 1,000 रुपये से अधिक है तो प्रति पांच सौ रुपये या उसके अंश पर 42.50 रुपये की दर से आरोपणीय है।

केवल सात वन प्रभागों में 1982-83 से 1984-85 के दौरान निष्पादित वन उपज की बिक्री हेतु 220 संविदाओं तथा 85 कार्य संविदाओं के संबंध में 3.44 लाख रुपयों के स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं किया गया।

विभाग तथा सरकार को मामला जनवरी और मार्च 1985 के बीच प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (फरवरी 1986)।

5.9. **उन संविदाओं पर, जिनमें प्रतिभूतियां जमा करने हेतु प्रावधान था, स्टाम्प शुल्क की वसूली न किया जाना**

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत 1982 में जारी की गयी सरकारी अधिसूचना के अनुसार उन संविदाओं पर, जिनमें संविदाओं के उचित निष्पादन हेतु सरकार के पास प्रतिभूतियां जमा करने हेतु प्रावधान था, जिसके अनुसार प्रति हजार रुपये की प्रतिभूति जमाराशियों पर प्रतिभूति जमाराशियों के नकद अथवा नियतकालिक जमा रसीदों के रूप में होने पर—85 रुपये अथवा 42.50 रुपये की दर से स्टाम्प शुल्क प्रभार्य था।

आठ सार्वजनिक निर्माण प्रभागों में, उन 2,424 संविदाओं (अप्रैल 1982 और मार्च 1984 के बीच निष्पादित) के सम्बन्ध में, जिनमें नकद (43.16 लाख रुपये) और नियतकालिक जमा रसीदों (48.45 लाख रुपये) के रूप में प्रतिभूति जमा करने हेतु प्रावधान था, स्टाम्प शुल्क आरोपित नहीं किया गया। इस भूल के फलस्वरूप 5.74 लाख रुपयों के स्टाम्प शुल्क की वसूली नहीं हुई।

विभाग तथा सरकार को मामला जून 1984 और मार्च 1985 के बीच सन्दर्भित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (फरवरी 1986)।

अध्याय 6

गन्ने के क्रय पर कर

6·1· लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1984-85 के दौरान चीनी मिलों और खाण्डसारी इकाइयों के अभिलेखों के जांच परीक्षण में 81 मामलों में 117·27 लाख रुपयों के कर के न लगाने/कम लगाने का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नवत् वर्गीकृत किये गये हैं :

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
1·	क्रय-कर का भुगतान किये बिना चीनी के बोरों की निकासी	11	109·31
2·	नियमों के अननुपालन के कारण कर की कम वसूली	24	2·80
3·	अनियमित कर-निर्धारण	20	3·26
4·	ब्याज तथा अर्थदण्ड का न लगाना	6	0·38
5·	विविध	20	1·52
	योग	81	117·27

पूर्ववर्ती वर्षों के मामलों सहित कुछ महत्वपूर्ण मामले अनुवर्ती प्रस्तरों में दिये गये हैं ।

6·2· कर का कम लगाया जाना

पहली अप्रैल 1982 से यथा संशोधित उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) नियमावली, 1961 के नियम 13-क के साथ पठित उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अन्तर्गत, किसी इकाई के स्वामी से अपेक्षित है कि वह या तो उसके द्वारा वस्तुतः खरीदे गये गन्ने की मात्रा पर अथवा, अपने विकल्प पर, इकाई की पेराई क्षमता तथा अन्य सम्बद्ध घटकों पर आधारित गन्ने की कल्पित खरीदी गई मात्रा पर कर का भुगतान करे ।

यदि वह कल्पित मात्रा के आधार पर कर के भुगतान करने का विकल्प लेता है, तो उससे अपेक्षित है कि वह चीनी आयुक्त, सहायक चीनी आयुक्त तथा कर-निर्धारण अधिकारी को इकाई प्रारम्भ करने की तिथि का उल्लेख करते हुए निर्धारित फार्म XIII में एक घोषणा-पत्र इस प्रकार भेजे कि वह उनके पास इकाई प्रारम्भ करने के पन्द्रह दिन पूर्व पहुंच जाये । इस अपेक्षा का पालन न करने पर कर-निर्धारण के प्रयोजनार्थ इकाई अविकल्पित इकाई मानी जायेगी । यदि बाद में इकाई स्वामी घोषणा-पत्र में निर्दिष्ट तिथि से पूर्व या बाद की तिथि से अपनी इकाई का कार्य-संचालन प्रारम्भ करने का निर्णय लेता है, तो उसे इस हेतु उसी प्रकार निर्दिष्ट तिथि से कम से कम एक सप्ताह पूर्व सूचना देनी होगी ।

(i) बिजनौर जिले में एक इकाई के प्रारम्भ करने की तिथि उसके स्वामी द्वारा 17 दिसम्बर 1982 घोषित की गयी । कर-निर्धारण अधिकारी को घोषणा-पत्र 3 दिसम्बर 1982 को प्राप्त हुआ । इकाई पर कर-निर्धारण, विकल्पित इकाई की भांति गन्ने की कल्पित मात्रा (63,933 कुन्तल) के आधार पर किया गया । चूंकि घोषणा-पत्र कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा, जैसा कि निर्धारित है, इकाई के प्रारम्भ होने के 15 दिन पूर्व नहीं प्राप्त हुआ था, इकाई का कर-निर्धारण गन्ने की वास्तविक खरीदों (1,21,660 कुन्तल) पर आधारित होना चाहिये था, न कि विकल्पित इकाई की भांति कल्पित आधार पर । ऐसा न किये जाने के फलस्वरूप 57,727 रुपयों का कर कम लगा ।

लेखापरीक्षा (फरवरी 1985) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने आडिट आपत्ति स्वीकार कर ली और वास्तविक खरीदों के आधार पर कर निर्धारित कर दिया । परन्तु कर निर्धारिती द्वारा उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया बताया गया (फरवरी 1986) ।

(ii) मेरठ जिले में एक खांडसारी इकाई स्वामी ने 3,920 रुपये प्रति माह के कर-दायित्व के साथ एक पावर क्रशर (आकार 11"×14"), चार मेरठ टाइप बेलों के साथ गैर-हाइड्रॉलिक गैर-सल्फीटेशन प्लान्ट तथा एक शक्तिचालित सेन्ट्रीफ्यूगल प्रयोग करने के लिए 1980-81 में लाइसेंस प्राप्त किया । परन्तु, खाण्डसारी अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट (दिनांक 25 मार्च 1981) के अनुसार, उसने वस्तुतः 12"×14" के आकार का क्रशर प्रयुक्त किया जो 7,000 रुपये प्रति माह का कर-दायित्व आकर्षित करता था । खाण्डसारी अधिकारी की रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद भी 3,080 रुपये प्रति माह का अन्तरीय कर विभाग द्वारा वसूल नहीं किया गया । इसके फलस्वरूप दिसम्बर 1980 से 31 मार्च 1981 की अवधि हेतु 12,320 रुपयों का कर कम वसूल किया गया ।

लेखापरीक्षा (नवम्बर 1981) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (जून 1984) कि निर्धारिती से अन्तरीय कर की मांग की गई है (मार्च 1984) । परन्तु कर-निर्धारिती द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया (जून 1985) बताया गया (फरवरी 1986) ।

सरकार ने, जिसे मामला अगस्त 1985 में प्रतिवेदित किया गया था, उपर्युक्त स्थिति की पुष्टि कर दी है (जनवरी 1986) ।

(iii) मुजफ्फरनगर, सीतापुर, शाहजहांपुर तथा बदायूं जिलों में पांच खाण्डसारी इकायों ने, जिन्होंने 1981-82 तथा 1982-83 कर-निर्धारण वर्षों के दौरान की गई गन्ने की कल्पित खरीदों के आधार पर कर के भुगतान का विकल्प लिया था, फार्म XIII में अपने घोषणा-पत्रों में निर्दिष्ट तिथियों अथवा कर निर्धारण प्राधिकारी को बाद में उनके द्वारा सूचित वैधपूर्ण परिवर्तित तिथियों के बाद की तिथियों से कार्य प्रारम्भ किया । जैसा नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है, उन पर कर-निर्धारण घोषित/वैधपूर्ण परिवर्तित तिथियों के बजाय उनके वस्तुत: कार्य प्रारम्भ करने की तिथियों से किया गया । नियमों के अननुपालन के फलस्वरूप 17,520 रुपयों का कर कम वसूल किया गया ।

लेखापरीक्षा (जून 1982 तथा सितम्बर 1984 के बीच) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने चार मामलों (कर-प्रभाव 15,280 रुपये) के सम्बन्ध में अनियमितता स्वीकार कर ली और एक मामले में 3,547 रुपये वसूल कर लिये । शेष धनराशि की वसूली तथा शेष एक मामले में की गयी कार्यवाही की सूचना प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

सरकार को उपयुर्क्त मामले फरवरी तथा अगस्त 1985 के मध्य प्रतिवेदित किये गये; उप-प्रस्तर 6.2 (ii) को छोड़कर अन्य के संबंध में उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986) ।

6.3. बन्दी की अनियमित नोटिसें स्वीकार करने के कारण कर का कम निर्धारण

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत, खांडसारी इकाई के उस स्वामी से, जिसने गन्ने की कल्पित खरीदों के आधार पर कर के भुगतान का विकल्प लिया हो और अपनी इकाई बन्द कर देना चाहता हो, अपेक्षित है कि वह चीनी आयुक्त, सहायक चीनी आयुक्त तथा कर-निर्धारण अधिकारी को अपनी इकाई का कार्य बन्द कर देने की तिथि की सूचना लिखित रूप में (रजिस्टर्ड कवर के अन्तर्गत) दे । ऐसी सूचना उपर्युक्त प्राधिकारियों को बन्दी की अभीष्ट तिथि से कम से कम एक सप्ताह पूर्व दी जानी

चाहिये । यदि इकाई स्वामी पूर्व निर्दिष्ट तिथि के बाद की किसी तिथि से अपनी इकाई बन्द करने का निर्णय लेता है, तो उसे इस हेतु निर्दिष्ट तिथि से कम से कम एक सप्ताह पूर्व सूचना देनी चाहिये । नियमों में यह भी प्रावधान है कि यदि इकाई निर्दिष्ट या परिवर्तित तिथि के बाद, सूचना दिये बिना कार्यरत पाई जाती है, तो कर उस सम्पूर्ण माह हेतु देय होगा ।

पीलीभीत, सीतापुर, बिजनौर, नैनीताल, शाहजहांपुर तथा मुरादाबाद जिलों में नौ खांडसारी इकाइयों ने, जिन्होंने पेराई मौसम 1982-83 के दौरान गन्ने की कल्पित खरीदों पर आधारित कर के भुगतान का विकल्प लिया था, अपनी इकाइयों का कार्य कर-निर्धारण प्राधिकारियों को उनके द्वारा वैधपूर्ण सूचित की गयी तिथियों के बाद की तिथियों पर बन्द किया । फिर भी, जैसा कि नियमों के अंतर्गत अपेक्षित है, इन इकाइयों पर कर, उस सम्पूर्ण माह के बजाय जिसमें ये बन्द की गयी थीं, उनकी बन्दी की तिथियों तक निर्धारित किया गया । नियमों के अननुपालन के फलस्वरूप 60,800 रुपयों का कर कम वसूल किया गया ।

लेखापरीक्षा (सितम्बर 1983 और फरवरी 1985 के बीच) में त्रुटि के इंगित किये जाने पर विभाग ने आडिट आपत्ति स्वीकार कर ली और 32,233 रुपये वसूल कर लिये । शेष धनराशि की वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

सरकार को मामला मई 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986) ।

कम कर-निर्धारण के ऐसे ही मामले वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के क्रमशः प्रस्तर 6.3. और 6.2 में प्रतिवेदित किये गये थे ।

6.4. कर के विलम्बित भुगतानों पर ब्याज और अर्थदण्ड का न लगाया जाना

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत यदि कोई कर उसके भुगतान हेतु निर्धारित तिथि तक अदा न किया जाये तो उस तिथि से भुगतान की तिथि तक उस पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा । जब कर या ब्याज अथवा दोनों पन्द्रह दिनों से अधिक की अवधि हेतु अदा नहीं किये जाते तो भुगतान में हुए विलम्ब की अवधि के अनुसार कुल देय धनराशि के 5 से 10 प्रतिशत के बीच की दरों पर अर्थदण्ड भी देय होगा ।

विजनौर जिले में सत्रह खांडसारी इकाइयों ने 1961-62 से 1983-84 की अवधि के दौरान सरकारी देयों के विलम्बित भुगतानों पर लगने वाले 26,182 रुपयों के ब्याज और अर्थदण्ड का या तो भुगतान ही नहीं किया अथवा कम भुगतान किया । फिर भी, सरकार द्वारा वसूल किये जाने वाले बकायों के मासिक विवरणियों से उनके नाम हटा दिये गये ।

लेखापरीक्षा (जुलाई 1984) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (फरवरी 1986) कि ब्याज तथा अर्थदण्ड के रूप में 18,964 रुपये वसूल कर लिये गये हैं । शेष धनराशि की वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

सरकार को मामला जून 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986) ।

6.5. कार्यकारी आदेश के अन्तर्गत कर के भुगतान का आस्थगन

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत, कोई भी चीनी मिल मालिक उपभोग हेतु अथवा बिक्री हेतु या मिल के अन्दर या बाहर किसी अन्य वस्तु के निर्माण हेतु मिल में उत्पादित चीनी की निकासी तब तक नहीं करेगा जब तक वह चीनी के निर्माण में उपभुक्त गन्ने की खरीद पर लगने वाले कर का भुगतान नहीं कर देता । इन प्रावधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप मिल, देय कर के अतिरिक्त, ऐसी देय धनराशि के एक सौ प्रतिशत से अधिक न होने वाली धनराशि का अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करने को दायी होगी ।

(i) नैनीताल जिले में, सरकार (उद्योग विभाग) द्वारा जारी किये गये एक कार्यकारी आदेश दिनांकित 19 जनवरी 1984 के आधार पर एक चीनी मिल ने 11 फरवरी 1984 से आगे, कर का भुगतान किए बिना, चीनी की निकासियां कीं । अधिनियम अथवा नियमावली में किसी प्रावधान के अभाव में कर के भुगतान के आस्थगन का आदेश अनियमित था और इसके फलस्वरूप मिल के विरुद्ध 41,60,951 रुपयों के कर (31 दिसम्बर 1984 तक) के भारी बकाये संचित हो गये । इसके अतिरिक्त, इस आदेश में संकल्पित आस्थगन बाद की अवधि 15 मई 1985 से 15 नवम्बर 1989 हेतु था जिसके दौरान मिल द्वारा वित्तीय संस्थाओं (मौजूदा मामले में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, नई दिल्ली से लिये गये 180 लाख रुपये) से लिया गया ऋण चुकाया जाना था । परन्तु मिल ने 19 जनवरी 1984 के उपर्युक्त आदेश के जारी होने के परिणामस्वरूप 11 फरवरी 1984 से कर का भुगतान करना बन्द कर दिया । इसके अतिरिक्त, ऋण की अदायगी की अवधि की

समाप्ति के पश्चात्, आस्थगित कर के भुगतान की योजना और विधि के बारे में आदेश में कुछ भी नहीं कहा गया था ।

(ii) बहराइच जिले में एक चीनी मिल ने 1981-82 मौसम के दौरान उत्पादित 83,821 कुन्तल चीनी के अपने पूरे स्टाक की निकासी 30 नवम्बर 1983 तक कर दी । मिल ने, 10,91,939 रुपयों की कुल कर देयता के समक्ष, 3,64,963 रुपयों का भुगतान किया । यद्यपि मिल कर-निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किये गये अपने मासिक विवरणों में कर का भुगतान किये बिना या कर के कम भुगतान पर चीनी की निकासियां दिखाती रही, फिर भी कर की वसूली तथा अर्थ-दण्ड आरोपित करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

विभाग और सरकार को उपर्युक्त मामले फरवरी 1984, अप्रैल 1985 और मई 1985 में प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (फरवरी 1986) ।

अध्याय 7

अन्य कर प्राप्तियां

क–भू-राजस्व

7.1. लेखापरीक्षा के परिणाम

अप्रैल 1984 से 31 मार्च 1985 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा में किये गये राजस्व विभाग के कार्यालयों के लेखे के जांच परीक्षण से 237 मामलों में 138.72 लाख रुपये के भू-राजस्व और भूमि विकास कर के अव-निर्धारण और कम संग्रह का पता चला, जो कि मोटे तौर से निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
1. भू-राजस्व और भूमि विकास कर का न लगाया जाना अथवा कम लगाया जाना	177	129.60
2. संग्रह प्रभारों की कम वसूली	28	1.68
3. विविध	32	7.44
योग	237	138.72

कुछ महत्वपूर्ण मामले, पूर्ववर्ती मामलों को शामिल करते हुए, अनुवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित किये गये हैं ।

7.2. भूमि के लगान का निर्धारण न किया जाना

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण नियमावली, 1961 के अन्तर्गत, अधिशेष (सरप्लस) भूमि के पट्टेदार, बन्दोबस्त में उनके पक्ष में दी गई ऐसी भूमि के संबंध में राज्य सरकार को, ऐसी भूमि पर लागू स्वीकृत मौरूसी दर के दुगुने पर परिगणित लगान का वार्षिक भुगतान करेंगे ।

जुलाई 1970 से जून 1983 की अवधि के दौरान विभिन्न अवधियों में कुछ तहसीलों में अधिशेष भूमि के पट्टेदारों से भूमि के

लगान की वसूली न किये जाने के कारण 12.72 लाख रुपयों के राजस्व की हानि का उल्लेख वर्ष 1982-83 के लिये राजस्व प्राप्तियों पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 7.2 में किया गया था ।

आठ अन्य तहसीलों में भी फसली वर्ष 1384 से 1392 (जुलाई 1977 और जून 1984 के बीच) में विभिन्न अवधियों हेतु अधिशेष भूमि के पट्टेदारों से वसूली योग्य भूमि का लगान निर्धारित और वसूल नहीं किया गया । इन मामलों में 2.08 लाख रुपयों के राजस्व की हानि हुई ।

लेखापरीक्षा (मई 1982 और अगस्त 1984 के बीच) में चूक के इंगित किये जाने पर चार तहसीलों ने 89,040 रुपयों की मांगें सृजित कर दीं । शेष मामलों में की गई कार्यवाही पर सूचना की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986) ।

सरकार ने, जिसे मामला मई 1982 में प्रतिवेदित किया गया था, बताया (जून 1985) कि ऐसे छोटे-छोटे भूमि धारकों को पहली जुलाई 1981 से भूमि के लगान के भुगतान से मुक्त करने के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश जमीन्दारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत लाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । इन मामलों में वसूलियां भी सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई हैं ।

7.3. संग्रह प्रभारों की वसूली न करना

राजस्व वसूली (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1965 के अनुसार, राजस्व प्राधिकारियों से अपेक्षित है कि वे, अन्य सरकारों, अर्ध-सरकारी संस्थाओं और स्थानीय निकायों के निस्वत देयों की वसूली प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर, भू-राजस्व के बकायों के रूप में कर लें । संग्रह प्रभार राजस्व प्राधिकारियों द्वारा सेवा प्रभारों की भांति वसूल किये जाते हैं । राजस्व परिषद् ने अपने परिपत्र दिनांकित 30 जून 1975 में निर्देशित किया था कि वसूली प्रमाणपत्रों में यह स्पष्टतया इंगित किया जाना चाहिये कि क्या संग्रह प्रभार चूककर्त्ता द्वारा वहन किए जाने हैं अथवा उन प्रमाण-पत्रों को जारी करने वाले विभाग या निकाय द्वारा । उन मामलों में जहां वसूली प्रमाणपत्रों में यह उल्लिखित न किया गया हो, परिषद् ने निर्देशित किया था कि संग्रह प्रभारों की कटौती करने के पश्चात् केवल निवल संग्रहीत धनराशि ही संबंधित विभागों अथवा निकायों को दी जाये ।

चार तहसीलों में, 1983-84 और 1984-85 वर्षों के दौरान अर्ध-सरकारी संस्थाओं, स्थानीय निकायों आदि के निस्वत, भू-राजस्व के

बकायों के रूप में की गयीं वसूलियों के संबंध में राजस्व प्राधिकारियों द्वारा संग्रह प्रभार संग्रहीत धनराशियों से काटे नहीं गये, न ही ये प्रभार उन संस्थाओं अथवा निकायों से वसूल किये गये । इस चूक के परिणामस्वरूप 36,498 रुपयों का राजस्व वसूल नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा (नवम्बर 1983, जून 1984 तथा फरवरी 1985) में चूक के इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (जुलाई 1984 और फरवरी 1985 के बीच) कि एक तहसील में 1,862 रुपयों की वसूली कर ली गई है । अन्य तहसीलों के सम्बन्ध में उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

सरकार को मामले नवम्बर 1983, जून 1984 और फरवरी 1985 में प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986) ।

7.4. भू-राजस्व में अधिक छूट

उत्तर प्रदेश जमीन्दारी विनाश एवं भूमि सुधार नियमावली, 1952 के अन्तर्गत, भू-राजस्व, नियमावली के परिशिष्ट 1 में निर्धारित अनुपात में, दो किस्तों में देय है । किसी क्षेत्र में फसल की पैदावार को प्रभावित करने वाली कृषीय आपदा के घटित होने पर राजस्व में छूट का आगणन उसी अनुपात में किया जायेगा जिसमें भू-राजस्व की किस्तें देय हैं ।

तहसील घोसी (जिला आजमगढ़) में, 1386 फसली (जुलाई 1978 से दिसम्बर 1978) की खरीफ फसलों के लिये (जो कृषीय आपदा से बुरी तरह प्रभावित हुई थीं) राजस्व में स्वीकार की गयी छूट गलत आगणित की गई थी । छूट की धनराशि के आगणन में खरीफ और रबी फसलों हेतु राजस्व की किस्तों का अनुपात आजमगढ़ जिले के संबंध में निर्धारित 40:60 के स्थान पर 50:50 लिया गया । अधिक स्वीकार की गयी छूट 17,610 रुपये थी ।

लेखापरीक्षा (जनवरी 1982) में त्रुटि के इंगित किये जाने पर तहसीलदार घोसी (जिला आजमगढ़) ने बताया (जनवरी 1985) कि 17,610 रुपयों की मांग सृजित करके वसूली हेतु 1391 फसली वर्ष (जुलाई 1983 से जून 1984) की मांगों में शामिल कर दी गई है ।

सरकार को मामला जून 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986) ।

ख--विद्युत शुल्क

7.5. लेखापरीक्षा के परिणाम

अप्रैल 1984 से मार्च 1985 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा में किये गये सहायक विद्युत् निरीक्षकों/नियुक्त प्राधिकारियों के लेखे के जांच परीक्षण से 21 मामलों में 3.66 लाख रुपयों के विद्युत शुल्क के न लगाये जाने या कम लगाये जाने का पता चला, जो मोटे तौर से निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
1. विद्युत शुल्क का भुगतान न किये जाने के कारण राजस्व की हानि	3	0.70
2. गलत दरों की प्रयुक्ति से विद्युत शुल्क का कम लगाया जाना	6	1.94
3. विद्युत अधिष्ठापनों के निरीक्षण शुल्क का वसूल न किया जाना या कम वसूल किया जाना	3	0.73
4. ब्याज का वसूल न किया जाना या कम वसूल किया जाना	3	0.23
5. अन्य मामले	6	0.06
योग	21	3.66

कुछ महत्वपूर्ण मामले, पूर्ववर्ती वर्षों के मामलों को शामिल करते हुए, अनुवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित हैं ।

7.6. विद्युत शुल्क का वसूल न किया जाना

(i) समय-समय पर यथासंशोधित, उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) नियमावली, 1952 के नियम 3 (3) के अन्तर्गत, किसी लाइसेन्सधारी से अपेक्षित है कि वह जिस माह में मीटर रीडिंग अभिलिखित की हो उसकी समाप्ति के दो कलेण्डर माह के भीतर देय शुल्क की धनराशि सरकारी कोषागार में जमा कर दे और विद्युत निरीक्षक को सूचना देते हुए प्राप्त ट्रेजरी चालान की प्रतिलिपि संबंधित सहायक विद्युत निरीक्षक को प्रस्तुत कर दे ताकि वह उसके पास उपर्युक्त दो माह की अवधि की

समाप्ति के 10 दिनों के अन्दर पहुंच जाये । निर्धारित अवधि के अन्दर विद्युत शुल्क की धनराशि जमा कराने में असफल रहने पर उसे भुगतान न किये गये शुल्क की धनराशि पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज, एक पृथक ट्रेजरी चालान द्वारा, प्रत्येक माह की समाप्ति के सात दिनों के भीतर जमा करना होगा । नियमों में चेक द्वारा शुल्क का भुगतान किये जाने का प्रावधान नहीं है ।

(क) गोरखपुर क्षेत्र में 1973-74 से 1979-80 वर्षों हेतु 41,645 रुपयों का विद्युत शुल्क दो लाइसेन्सधारियों द्वारा जमा नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा (फरवरी 1981) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (फरवरी 1981) कि विद्युत् शुल्क के बकाया देयों की वसूली करने के सभी प्रयत्न निरर्थक हो जाने पर सम्बन्धित कलेक्टरों को वसूली प्रमाण-पत्र भेज दिये गये हैं । तत्पश्चात् विभाग ने फरवरी 1986 में बताया कि 1,237 रुपयों की धनराशि लाइसेंसधारियों में से एक द्वारा जमा कर दी गयी है ।

(ख) यद्यपि उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) नियमावली, 1952 लाइसेन्सधारियों से चेक द्वारा शुल्क की स्वीकृति की अनुमति प्रदान नहीं करती, तो भी तीन मामलों में 42,211 रुपयों, 44,929 रुपयों और 1,18,051 रुपयों के चेक लाइसेंसधारियों से फरवरी 1976 से सितम्बर 1977 के दौरान स्वीकार कर लिये गये । 44,929 रुपयों का चेक सात वर्षों से ऊपर रखने के पश्चात् मई 1983 में प्रमुख मंडलीय लेखाधिकारी, उत्तर रेलवे, लखनऊ, को यह कहते हुए वापस कर दिया गया कि वह कालबाधित हो गया है । काल-बाधित चेक के बदले में दूसरा चेक प्राप्त करने की कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गयी । 42,211 रुपयों और 1,18,051 रुपयों के अन्य दो चेकों का भी विभाग में अता-पता नहीं था । परिणामस्वरूप, 2,05,191 रुपयों का राजस्व सरकारी खाते में जमा नहीं किया गया ।

सरकारी खाते में शुल्क का जमा न किया जाना लेखापरीक्षा में मार्च 1980 में इंगित किया गया ; विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986) ।

सरकार को उपर्युक्त मामले क्रमशः मई 1985 तथा मई 1980 में प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986) ।

(ii) उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रजनन के अपने

निजी स्रोत से प्राप्त ऊर्जा के उपभोग पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से विद्युत शुल्क देय है । शुल्क के बकाये या ब्याज अथवा दण्डात्मक शुल्क भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूली योग्य होते हैं ।

उत्तर प्रदेश सरकार के सहायक विद्युत निरीक्षक, शाहजहांपुर क्षेत्र, शाहजहांपुर के कार्यालय में यह देखा गया (नवम्बर 1980) कि महोली (जिला सीतापुर) और लखीमपुर खीरी स्थित दो चीनी मिलों ने नवम्बर 1974 से मार्च 1979 की अवधि के दौरान प्रजनन के अपने निजी स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा का उपभोग किया था परन्तु उनके द्वारा सरकार को कोई विद्युत शुल्क का भुगतान नहीं किया गया । विभाग द्वारा विद्युत शुल्क का भुगतान करने हेतु कहे जाने पर इन मिलों में से एक ने न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया । यद्यपि यह स्थगन आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नवम्बर 1978 में रद्द कर दिया गया किन्तु मिल से 75,800 रुपयों के शुल्क की वसूली हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई । दूसरी मिल से भी 18,256 रुपयों का शुल्क अभी तक (मई 1985) वसूल नहीं किया गया ।

विभाग और सरकार को मामला जनवरी 1981 में और पुनः मार्च 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (फरवरी 1986) ।

7.7. विद्युत् शुल्क का कम जमा किया जाना

उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1952 और उसके अधीन निर्मित नियमों के अन्तर्गत, किसी लाइसेन्सधारी द्वारा, अपने कार्यों के निर्माण, रख-रखाव या संचालन में प्रयोग की गयी ऊर्जा को छोड़कर, वाणिज्यक अथवा आवासीय प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त परिसरों में अथवा उन पर या अन्य किन्हीं परिसरों में अथवा उन पर उपभुक्त ऊर्जा पर निर्धारित दरों के अनुसार विद्युत शुल्क आरोपणीय है । शुल्क या ब्याज या दाण्डिक शुल्क के बकाये भू-राजस्व के बकायों की भांति वसूली योग्य हैं ।

मिर्जापुर में एक लाइसेन्सधारी ने कलेन्डर वर्ष 1981 के दौरान 46,65,000 यूनिट ऊर्जा का उपभोग किया परन्तु विद्युत शुल्क(4 पैसे प्रति यूनिट की दर से) केवल 36,74,920 यूनिटों के सम्बन्ध में जमा किया । कम जमा किया गया शुल्क 39,603 रुपये था । लाइसेन्सधारी से इस धनराशि की वसूली हेतु विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही भी नहीं की गयी ।

विभाग और सरकार को मामला जून 1982 और पुनः 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (फरवरी 1986) ।

अध्याय 8

वन प्राप्तियां

वन विभाग

8.1. सामान्य

31 मार्च 1984 को उत्तर प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्र (2.94 लाख वर्ग किलोमीटर) का लगभग 17.40 प्रतिशत (0.51 लाख वर्ग किलोमीटर) वन के अन्तर्गत था ।

विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ,वन क्षेत्र का विभाजन इस प्रकार था :

	वन क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर)	कुल भौगोलिक क्षेत्र से प्रतिशतता
1. वन विभाग के नियंत्रण में क्षेत्र —आरक्षित	40,633.22	13.81
2. वन विभाग के नियंत्रण के बाहर का क्षेत्र		
—सिविल एवं सोयम वन	8,013.63	3.53
—पंचायत वन	2,368.00	
—निजी वन	158.88	0.06
—नगर पालिका के, छावनी के एवं अन्य वन	38.84	
योग	51,212.57	17.40

8.2. वन प्राप्तियों की गतिविधि

वन राजस्व मुख्य रूप से प्रधान तथा गौण वन उपजों की बिक्री से प्राप्त होता है ।

प्रधान वन उपज में इमारती लकड़ी तथा ईंधन और गौण वन उपज में लीसा, तेंदू पत्ते, कत्था, घास, बांस, गोलाश्म (बोल्डर), बजरी, पत्थर इत्यादि सम्मिलित हैं ।

5 म0 ले0—1986—6

प्रधान वन उपज (इमारती लकड़ी) के उत्पादन तथा मूल्य के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

वर्ष	उत्पादन (लाख घनमीटर में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
1982-83	4·73	4211
1983-84	4·48	4036

8·3· लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1984-85 के दौरान लेखापरीक्षा में किये गये प्रभागीय अभिलेखों के जांच परीक्षण से अनेक अनियमितताओं का पता चला जो कि मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं :

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
1· तेंदू पत्तों के संग्रह और विक्रय (डिस्पोज़ल) में अनियमिततायें	7	192·63
2· रायल्टी का गलत निर्धारण	4	74·49
3· वन उपज का रियायती दरों पर अनियमित आवंटन	5	10·00
4· लीसा की निकासी और विक्रय में अनियमिततायें	8	7·55
5· अर्थदण्ड का न लगाया जाना अथवा कम लगाया जाना	19	79·18
6· आरा मिलों का पंजीकरण न किये जाने के कारण राजस्व की हानि	9	8·49
7· विविध	45	161·66
योग	97	534·00

कुछ रुचिकर मामले आगामी प्रस्तरों में वर्णित हैं ।

8·4· तेंदू पत्तों का संग्रह और विक्रय

8·4·1· विषय-प्रवेश

तेंदू पत्ते जिनका प्रयोग बीड़ी के निर्माण में किया जाता है, अधिकतर मिर्जापुर, दुद्धी, वाराणसी, ओबरा, बांदा और झांसी के वन प्रभागों में उपजाये जाते हैं । तेंदू पत्ते अप्रैल और मई में अर्थात् प्रत्येक वर्ष मानसून प्रारम्भ होने के पूर्व संग्रहीत किये जाने चाहिये ; अन्यथा सरकार को उस मौसम हेतु इस वन उपज से प्राप्य राजस्व की क्षति उठानी पड़ जाती है । 1972 मौसम के पूर्व, तेंदू पत्ता इकाइयां (लाट) नीलाम द्वारा ठेकेदारों को बेची

जाती थीं, जो पत्तों के संग्रह और विक्रय हेतु स्वयं अपनी व्यवस्था करते थे । 1972 में उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972 तथा उसके अधीन बने नियमों के अधिनियमन द्वारा सरकार ने तेंदू पत्तों से सम्बन्धित व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिया । 1972 से 1975 मौसमों के दौरान, तेंदू पत्ते विभागीय स्तर पर संग्रहीत किये गये और खुली निविदायें आमंत्रित करके इनका विक्रय किया गया । चूंकि पत्तों के विभागीय संग्रह की व्यवस्था, पत्तों के अनधिकृत निष्कासन को रोकने में प्रभावी सिद्ध नहीं हुई और निवल राजस्व में कोई वृद्धि नहीं हुई, अतः सरकार ने तेंदू पत्तों के एकमुश्त विक्रय की प्रणाली को बांदा और बुन्देलखण्ड वृत्तों के प्रभागों में 1976 मौसम से बतौर प्रयोगात्मक रूप में पुनः चालू करने का निर्णय लिया (नवम्बर 1975) चूंकि वह प्रयोग सफल बताया गया, सरकार ने परिवर्तित प्रणाली को मिर्जापुर, ओबरा, दुद्धी और वाराणसी के प्रभागों में भी 1977 मौसम से लागू किये जाने का निर्णय लिया (नवम्बर 1976) । अप्रैल 1983 में, सरकार ने इलाहाबाद, मिर्जापुर, बांदा, हमीरपुर, झांसी, जालौन और वाराणसी के जिलों में तेंदू पत्तों के व्यापार के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश वन निगम को अपना एजेन्ट नियुक्त किया ।

8·4·2· **राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति**

निम्न सारणी में 1980 से 1984 के पांच वर्षों के दौरान सात वन प्रभागों में तेंदू पत्तों से प्राप्त राजस्व दर्शाया गया है :

	प्रभाग का नाम	1980	1981	1982	1983	1984
				(लाख रुपयों में)		
1.	दुद्धी वन प्रभाग, रेणुकूट	55·84	99·76	148·15	100·99	116·30
2.	ओबरा वन प्रभाग	27·76	43·18	75·37	48·77	55·77
3.	पश्चिम मिर्जापुर वन प्रभाग	13·23	22·09	35·06	23·69	26·95
4.	पूर्व मिर्जापुर वन प्रभाग	6·54	12·44	17·33	12·31	14·03
5.	वाराणसी वन प्रभाग	9·95	14·20	23·45	17·31	18·32
6.	झांसी वन प्रभाग	15·26	24·94	33·89	25·07	27·97
7.	बांदा वन प्रभाग	35·72	53·67	92·31	59·41	68·46
	योग	164·30	270·28	425·56	287·55	327·80
	पूर्ववर्ती वर्ष की अपेक्षा वृद्धि (+)/कमी (−) की प्रतिशतता	..	+65	+57	−32	+14

1983 में उत्तर प्रदेश वन निगम को व्यापार हस्तान्तरित किये जाने के साथ ही 1982 के राजस्व की तुलना में, 1983 और 1984 में क्रमशः 138.01 लाख रुपयों और 97.76 लाख रुपयों के राजस्व की कमी आई।

अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के प्रावधानों के विपरीत, संग्रहागारों (डिपो) से भण्डार गोदाम को, एक गोदाम से दूसरे गोदाम को, वितरण केन्द्र से सट्टादारों को तथा भण्डार गोदाम से बाहर भेजे जाने हेतु तेंदू पत्तों को ले जाने की स्वीकृति प्रदान करने वाले परिवहन-परमिट प्रभागीय वन अधिकारियों द्वारा जारी नहीं किये जा रहे थे और न ही पत्तों के संग्रह तथा पंजीकृत निर्माताओं या निर्यात कर्ताओं को उनकी बिक्रियां दर्शाने वाले कोई आवधिक परिलेख वन निगम से विभाग द्वारा प्राप्त किये जाते थे। वन निगम की नियुक्ति के पश्चात् वनों से वृक्षों का अनधिकृत रूप से काट कर उठा ले जाना भी जारी रहा।

8.4.3. विलम्ब शुल्क का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) चतुर्थ संशोधन नियमावली, 1979 के अन्तर्गत, क्रेताओं द्वारा नियत तिथियों पर विक्रय मूल्य की किस्तें जमा किया जाना अपेक्षित है, जिनके जमा न किये जाने पर उनसे 60 दिनों तक के विलम्ब के लिये 2 पैसे प्रति सौ रुपये प्रति दिन की दर से और 60 दिनों से अधिक विलम्ब के लिये 5 पैसे प्रति सौ रुपये प्रति दिन की दर से विलम्ब शुल्क वसूली योग्य हो जाता है।

सोलह मामलों में, जहां वन निगम ने पांच प्रभागों (रेनूकूट, पश्चिम, मिर्जापुर, ओबरा, वाराणसी और झांसी) में 1983 मौसम हेतु तेंदू पत्तों के मूल्य की किस्तों के भुगतान में 31 से 182 दिनों का विलम्ब किया था, 15.05 लाख रुपयों का विलम्ब शुल्क निगम से वसूली योग्य था परन्तु वसूल नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा (जून/जुलाई 1985) में इसके इंगित किये जाने पर प्रभागीय वन अधिकारियों ने बताया कि मामला उच्चतर प्राधिकारियों को संदर्भित कर दिया जायेगा।

8.4.4. अनियमित अनुमानों के आधार पर निविदाओं की स्वीकृति के कारण राजस्व की हानि

तेंदू पत्तों से प्राप्त राजस्व के अनुमान गत तीन वर्षों की वास्तविक प्राप्तियों और विक्रय मूल्य को नियंत्रित करने वाले अन्य घटकों के आधार पर बनाये जाने अपेक्षित हैं। तेंदू पत्तों का विक्रय या तो निविदायें आमंत्रित करके या नीलाम द्वारा किया जाता है और जब उच्चतम बोली

रायल्टी के अनुमानित राजस्व से बढ़ जाती है, तो वह स्वीकार कर ली जाती है। अनुमानों से कम की बोलियां अरण्यपाल के अनुमोदन पर स्वीकार की जा सकती हैं।

बांदा प्रभाग में 1980 मौसम हेतु तेंदू पत्तों से प्राप्य राजस्व 30.27 लाख रुपये अनुमानित किया गया, यद्यपि विगत तीन वर्षों के दौरान वार्षिक औसत राजस्व 58.50 लाख रुपये बनता था। अनुमानित राजस्व में कमी अनावृष्टि के कारण पत्तों के कम उत्पादन के कारण बताई गई। जैसा कि अरण्यपाल, बुन्देलखण्ड वृत्त द्वारा सूचित किया गया, 1980 मौसम का उत्पादन 160 रुपये प्रति मानक बोरे के बाजार मूल्य के समक्ष 75.63 रुपये प्रति मानक बोरे के औसत मूल्य पर वस्तुतः 32.25 लाख रुपयों में बेच दिया गया। अनुमानों के 48 प्रतिशत तक घटाये जाने और उस आधार पर निविदाओं की स्वीकृति का, जिसके कारण 1980 मौसम हेतु राजस्व में काफी कमी आई थी, कोई औचित्य नहीं था क्योंकि (i) बांदा प्रभाग में अनुमान मनमाने ढंग से घटा दिये गये थे और (ii) उसी बुन्देलखण्ड वृत्त के अन्तर्गत झांसी के संलग्न वन प्रभाग में, जो अनावृष्टि से समान रूप से प्रभावित था, उस मौसम हेतु अनुमानों में ऐसी कोई कमी नहीं की गई थी। अगस्त 1981 में, मुख्य अरण्यपाल ने बुन्देलखण्ड वृत्त के अरण्यपाल से उस वृत्त के विभिन्न प्रभागों द्वारा विभागीय अनुमानों को तैयार करने में अत्यधिक विभिन्नताओं हेतु और बिना उचित छानबीन के बांदा प्रभाग में 30.27 लाख रुपयों के अयथार्थवत् अनुमानों के आधार पर निविदायें स्वीकार किये जाने के लिये स्पष्टीकरण मांगा। परन्तु अभिलेख में इस बारे में कोई उत्तर उपलब्ध नहीं था।

दिसम्बर 1983 में, अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल (नियोजन) ने बताया कि मामला सतर्कता-जांच के अन्तर्गत है। जांच के परिणाम और उन पर सरकार का निर्णय अभी प्रतीक्षित है (फरवरी 1986)।

8.4.5. तेंदू पत्तों के अनुचित भण्डारण और अनधिकृत निकासी के कारण हानि

दस ठेकेदारों को जिनको 1976 से 1982 मौसमों की 18 तेंदू पत्ता इकाइयां 19.53 लाख रुपयों हेतु बेची गयी थीं, विक्रय मूल्य के आंशिक भुगतान (12.83 लाख रुपये) करने पर, प्रभागीय वन अधिकारियों द्वारा नियंत्रित कुछ गोदामों में तेंदू पत्तों को रखने की अनुमति दी गयी। ठेकेदारों ने विक्रय मूल्य के शेष (6.70 लाख रुपये) का भुगतान नहीं किया न ही प्रभागों ने तेंदू पत्ते नीलाम करने की सामयिक कार्यवाही की। प्रभागों द्वारा की गई भण्डारण व्यवस्थायें भी ठीक नहीं थी। परिणामस्वरूप,

बाद की तिथियों पर गोदामों के खोले जाने पर, विभाग ने पाया कि तेंदू पत्तों के 2,081 मानक बोरे गायब थे और पत्तों के 5,933 बोरे गलत तरीके से रखे जाने के कारण बीड़ी बनाने योग्य नहीं रह गये थे। ठेकेदारों द्वारा किये गये आंशिक भुगतान और उनकी जमानत-जमा को समायोजित करने के पश्चात् कुल हानि 7.20 लाख रुपयों की हुई। इस हानि को पूरा करने के लिये 1978 और 1983 के दौरान सम्बन्धित ठेकेदारों के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये थे परन्तु उनसे अभी तक (फरवरी 1986) कोई वसूली नहीं की गई।

उपर्युक्त बिन्दु सरकार को सितम्बर 1985 में प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986)।

8.5 बढ़ाये गये स्थिर लगान (डेड रेन्ट) की वसूली न किया जाना

अप्रैल 1972 से मार्च 1977 की अवधि के दौरान निर्दिष्ट क्षेत्रों से पत्थरों की पट्टियां (स्लैब स्टोन) निकालने के लिए उत्तर प्रदेश लघु खनिज (रियायत) नियमावली, 1963 के अन्तर्गत 37 ठेकेदारों को पांच वर्षों की अवधि हेतु 3 से 25 एकड़ भूमि के खनन पट्टे प्रदान किये गये। पट्टेदारों को निर्दिष्ट दर पर वार्षिक स्थिर लगान अथवा रायल्टी, जो भी उच्चतर हो, का भुगतान करना था। पट्टा विलेखों के अनुसार, स्थिर लगान विलेखों में विनिर्दिष्ट दरों पर अथवा ऐसी संशोधित दरों पर, जो पट्टेदारों को सरकार द्वारा लिखित रूप में सूचित की गयी हों, प्रभार्य था।

15 सितम्बर 1976 को जारी की गयी एक सरकारी गजट अधिसूचना द्वारा स्थिर लगान की अनुसूची निम्नवत् संशोधित की गई :

क्षेत्र	चालू अनुसूची के अनुसार स्थिर लगान		संशोधित अनुसूची के अनुसार स्थिर लगान	
	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
	(रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष)			
10 एकड़ तक	50	100	500	1000
10 एकड़ से अधिक पर 30 एकड़ से कम	35	70	350	700
30 एकड़ से अधिक	20	40	200	400

8.8. **जुर्माने का वसूल न किया जाना**

रेल स्लीपरों की सम्पूर्ति हेतु बने नियमों के अनुसार ठेकेदार द्वारा स्लीपरों की आबंटित मात्रा की सम्पूर्ति न किये जाने पर, उससे निर्धारित दरों पर जुर्माना वसूलीयोग्य हो जाता है। ये नियम उत्तर प्रदेश वन विभाग पर भी लागू होते हैं यदि स्लीपरों की सम्पूर्ति के आदेश उसको दिये जाते हैं।

उत्तर पीलीभीत वन प्रभाग में वर्ष 1981-82 के दौरान सम्पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश वन निगम को आबंटित 925·725 घनमीटर रेल स्लीपरों में से निगम ने केवल 355·606 घनमीटर की सम्पूर्ति की। इसी प्रकार कालागढ़ वन प्रभाग में, वर्ष 1981-82 के दौरान सम्पूर्ति हेतु 583·957 घनमीटर रेल स्लीपरों के आबंटन के समक्ष निगम ने केवल 57·016 घनमीटर की संपूर्ति की। इन कम सम्पूर्तियों हेतु निगम से 2·46 लाख रुपये और 2·37 लाख रुपये जुर्माने हेतु वसूल किये जाने थे, परन्तु ये वसूल नहीं किये गये।

लेखापरीक्षा (अप्रैल 1983) में चूक के इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (सितम्बर 1984) कि निगम के विरुद्ध 2·46 लाख रुपयों की मांग सृजित कर दी गयी है। वसूली और शेष 2·37 लाख रुपयों के जुर्माने हेतु मांग सृजित करने से संबंधित की गयी कार्यवाही की सूचना प्रतीक्षित है (फरवरी 1986)।

सरकार को मामला जुलाई 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986)।

8.9. **सरकारी आदेशों के अननुपालन के कारण राजस्व की हानि**

सरकारी आदेश संख्या 4888/14-4-83 1-7-1981, दिनांक 20 सितम्बर 1983 द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि उत्तर प्रदेश वन निगम से 1983-84 और उसके बाद के वर्षों के लिये टिम्बर की रायल्टी निम्नांकित नियमानुसार वसूल की जायेगी :

पूर्ववर्ती वर्ष की रायल्टी में जोड़िये—

(i) पूर्ववर्ती वर्ष में उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा बेचे गये टिम्बर के मूल्य में उसके पूर्वगामी वर्ष के विक्रय मूल्य पर हुई वृद्धि की प्रतिशतता; और

(ii) मूल्य निर्धारण वर्ष में बाजार दर में हुई असाधारण वृद्धि, यदि कोई हो।

1981-82 की अपेक्षा 1982-83 में टिम्बर (साल) के मूल्य में वृद्धि की प्रतिशतता उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा वन विभाग को निम्नवत् सूचित की गयी थी :

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1) क्षेत्र का नाम	टेहरी	गढ़वाल	कुमायूं तथा पश्चिमी	पूर्वी	केन्द्रीय
(2) वृद्धि की प्रतिशतता	49·31	(—)12·29	46·49	19·70	24·26

कुमायूं तथा पश्चिमी क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले पश्चिमी वृत्त के हल्द्वानी वन प्रभाग और तराई पूर्व वन प्रभाग की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (क्रमशः नवम्बर तथा दिसम्बर 1984) कि 1983-84 के दौरान उत्तर प्रदेश वन निगम को 16836·523 घनमीटर टिम्बर बेचा गया जिसके लिए 46·49 प्रतिशत मूल्य वृद्धि के आधार पर परिकल्पित 325·86 लाख रुपयों की रायल्टी उनसे वसूलीयोग्य थी परन्तु उस वर्ष हेतु वास्तविक रायल्टी मात्र 275·83 लाख रुपये निश्चित की गयी जो केन्द्रीय क्षेत्र की 24·26 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर निकाली गयी थी । इसके फलस्वरूप सरकार को 50·03 लाखों रुपयों के राजस्व की हानि हुई ।

सरकार ने, जिसे मामले की सूचना मार्च 1985 में दी गयी थी, बताया (जनवरी 1986) कि कुमायूं तथा पश्चिमी क्षेत्र में 1981-82 एवं 1982-83 में हुई मूल्य वृद्धि सही स्थिति की द्योतक नहीं थी क्योंकि दोनों वर्षों में विक्रय हेतु समान मात्रा नहीं थी और 20 सितम्बर 1983 के सरकारी आदेशानुसार यह अनिवार्य नहीं था कि उसी वृत्त की दर में बढ़ोत्तरी की प्रतिशतता रायल्टी के निर्धारण का आधार मानी जाये । सरकार की व्याख्या मान्य नहीं है क्योंकि यह सरकार के आदेश के विरुद्ध है जो कि स्पष्ट रूप से अपेक्षा करता है कि मूल्यों में वृद्धि की प्रतिशतता रायल्टी के निर्धारण हेतु ध्यान में रखी जाये । इसके अतिरिक्त, इस मामले में बेची गई उपजों की प्रमात्रा से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि केवल नियंत्रक मूल्यों को ही गणना में लिया जाना है ।

8·10· नियमों का पालन न किया जाना

वन विभाग के मैनुअल और ठेकेदारों के साथ किये जाने वाले मानक अनुबन्ध के अनुसार ठेकेदार टिम्बर और अन्य वन उपज, सामग्री के विक्रय मूल्य का अग्रिम भुगतान कर देने के बाद ही, वन क्षेत्र के बाहर ले जा सकते हैं । यदि ठेकेदार द्वारा ले जायी गयी सामग्री का मूल्य, किसी समय, उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि से बढ़ जाता है तो प्रभागीय वन अधिकारी वन उपज की निकासी रोक सकता है । नियमानुसार, विक्रय मूल्य की किस्तों के विलम्बित भुगतान हेतु निर्धारित दरों पर विलम्ब शुल्क भी देय है ।

(क) दक्षिण गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर में, 5·52 लाख रुपयों के सम्पूर्ण मूल्य पर बेचे गये 1981-82 वर्ष से सम्बन्धित छः टिम्बर

लाटों के मामले में, विक्रय मूल्य की अग्रिम वसूली किये बिना ठेकेदारों को सम्पूर्ण उपज का निर्यात करने दिया गया । ठेकेदारों ने, निर्यात करने के पश्चात्, उनसे प्राप्य 5·52 लाख रुपयों के समक्ष 0·86 लाख रुपये बकाया छोड़कर 4·66 लाख रुपयों का भुगतान किया । इस धनराशि को वसूल करने के लिये विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई, न ही विभाग ने उनसे कोई विलम्ब शुल्क वसूल किया ।

(ख) सामाजिक वन प्रभाग, आगरा में, एक बालू का लाट ठेकेदार को 0·70 लाख रुपये प्रति वर्ष की रायल्टी पर तीन वर्षों (1980-81 से 1982-83) की अवधि हेतु पट्टे पर दिया गया (जनवरी 1981) । अनुबन्ध के अन्तर्गत, ठेकेदार को 0·52 लाख रुपयों की जमानत (तीन वर्षों हेतु 2·10 लाख रुपयों की कुल रायल्टी का 25 प्रतिशत) जमा करना था और प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी, पहली अप्रैल, पहली जून और पहली अगस्त को चार समान किस्तों (प्रत्येक 17,500 रुपये) में रायल्टी का भुगतान करना था । परन्तु ठेकेदार ने 0·18 लाख रुपयों की जमानत (0·52 लाख रुपयों की अनुबंधित धनराशि के समक्ष) और 1·50 लाख रुपयों की रायल्टी (सितम्बर 1983 तक देय 2·10 लाख रुपयों के समक्ष) जमा की । फिर भी, ठेकेदार को पूर्ण कार्य अवधि के लिये कार्य करने दिया गया । 0·34 लाख रुपयों की जमानत की बकाया धनराशि और 0·60 लाख रुपयों की रायल्टी को वसूल करने के लिये विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई । विलम्बित भुगतानों हेतु देय 0·13 लाख रुपयों का विलम्ब शुल्क भी विभाग द्वारा वसूल नहीं किया गया ।

विभाग और सरकार को मामला जुलाई 1983 तथा जनवरी 1985 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (फरवरी 1986) ।

8·11· आरा मिलों का पंजीकरण न किये जाने के कारण लाइसेंस फीस की हानि

उत्तर प्रदेश मिल प्रतिष्ठान एवं नियमन नियमावली, 1978 के अनुसार, किसी भी आरक्षित अथवा रक्षित वन के 80 किलोमीटर की परिधि के अन्दर कोई भी व्यक्ति, सम्बंधित प्रभागीय वन अधिकारी से लाइसेंस प्राप्त किये बिना, टिम्बर और लकड़ी रूपान्तरित करने या काटने हेतु आरा मिल या मशीन स्थापित नहीं करेगा अथवा मौजूद आरा मिल या मशीन नहीं खड़ी करेगा या चलायेगा । इस प्रकार स्वीकृत या नवीकृत किये गये लाइसेंस एक कलेण्डर वर्ष अथवा जारी किये जाने या नवीकरण की तिथि से आगामी 31 दिसम्बर तक की अवधि तक वैध रहेंगे । लाइसेंसों की स्वीकृति अथवा नवीकरण हेतु आरा मिल की प्रत्येक इकाई के लिये 250 रुपये वार्षिक फीस प्रार्थियों/लाइसेंसधारियों से वसूल की जानी होती है ।

1,100 मिलों का पंजीकरण न किये जाने के कारण 5.71 लाख रुपयों के राजस्व की हानि के बारे में 1980-81 वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 8.4 में उल्लेख किया गया था ।

1981 से 1983 की अवधि के दौरान बारह वन प्रभागों में, 3,988 अन्य आरा मिलों के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रभागीय वन अधिकारी से लाइसेंस प्राप्त किये बिना, कार्यरत रहने की रिपोर्ट दी गयी थी । इसके फलस्वरूप, आरा मिलों से वसूली योग्य लाइसेंस फीस के रूप में सरकार 9.97 लाख रुपयों के राजस्व से वंचित रही ।

विभाग और सरकार को मामला जुलाई 1983 और जून 1985 के बीच प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (फरवरी 1986) ।

अध्याय 9

अन्य विभागीय प्राप्तियां

क—सिंचाई विभाग

9.1. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1984-85 के दौरान सिंचाई खण्डों के लेखे तथा सम्बद्ध अभिलेखों के जांच परीक्षण से 49 मामलों में 100.93 लाख रुपयों की अनियमितताओं का पता चला, जो मोटे तौर से निम्न श्रेणियों में आती हैं :

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
1.	प्रतिभूतियों वाले अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क का वसूल न किया जाना	16	5.12
2.	पेय प्रयोजनार्थ जल की आपूर्ति हेतु प्रभारों का वसूल न किया जाना	4	2.60
3.	यांत्रिक दोषों के कारण नलकूपों की बन्दी से हानि	2	3.45
4.	निक्षेप (डिपाजिट) कार्यों के सम्बन्ध में विभागीय प्रभारों का वसूल न किया जाना	1	0.99
5.	विद्युत् प्रभार में कटौती (रिबेट) का दावा न करने के कारण हानि	2	3.35
6.	गूलों के निर्माण हेतु मांग सृजित न करने के कारण हानि	1	12.03
7.	राज्य नलकूपों से जल आपूर्ति के गलत अभिलेखन के कारण हानि	5	0.54
8.	आराजी भूमि को पट्टे पर न दिये जाने के कारण हानि	3	0.10
9.	अन्य मामले	15	72.21
	योग	49	100.39

पूर्ववर्ती वर्षों के मामलों सहित कुछ महत्वपूर्ण मामले उत्तरवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित हैं ।

9.2. जल प्रभारों का वसूल न किया जाना या कम वसूल किया जाना

(i) सिंचाई विभाग द्वारा जल आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के साथ अनुबन्ध परिनिश्चित किये जाने में अत्यधिक विलम्ब तथा परिषद् द्वारा जल प्रभारों का भुगतान न किये जाने का उल्लेख वर्ष 1981-82 के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 8.1 में किया गया था ।

यद्यपि परिषद् का गठन अप्रैल 1962 में हो गया था और तभी से परिषद् अपने थर्मल पावर स्टेशनों के लिये जल की आपूर्तियां प्राप्त कर रहा है, अभी तक (दिसम्बर 1985) परिषद् को की जा रही जल आपूर्ति हेतु कोई अनुबन्ध परिनिश्चित नहीं किया गया ।

सिंचाई विभाग (निचली गंगा नहर, कानपुर), परिषद् द्वारा वस्तुतः उपभुक्त जल हेतु 3.75 रुपये प्रति 5,000 घनफुट की दर से परिषद् (पनकी थर्मल पावर स्टेशन, कानपुर) को की गयी जल आपूर्ति हेतु मांगें सृजित करता रहा है जो रेलवे को की गयी आपूर्ति हेतु प्रभारित दर (सितम्बर 1972 तक आपूर्तित जल हेतु 4.50 रुपये प्रति 5,000 घनफुट तथा उसके पश्चात् आपूर्तित जल हेतु 10 रुपये प्रति 5,000 घनफुट) से कहीं कम थी । परिषद् 3.75 रुपये प्रति 5,000 घनफुट जल की निचली दर पर भी मांगों का भुगतान नहीं कर रही थी । सितम्बर 1967 से मार्च 1981 की अवधि हेतु 105.00 लाख रुपयों की कुल मांग (रेगुलेटरों के अनुरक्षण हेतु 1.35 लाख रुपयों के प्रभारों तथा 29.46 लाख रुपयों के ब्याज को शामिल करते हुये) के समक्ष परिषद् ने जनवरी 1980 तक केवल 3.03 लाख रुपयों का भुगतान किया और 101.97 लाख रुपयों का भुगतान होना शेष रहा । विभाग ने परिषद् को 1981-82 से 1983-84 वर्षों के दौरान आपूर्तित जल हेतु बिल तैयार नहीं किये ।

(ii) सिंचाई विभाग गैर-सिंचाई प्रयोजनों हेतु अनुबन्धों में निर्दिष्ट दरों पर रेलवे को जल की आपूर्ति करता है । उत्तर रेलवे ने अक्तूबर 1972 से उसे आपूर्तित जल हेतु 10 रुपये प्रति 5,000 घनफुट की दर स्वीकार की थी ।

अक्तूबर 1974 से मार्च 1978 की अवधि के दौरान खुर्जा रेलवे जंक्शन तथा बुलन्दशहर रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) को 4,33,92,922 घनफुट आपूर्तित जल के सम्बन्ध में जल प्रभार की मांग 10 रुपये प्रति 5,000 घनफुट जल की सही दर के बजाय 4.50 रुपये प्रति 5,000 घनफुट की दर

से सृजित की गयी । इस त्रुटि के फलस्वरूप 47,677 रुपयों का जल प्रभार कम वसूल किया गया ।

लेखापरीक्षा (जनवरी 1982) में जल प्रभारों की कम वसूली के इंगित किये जाने पर विभाग ने अप्रैल 1978 से सितम्बर 1981 की अवधि हेतु 10 रुपये प्रति 5,000 घनफुट की दर से 72,325 रुपयों की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी (मई 1985) । इन जल प्रभारों की वसूली तथा अक्तूबर 1974 से मार्च 1978 की अवधि और अक्तूबर 1981 व उससे आगे की अवधि के लिये मांगें सृजित करने की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986) ।

(iii) खरीफ तथा रबी फसलों के लिये किसानों को आपूर्तित जल हेतु वसूली योग्य प्रभारों के परिकलन हेतु नलकूपों से जल की निकासी डिलिवरी टैंक में लगे एक 'V' के आकार के बने खांचे की मदद से वर्ष में दो बार, मई तथा अक्तूबर माह में देखी जाती है । 'V' खांचे में अवलोकित जल की ऊंचाई एक परिवर्तन सारणी के अनुसार जल के आयतनी प्रवाह में परिवर्तित कर दी जाती है ।

चौदह नलकूप खण्डों में, 1975-76 से 1981-82 की अवधि के दौरान नल-कूपों से जल की निकासी, जैसा कि वह पम्प कार्यक्षमता रजिस्टर में इंचों में दिखायी गयी थी, सही ढंग से गैलनों में परिवर्तित नहीं की गई । इस त्रुटि के फलस्वरूप खरीफ की फसलों में 17 करोड़ गैलन जल और रबी की फसलों में 62.10 करोड़ गैलन जल के सम्बन्ध में जल प्रभारों की कम वसूली हुई । कम वसूल किया गया जल प्रभार 1.17 लाख रुपये था ।

विभाग तथा सरकार को उपर्युक्त मामले अप्रैल 1981 और सितम्बर 1984 के बीच प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (फरवरी 1986) ।

9.3. आराजी भूमि का किसानों को पट्टे पर न दिया जाना

सिंचाई आदेश संग्रह के प्रस्तर 10 के अनुसार, कृषि हेतु उपलब्ध कोई भी सरकारी भूमि पट्टे पर दिए जाने से नहीं छोड़ी जानी चाहिए ।

छः सिंचाई खण्डों में लगभग 215 एकड़ में फैले हुये भूखण्ड कृषि योग्य होने पर भी 1971 से 1984 की अवधि के दौरान, 1 से 12 वर्षों की विभिन्न अवधियों हेतु पट्टे पर नहीं दिये गये । इसके फलस्वरूप 61,944 रुपयों के लगान की हानि हुई ।

से सृजित की गयी । इस त्रुटि के फलस्वरूप 47,677 रुपयों का जल प्रभार कम वसूल किया गया ।

लेखापरीक्षा (जनवरी 1982) में जल प्रभारों की कम वसूली के इंगित किये जाने पर विभाग ने अप्रैल 1978 से सितम्बर 1981 की अवधि हेतु 10 रुपये प्रति 5,000 घनफुट की दर से 72,325 रुपयों की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी (मई 1985) । इन जल प्रभारों की वसूली तथा अक्तूबर 1974 से मार्च 1978 की अवधि और अक्तूबर 1981 व उससे आगे की अवधि के लिये मांगें सृजित करने की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986) ।

(iii) खरीफ तथा रबी फसलों के लिये किसानों को आपूर्तित जल हेतु वसूली योग्य प्रभारों के परिकलन हेतु नलकूपों से जल की निकासी डिलिवरी टैंक में लगे एक 'V' के आकार के बने खांचे की मदद से वर्ष में दो बार, मई तथा अक्तूबर माह में देखी जाती है । 'V'खांचे में अवलोकित जल की ऊंचाई एक परिवर्तन सारणी के अनुसार जल के आयतनी प्रवाह में परिवर्तित कर दी जाती है ।

चौदह नलकूप खण्डों में, 1975-76 से 1981-82 की अवधि के दौरान नल-कूपों से जल की निकासी, जैसा कि वह पम्प कार्यक्षमता रजिस्टर में इंचों में दिखायी गयी थी, सही ढंग से गैलनों में परिवर्तित नहीं की गई । इस त्रुटि के फलस्वरूप खरीफ की फसलों में 17 करोड़ गैलन जल और रबी की फसलों में 62.10 करोड़ गैलन जल के सम्बन्ध में जल प्रभारों की कम वसूली हुई । कम वसूल किया गया जल प्रभार 1.17 लाख रुपये था ।

विभाग तथा सरकार को उपर्युक्त मामले अप्रैल 1981 और सितम्बर 1984 के बीच प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (फरवरी 1986) ।

9.3. आराजी भूमि का किसानों को पट्टे पर न दिया जाना

सिंचाई आदेश संग्रह के प्रस्तर 10 के अनुसार, कृषि हेतु उपलब्ध कोई भी सरकारी भूमि पट्टे पर दिए जाने से नहीं छोड़ी जानी चाहिए ।

छः सिंचाई खण्डों में लगभग 215 एकड़ में फैले हुये भूखण्ड कृषि योग्य होने पर भी 1971 से 1984 की अवधि के दौरान, 1 से 12 वर्षों की विभिन्न अवधियों हेतु पट्टे पर नहीं दिये गये । इसके फलस्वरूप 61,944 रुपयों के लगान की हानि हुई ।

विभाग और सरकार को मामला दिसम्बर 1982 तथा अप्रैल 1984 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (फरवरी 1986) ।

9.4. किराये की वसूली न करना

नियमों के अन्तर्गत अधिकारियों से अपेक्षित है कि अन्य स्थानों के लिये स्थानान्तरण हो जाने पर वे अपने आवंटित सरकारी आवासों को अपनी कार्य-ग्रहण अवधि की समाप्ति के पूर्व खाली कर दें । यदि इसके पश्चात् उन्हें ठहरने की अनुमति दी जाती है तो प्रथम माह हेतु सामान्य दर पर किराया (मानक किराया अथवा वेतन का 10 प्रतिशत, जो भी कम हो), अगले दो माह हेतु मानक किराया, उसके बाद के दो माह हेतु मानक किराये का दुगुना तथा उसके पश्चात् मानक किराये का तिगुना किराया प्रभार्य है ।

फतेहपुर, कानपुर तथा देवरिया में 28 कर्मचारी जिन्हें अप्रैल 1976 और मई 1983 के बीच अन्य स्थानों को स्थानान्तरित कर दिया गया था, अपने आवंटित सरकारी आवासों को स्थानान्तरण की तिथियों के बाद भी बिना किसी किराये का भुगतान किये 16 से 57 माह की अवधियों तक अपने अधिकार में रखे रहे । इन मामलों में भुगतान न किया गया किराया 43,800 रुपये हुआ । सम्बन्धित कर्मचारियों से इस धनराशि को वसूल करने के लिये विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

विभाग और सरकार को यह मामला मई 1983, अक्तूबर 1983 तथा फरवरी 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (फरवरी 1986) ।

9.5. विभागीय प्राप्तियों का दुरुपयोग

वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड 6, के प्रावधानों के अनुसार, विभागीय अधिकारियों द्वारा वसूल की गयी नकद धनराशि यथाशीघ्र निकटतम कोषागार में विभाग की विविध प्राप्तियों के रूप में जमा कर देनी चाहिये । यदि कोई खण्डीय अथवा उप-खण्डीय अधिकारी चालू व्यय को पूरा करने के लिये अस्थायी रूप से नकद प्राप्तियों का उपयोग करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है, परन्तु माह की समाप्ति के पूर्व उसे ऐसी प्रयुक्त धनराशि हेतु एक चेक कोषागार को अवश्य भेज देना चाहिये ।

एक नलकूप तथा चार सिंचाई प्रखण्डों में अप्रैल 1983 और दिसम्बर 1984 के बीच खण्डीय/उप-खण्डीय अधिकारियों द्वारा वसूल की गयी 1.05 लाख रुपयों की राजस्व प्राप्तियां कोषागारों में जमा नहीं की गयी अपितु विभागीय व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग कर ली गयीं । इस प्रकार

प्रयुक्त धनराशियों के लिए कोई चेक भी, जैसा कि नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है, कोषागार को नहीं भेजे गये ।

लेखापरीक्षा (अगस्त 1984 तथा फरवरी 1985 के मध्य) में इसके इंगित किये जाने पर बांदा प्रखण्ड ने 5,000 रुपये (अप्रैल 1982 से जुलाई 1984 के दौरान संग्रहीत 21,581 रुपयों में से) चेक द्वारा सितम्बर 1984 में जमा कर दिये तथा वाराणसी प्रखण्ड ने 10,329 रुपयों की सम्पूर्ण धनराशि (जुलाई 1983 से अक्तूबर 1984 के दौरान संग्रहीत) चेक द्वारा जनवरी 1985 में जमा कर दी । 89,880 रुपयों की शेष धनराशि की वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

सरकार को मामला जुलाई 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986) ।

9.6. **विभागीय प्रभारों का वसूल न किया जाना**

वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड 6 के प्रावधानों के अन्तर्गत गैर-सरकारी निकायों के निमित्त विभाग द्वारा किये गये निक्षेप (डिपाजिट) कार्यों के संबंध में कार्यों पर हुए वास्तविक व्यय का एक निर्धारित प्रतिशत विभागीय प्रभार के रूप में वसूल कर के सरकारी लेखा में जमा किये जाने होते हैं ।

लघु सिंचाई खण्ड, अलीगढ़ ने मण्डल विकास निगम के निमित्त सात निक्षेप कार्य (छोटे नलकूपों की बोरिंग और अधिष्ठापन) जनवरी 1983 से हाथ में लिये परन्तु इन कार्यों पर हुए वास्तविक व्यय पर 16 1/2 प्रतिशत की निर्धारित दर से विभागीय प्रभार वसूल नहीं किये । सितम्बर 1984 तक वसूल न किये गये विभागीय प्रभार 1.76 लाख रुपये हुए ।

लेखापरीक्षा (सितम्बर 1984) में चूक के इंगित किये जाने पर विभाग ने अक्तूबर 1984 से वसूली प्रारम्भ कर दी । वसूली की सूचना की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986) ।

सरकार को मामला जनवरी 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

ख––सार्वजनिक निर्माण विभाग

9.7. **लेखापरीक्षा के परिणाम**

वर्ष 1984-85 के दौरान सार्वजनिक निर्माण प्रखण्डों के लेखे तथा सम्बद्ध अभिलेखों के जांच परीक्षण से 16 मामलों में 5.30 लाख रुपयों की

अनियमितताओं का पता चला जो मोटे तौर से निम्नांकित श्रेणियों में आती हैं :

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
1. उन अनुबन्धों पर जिनके संबंध में प्रतिभूतियां जमा की जानी थी स्टाम्प शुल्क का वसूल न किया जाना	7	5.13
2. अन्य मामले	9	0.17
योग	16	5.30

पूर्ववर्ती वर्षों के मामलों सहित कुछ महत्वपूर्ण मामले उत्तरवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित हैं ।

9.8. किराया वसूल न किया जाना

जून 1981 के राज्य सरकार के आदेश के अनुसार निरीक्षण भवन के सूट में ठहरने वाले अधिकारी (जो सरकारी कार्य पर न हों) से अपेक्षित है कि वह सात दिनों तक 5 रुपये प्रतिदिन की दर से किराया और उसके साथ-साथ सेवा प्रभारों का भुगतान करें । साधारणतया किसी अधिकारी को निरीक्षण भवन में सात दिनों से अधिक ठहरने की अनुमति नहीं दी जायेगी । यदि कोई अधिकारी सूट को सात दिनों से अधिक अपने अधिकार में रखता है तो उसे 30 दिनों तक 15 रुपये प्रति दिन की दर से और उसके पश्चात् 30 रुपये प्रति दिन की दर से किराये का भुगतान करना होता है ।

(i) प्रान्तीय प्रखण्ड, सा0 नि0 वि, लखीमपुर खीरी में विभाग के एक सहायक अभियन्ता ने (जो सरकारी कार्य पर नहीं था) एक निरीक्षण भवन में दो सूट अगस्त 1981 से 2 मार्च 1985 तक अपने अधिकार में रखा । उससे वसूल होने योग्य किराया और सेवा प्रभार क्रमशः 77,350 रुपये और 1,667 रुपये हुए जिनके समक्ष अधिकारी ने केवल 4,246 रुपयों का भुगतान किया (अपने वेतन के 10 प्रतिशत की दर से), जिससे 74,771 रुपयों का बकाया अदत्त रह गया ।

लेखापरीक्षा (जनवरी 1983) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने 77,350 रुपयों की मांग सृजित कर दी । वसूली की सूचना की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986) ।

(ii) सरकारी आवास में रहने वाले सरकारी अधिकारी का यदि अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाता है तो उससे अपेक्षित है कि वह अपनी कार्यग्रहण अवधि की समाप्ति के पूर्व आवास खाली कर दे । यदि उसके बाद भी उसे ठहरने दिया जाता है तो प्रथम माह हेतु सामान्य दर पर किराया, अगले दो माह हेतु मानक किराया, उसके बाद के दो माह हेतु मानक किराये का दुगुना, तथा उत्तरवर्ती अवधि हेतु मानक किराये का तिगुना किराया उस पर प्रभार्य है ।

विभाग के तीन अधिकारी जो सरकारी क्वार्टरों में रहते थे, अप्रैल और अक्टूबर 1980 के बीच अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिये गये परन्तु वे अपने स्थानान्तरण की तिथियों के पश्चात् भी 44 से 66 माहों की अवधियों हेतु क्वार्टरों को अपने अधिकार में रखे रहे । किराये के रूप में उनसे प्राप्य 28,862 रुपये विभाग द्वारा वसूल नहीं किये गये ।

लेखापरीक्षा (जनवरी 1983) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (अप्रैल 1985) कि दो अधिकारियों के विरुद्ध 17,002 रुपयों और 11,860 रुपयों की मांगे सृजित कर दी गई हैं और तीसरे अधिकारी से किराये की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

विभाग और सरकार को उपर्युक्त मामले फरवरी 1983 में प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (फरवरी 1986) ।

9.9. सरकारी देयों के भुगतान में विलम्ब हेतु क्षतिपूर्ति का वसूल न किया जाना

जनवरी 1983 के सरकारी आदेशों के अनुसार विभाग के नियंत्रण में आने वाले प्रत्येक टाल बैरियर का नीलाम किया जाना चाहिए और संबंधित ठेकेदार के साथ पट्टा विलेख अनुबंधित किया जाना चाहिये । यदि पट्टा विलेख में उल्लिखित नियत तिथियों पर अथवा सात दिनों की छूट की अवधि के भीतर ठेकेदार बंधित धनराशि (पट्टा विलेख में सहमत धनराशि) की मासिक किस्तें जमा करने में असफल रहता है तो उसे क्षतिपूर्ति के रूप में इस चूक के प्रत्येक दिवस हेतु बंधित धनराशि का एक प्रतिशत से लेकर 10 प्रतिशत तक की धनराशि का, जैसा भी अधिशासी अभियन्ता द्वारा निर्णीत किया जाये, भुगतान करना होता है ।

प्रान्तीय प्रखण्ड, सा0 नि0 वि0, गोंडा ने दिसम्बर 1980 से प्रारम्भ होने वाले पांच वर्षों के लिए छः टाल बैरियर नीलाम किये और सफल ठेकेदारों के साथ पट्टे अनुबंधित किये । यद्यपि ठेकेदारों ने बंधित धनराशि की किस्तें 8 दिनों से लेकर 223 दिनों तक के विलम्ब

से जमा की, सरकारी देयों के भुगतान में हुए विलम्ब हेतु उनसे क्षतिपूर्ति वसूल करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई । सरकार को इन मामलों में 6.30 लाख रुपयों के राजस्व की हानि (एक प्रतिशत की न्यूनतम दर से) हुई ।

विभाग और सरकार को मामला सितम्बर 1982 और फरवरी 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (फरवरी 1986) ।

ग--खाद्य और रसद विभाग

9.10. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1984-85 के दौरान जिला आपूर्ति कार्यालयों के लेखे तथा सम्बद्ध अभिलेखों के जांच परीक्षण से 17 मामलों में 8.46 लाख रुपयों की अनियमितताओं का पता चला जो मोटे तौर से निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं :

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
1. चीनी व्यापारियों से लाइसेंस फीस का वसूल न किया जाना	6	2.12
2. लेवी चीनी के बढ़े हुये मूल्य का वसूल न किया जाना	2	0.56
3. प्रतिभूतियों पर स्टाम्प शुल्क का वसूल न किया जाना	4	0.12
4. लाइसेंसों का निरस्तीकरण और परिणामी राजस्व की हानि	1	2.90
5. राशन कार्डों के मूल्य का वसूल न किया जाना	4	2.76
योग	17	8.46

पूर्ववर्ती वर्षों के मामलों सहित कुछ महत्वपूर्ण मामले उत्तरवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित हैं ।

9.11. लेवी चीनी के बढ़े मूल्य की वसूली न किया जाना

केन्द्रीय सरकार ने लेवी चीनी का विक्रय मूल्य पहली दिसम्बर 1982 से 3.75 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 3.85 रुपये प्रति किलोग्राम तथा पहली फरवरी 1984 से 4.10 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया। नवम्बर 1982 तथा जनवरी 1984 के राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार व्यापारियों से अपेक्षित था कि वे जिला आपूर्ति अधिकारियों को 30 नवम्बर 1982 और 31 जनवरी 1984 को समाप्ति पर लेवी चीनी के अपने अवशेष स्टाक की सूचना दें दें और साथ ही सरकारी लेखे में अवशेष स्टाक के सम्बन्ध में 10 पैसे और 25 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से अन्तर की धनराशि (पुराने और संशोधित मूल्यों के बीच) क्रमश: 31 दिसम्बर 1982 तक और 29 फरवरी 1984 तक जमा कर दें।

(i) मुरादाबाद, उन्नाव, बांदा जौनपुर, देवरिया बस्ती और आजमगढ़ जिलों में 1,285 व्यापारियों में से किसी ने भी अवशेष स्टाक की सूचना जिला आपूर्ति अधिकारियों को नहीं दी अथवा ऐसे स्टाक के संबंध में विक्रय मूल्य का अन्तर कोषागार में जमा नहीं किया।

(ii) बदायूं और अलीगढ़ जिलों में 42 व्यापारियों ने 30 नवम्बर 1982 तथा/अथवा 31 जनवरी 1984 को अवशेष स्टाक के सम्बन्ध में विक्रय मूल्य के अन्तर के रूप में 15,212 रुपये जमा किये थे परन्तु उन तिथियों पर अवशेष स्टाक की सूचना उन्होंने जिला आपूर्ति अधिकारियों को नहीं दी थी। अत: उनके द्वारा जमा की गई धनराशि के सही होने का सत्यापन किया जाना सम्भव नहीं था।

(iii) वाराणसी और कानपुर (देहात) जिलों में 1,070 तथा 432 व्यापारियों में से क्रमश: 365 तथा 300 व्यापारियों ने जिला आपूर्ति अधिकारियों को अवशेष स्टाक घोषित किये। इन घोषणाओं के अनुसार क्रमश: 5,993 रुपयों और 25,200 रुपयों के विक्रय मूल्य का अन्तर व्यापारियों द्वारा कोषागार में जमा किया जाना चाहिए था परन्तु ये धनराशियां भी उनके द्वारा पूरी जमा नहीं की गईं। विभाग द्वारा चूककर्ताओं से अवशेष स्टाक का पता करने और उनसे विक्रय मूल्य का अन्तर वसूल करने की कोई कार्यवाही भी नहीं की गई।

विभाग को यह मामला सितम्बर 1984, मार्च 1985 तथा मई 1985 में और सरकार को मई 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (फरवरी 1986)।

9.12. राशन कार्डों का मूल्य वसूल न किया जाना

जनता को विक्रय हेतु राशन कार्डों की आपूर्ति खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जिला आपूर्ति अधिकारियों, खण्ड विकास अधिकारियों, तहसीलदारों आदि को की जाती है। निर्गामी अधिकारियों से अपेक्षित है कि वे जनता से राशन कार्डों का मूल्य (10 पैसे और 35 पैसे प्रति कार्ड के

बीच), जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर निश्चित किया गया हो, वसूल कर लें और उसे कोषागार में जमा कर दें ।

(क) सत्रह जिलों में, जनता को निर्गत करने के लिये अप्रैल 1973 से दिसम्बर 1984 के दौरान विभिन्न प्राधिकारियों को आपूर्तित राशन कार्डों का मूल्य उन प्राधिकारियों द्वारा पूर्ण रूप से अथवा अंशतः कोषागार में जमा न किया गया मूल्य 7.03 लाख रुपये था ।

लेखापरीक्षा (नवम्बर 1983 और जनवरी 1985 के बीच) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने 1.06 लाख रुपये वसूल कर लिये । शेष 5.97 लाख रुपयों की वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

(ख) जिला आपूर्ति कार्यालय, उन्नाव में राशन कार्डों के विक्रय का उचित लेखा-जोखा न रखने के कारण 17,000 रुपयों की धनराशि का गबन कर लिये जाने का संदेह था । जिला मजिस्ट्रेट ने परगना अधिकारी द्वारा इसकी जांच किये जाने का आदेश दिया था (मई 1984) जिसके परिणाम की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986) ।

विभाग और सरकार को उपर्युक्त मामले जनवरी 1984, मई 1984, अगस्त 1984 और मार्च 1985 में प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (फरवरी 1986) ।

घ--कृषि विभाग

9.13. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1984-85 के दौरान जिला कृषि कार्यालयों के लेखे तथा अभिलेखों के जांच परीक्षण से 25 मामलों में 6.65 लाख रुपयों की अनियमितताओं का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं :

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
1. उर्वरकों का अनधिकृत विक्रय	9	3.31
2. फार्म-उपज के उत्पादन में कमी	2	1.37
3. अप्रमाणित बीजों पर बिक्रीकर का वसूल न किया जाना	2	0.66
4. अन्य मामले	12	1.31
योग	25	6.65

9.14. पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना सहकारी समितियों द्वारा उर्वरकों का विक्रय

भारत सरकार के उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 के अनुसार कोई भी व्यक्ति उर्वरक के विक्रय का व्यवसाय तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह पंजीकरण प्राधिकारी से निर्धारित फीस का भुगतान करके पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर लेता । पंजीकरण प्रमाणपत्र एक वर्ष हेतु वैध रहता है और निर्धारित नवीकरण फीस के भुगतान पर प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के पूर्व नवीकृत किया जा सकता है । यदि नवीकरण हेतु प्रार्थना पत्र 31 मार्च के बाद दिया जाता है तो अतिरिक्त फीस भी प्रभार्य हो जाती है ।

सात जिलों में (हरदोई, वाराणसी, बलिया, मिर्जापुर, इलाहाबाद, बांदा तथा लखनऊ), सहकारी समितियां पंजीकरण के प्रमाणपत्र प्राप्त किये/नवीकृत कराये बिना उर्वरकों के विक्रय का व्यवसाय कर रही थी । समितियां पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करें तथा/अथवा नवीकृत करवायें, इस हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही भी नहीं की गई । समितियों द्वारा अनधिकृत व्यवसाय करने के अतिरिक्त इस चूक के परिणामस्वरूप 1979-80 से 1984-85 की अवधि के दौरान उनसे 2.84 लाख रुपयों के पंजीकरण/नवीकरण फीस की वसूली नहीं हुई ।

विभाग और सरकार को मामला जनवरी 1984 और जनवरी 1985 के बीच प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (फरवरी 1986) ।

ङ--चिकित्सा विभाग

9.15. क्वार्टर का आबंटन न किया जाना/किराया वसूल न किया जाना

(i) मोहनलालगंज स्थित जन स्वास्थ्य केन्द्र के स्टाफ को आवंटित किये जाने हेतु बने चार आवासीय क्वार्टर 1973-74 से आवंटित नहीं किये गये । अप्रैल 1984 तक ही इन क्वार्टरों के सम्बन्ध में किराये की हानि 0.18 लाख रुपये हुई ।

इसके अतिरिक्त, जन स्वास्थ्य केन्द्र, चिनहट, लखनऊ के आठ अन्य क्वार्टर यद्यपि स्टाफ के सदस्यों को जनवरी 1978 और जुलाई 1979 के दौरान विभिन्न तिथियों से आवंटित किये गये थे, उनके सम्बन्ध में आवंटितियों से कोई किराया वसूल नहीं किया गया । केवल मई 1984 तक वसूल न किया गया किराया 0.25 लाख रुपये हुआ ।

विभाग और सरकार को यह मामला अगस्त 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (फरवरी 1986) ।

(ii) टी० बी० सैनेटोरियम, भुवाली (जिला नैनीताल) का एक भवन उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, कानपुर को 28 मार्च

1977 से छः मास की अवधि हेतु किराये पर आवंटित किया गया था । बाद में यह अवधि सरकार द्वारा दिसम्बर 1980 तक बढ़ा दी गई । फिर भी, निगम ने इस अवधि की समाप्ति पर न तो भवन को खाली ही किया और न ही किराये (अप्रैल 1978 में राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित 1,220 रुपये प्रति माह) तथा गृह-कर (160 रुपये वार्षिक) का भुगतान किया । विभाग ने भी निगम से किराये की वसूली हेतु कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाये । मार्च 1985 तक निगम से वसूलीयोग्य किराया 1·19 लाख रुपये था ।

सरकार को यह मामला जुलाई 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986) ।

च--शिक्षा विभाग

9·16· सरकारी देयों का वसूल न किया जाना

हाईस्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद प्रति वर्ष चुने गये मुद्रकों/प्रकाशकों द्वारा राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकें मुद्रित और प्रकाशित कराती थी । मुद्रकों/प्रकाशकों के साथ किये गये अनुबन्धों में, अन्य बातों के साथ-साथ, ये प्रावधान थे कि (i) नियत तिथि तक पुस्तकों के बाजार में न आने की स्थिति में, बाजार में न आयी हुयी पुस्तकों के विक्रय मूल्य का 20 प्रतिशत वितथी मुद्रकों/प्रकाशकों से अर्थदण्ड के रूप में वसूल किया जायेगा तथा (ii) नियंत्रित मूल्य पर उनके द्वारा प्राप्त किया गया कागज यदि दुरुपयोग किया गया पाया गया, तो ऐसे कागज के बाजार मूल्य के दुगुने (1979 से 2 1/2 गुना) के बराबर की धनराशि उनसे वसूल की जायेगी । ये देय भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूलीयोग्य थे ।

(क) तीन प्रकाशकों ने, जिनके साथ राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन हेतु अनुबंध जनवरी, अप्रैल तथा अक्तूबर 1979 में हस्ताक्षरित किये गये थे, प्राप्त नियंत्रित कागज का दुरुपयोग किया जिसके लिये वे अनुबन्धों की शर्तों के अनुसार सरकार को 2·07 लाख रुपयों का भुगतान करने के दायी बन गये । यद्यपि सरकार ने इन देयों की वसूली भू-राजस्व के बकाये के रूप में करने के आदेश दे दिये थे (दिसम्बर 1980 तथा दिसम्बर 1981), किन्तु यह धनराशि प्रकाशकों से अभी तक (जून 1985) वसूल नहीं की गई ।

सरकारी देयों का वसूल न किया जाना लेखापरीक्षा में अगस्त 1985 में इंगित किया गया; विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986) ।

(ख) 1977-78 तथा 1978-79 शैक्षिक सत्रों हेतु पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण/प्रकाशन से सम्बन्धित कार्य 358 मुद्रकों/प्रकाशकों को आवंटित किया

गया था । इन मुद्रकों/प्रकाशकों में से 28 शैक्षिक सत्र की नियत तिथि (अर्थात्, 15 जून) तक 5.67 लाख पाठ्य पुस्तकें (10.93 लाख रुपये मूल्य की) प्रकाशित करने में असफल रहे । परिणामस्वरूप वे अनुबन्धों की शर्तों के अनुसार सरकार को अर्थदण्ड के रूप में 2.19 लाख रुपयों के देनदार हो गये थे परन्तु विभाग द्वारा इसकी वसूली नहीं की गयी ।

लेखापरीक्षा (नवम्बर 1978 तथा अक्तूबर 1979) में इसके इंगित किये जाने पर परिषद् ने बताया (फरवरी 1983) कि चूंकि वितथी प्रकाशकों में से एक ने परिषद् के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया था अतः 1977-78 तथा 1978-79 से संबंधित मामले सरकारी परामर्शदाता को परामर्श हेतु संदर्भित कर दिये गये हैं । आगे की प्रगति की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986) ।

सरकार को यह मामला अगस्त 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986) ।

छ--उद्योग विभाग

9.17. ईंट-भट्ठों के स्वामियों से लाइसेंस फीस तथा रायल्टी की वसूली न करना

उत्तर प्रदेश लघु खनिज (रियायत) नियमावली, 1963 के साथ पठित खानें एवं खनिज (नियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अन्तर्गत ईंटें बनाने के लिये ईंट-मिट्टी का उपयोग करने वाले प्रत्येक ईंट-भट्ठा स्वामी से अपेक्षित है कि वह खनन अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति हेतु आवेदन-पत्र दें । आवेदन-पत्र निर्धारित लाइसेंस फीस के साथ दिया जाना है । स्वामी से यह भी अपेक्षित है कि वह खनन अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाने के पूर्व जिला कलेक्टर को रायल्टी का भुगतान अग्रिम में कर दें ।

जिला भूमि सुधार अधिकारी, जौनपुर तथा संग्रहण अधिकारी, गाजियाबाद के कार्यालयों में 8,50,103 रुपयों की लाइसेंस फीस और रायल्टी (जौनपुर: 1974-75 से 1979-80 की अवधि हेतु 2,73,760 रुपये तथा गाजियाबाद : 1982-83 और 1983-84 की अवधि हेतु 5,76,343 रुपये) 863 ईंट-भट्ठों के स्वामियों से वसूल नहीं की गई ।

लेखापरीक्षा (जुलाई 1980 तथा अगस्त 1983) में इसके इंगित किये जाने पर जिला भूमि सुधार अधिकारी, जौनपुर ने बताया (जुलाई 1984) कि वास्तविक बकाये मात्र 2,26,965 रुपये थे जिनमें से 8,659 रुपये वसूल कर लिये गये हैं । गाजियाबाद में मामलों की पुनः जांच के पश्चात् विभाग ने सूचित किया (जुलाई 1985) कि 130 ईंट-भट्ठा के स्वामियों से 5,99,510 रुपयों के बकाये वसूल कर लिये गये हैं और

यह कि केवल 10,543 रुपयों के बकाये (वर्ष 1982-83 हेतु) 4 ईंट-भट्ठा के स्वामियों से वसूल किये जाने शेष रह गये हैं।

सरकार को यह मामला अक्तूबर 1983 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 1986)।

लाइसेंस फीस और रायल्टी की वसूली न किये जाने के ऐसे ही मामले वर्ष 1981-82 और 1982-83 के लिये राजस्व प्राप्तियों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के क्रमशः 8.8 और 9.13 प्रस्तरों में प्रतिवेदित किये गये थे।

(के0 कृष्णन)

लखनऊ,
दिनांक 2 सितम्बर 1986

महालेखाकार (लेखापरीक्षा)—II,
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

(त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी)

नई दिल्ली,
दिनांक 8 सितम्बर 1986

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

पी0 एस0 यू0 पी0—5 महालेखाकार—12-5-86—1825 (लाइनो)।